शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए जेंडर समानता एवं सशक्तीकरण संबंधी प्रशिक्षण सामग्री

जेंडर और समाज संबंधी परिप्रेक्ष्य

खंड 1

not to be republished

शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए जेंडर समानता एवं सशक्तीकरण संबंधी प्रशिक्षण सामग्री

जेंडर और समाज संबंधी परिप्रेक्ष्य

खंड 1

© NCERT not to be republished

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

13224 – शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए जेंडर समानता एवं सशक्तीकरण संबंधी प्रशिक्षण सामग्री
जेंडर और समाज संबंधी परिप्रेक्ष्य, खंड 1

ISBN 978-93-91444-34-1

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फ़ोटो प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

प्रथम संस्करण

अगस्त 2021 श्रावण 1943

PD 1T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2021

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पिनहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781021 फ़ोन : 0361-2676869

₹ 180.00

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	*अनूप कुमार राजपूत*
मुख्य संपादक	:	*श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	*अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	*विपिन दीवान*
संपादन सहायक	:	*ऋषिपाल सिंह*
सहायक उत्पादन अधिकारी	:	*दीपक जैसवाल*

आवरण

सुरेन्द्र कुमार

80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित तथा गोयल स्टेशनर्स, बी–36/9, जी.टी. करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली – 110 033 द्वारा मुद्रित।

© NCERT not to be republished

आमुख

यह सर्वविदित है कि बच्चे शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होते हैं और इसमें शिक्षक प्रमुख संसाधन होते हैं। एक पेशेवर के रूप में शिक्षक बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने तथा उनके शिक्षण परिवेश में गुणात्मक बदलाव लाने में अपना योगदान करते हैं। पाठ्यचर्या गतिविधियों की संयोजना में शिक्षार्थियों के सरोकारों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अध्यापकों को समावेशी अध्यापन प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही वे पाठ्यचर्या गतिविधियों के संयोजन में शिक्षार्थियों के सरोकारों को भी ध्यान में रखने में मदद करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार किया गया है। यह नीति पाठ्यचर्या संबंधी भेदभाव को दूर करेगी तथा निर्णयकर्ताओं, प्रशासकों और योजनाकार जैसे पेशेवरों को जेंडर समानता के लिए अंत: क्षेपक की भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाएगी। क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम (पी.ओ.ए.) 1992 में सभी अध्यापकों और अनुदेशकों को महिला सशक्तीकरण के प्रतिनिधियों या निष्पादकों के तौर पर प्रशिक्षित करने, शिक्षक प्रशिक्षकों और प्रशासकों के लिए जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रमों के विकास तथा जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या विकास एवं पाठ्यपुस्तकों से लिंगभेद आदि को समाप्त करने पर स्पष्ट रूप से बल दिया गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भी अध्यापकों की भूमिका को मात्र ज्ञान के स्रोत से बदलकर शिक्षण के सुगमकर्ता के रूप में बदलने की आवश्यकता व्यक्त की गई है। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण में आवश्यक अभिवृत्यात्मक बदलाव लाने पर बल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के बदलाव को लाने का सर्वोत्तम उपाय स्वयं अपने दृष्टिकोण में भेदभाव को पहचानने और अपने काम में 'जेंडर मुक्त' दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। इस दृष्टिकोण के माध्यम से अध्यापकों को उनकी वर्तमान विचारात्मक कठिनाइयों के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ ही विभेदमूलक व्यवहार नीतियों से बचने या उन्हें कम करने के लिए सायास प्रयास हेतु तैयार भी करना है जिससे बढ़ती उम्र के लड़के और लड़कियाँ प्रभावित होते हैं।

शिक्षा में जेंडर मुद्दे (2006) में भी आत्मचिंतक, सहभागी और शोध उन्मुखी शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया है। इसमें अध्यापकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए जेंडर मुद्दों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने के उपायों से संबंधित संसाधन सामग्री विकसित करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

जेंडर अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, ने शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सदैव प्राथमिकता दी है। ये कार्यक्रम शिक्षा में जेंडर सरोकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं। जेंडर मुद्दों पर राज्य सरकारें, गैर-सरकारी संगठन तथा अन्य संगठन इस प्रशिक्षण सामग्री को शिक्षा से संबद्ध अपने कार्मिकों के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

© NCERT not to be republished

इस सामग्री की रूपरेखा *शिक्षा में जेंडर मुद्दे* नामक आधार पत्र में व्यक्त विचारों पर आधारित है जिसमें इस तथ्य पर बल दिया गया है कि जेंडर को एक सह-दृष्टिकोण के बजाए सभी अनुशासनों में मुख्य दृष्टिकोण के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रस्तुत सामग्री जेंडर समावेशी है। यह सामग्री अध्यापकों के लिए जेंडर संबद्ध मुद्दों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में उनके व्यवहार की मुख्य संकल्पनाओं को समझने में सहायक होगी। यह सामग्री उन्हें अपनी समाजीकरण की प्रक्रियाओं के आत्म-अवलोकन तथा आत्म-मीमांसा का अवसर देगी। इसके साथ ही यह सामग्री वर्तमान समाज के सत्ता या संबंधों तथा परंपरागत व्यवहारों को परखने एवं उन पर सवाल खड़े करने के लिए प्रेरित भी करेगी। यह अध्यापकों को लड़कों, लड़कियों एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों को सामग्री में जोड़ने हेतु अपने अनुभवों को अन्य अनुशासनों की विषय-वस्तु के साथ समेकित करने में भी सक्षम बनाएगी।

सामग्री लेखकों ने प्रत्येक मॉड्यूल को सहभागी स्वरूप दिया है और विद्यालयी परिवेश में कल्पना-शक्ति एवं सर्जनात्मकता उत्पन्न करने पर बल दिया है। इस खंड के सभी मॉड्यूल प्रतिभा उन्मेष और विकास के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं। पाठक इन्हें अपनी आवश्यकता एवं संदर्भ के अनुसार अपना सकते हैं या रूपांतरित कर सकते हैं। सभी मॉडयूलों में विविधतापूर्ण अभ्यास गतिविधियाँ और क्रियाकलाप भी दिए गए हैं। इस खंड में सुधार एवं संवर्धन के लिए सभी के सुझावों का स्वागत है। इन खंडों का पाठ्यचर्या में प्रयोग करते समय शिक्षिकाएँ अपने संदर्भगत विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभवों को भी उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न विषयों की प्रमुखता के अनुसार इस प्रशिक्षण सामग्री को तीन खंडों में विभक्त किया गया है। ये खंड इस प्रकार हैं —

खंड 1— जेंडर एवं समाज संबंधी दृष्टिकोण

खंड 2— जेंडर और विद्यालयी प्रक्रियाएँ

खंड 3— जेंडर और महिला सशक्तीकरण

इन तीनों खंडों के लेखन और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सभी लेखकों, संपादकों तथा समन्वयकों के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। अपने प्रकाशनों की गुणवत्ता के सतत विकास एवं सर्वांगीण सुधार के लिए भी वचनबद्ध संगठन के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), प्रस्तुत सामग्री तथा इसके उपयोग के संबंध में विचार एवं सुझाव आमंत्रित करती है।

हृषिकेश सेनापति
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
जुलाई, 2018

© NCERT not to be republished

प्रस्तावना

खंड 1—*जेंडर और समाज संबंधी परिप्रेक्ष्य* में छह मॉड्यूल हैं, जो बहुआयामी रूप से जेंडर और समाज के बारे में हमारे परिप्रेक्ष्य को निर्मित करते हैं। इनमें से प्रत्येक मॉड्यूल अंर्तविषयी प्रकृति का है। प्रत्येक मॉड्यूल इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि किस प्रकार विभिन्न विषयों और क्षेत्रों, जैसे— व्यक्तिगत, सामाजिक, सार्वजनिक, आर्थिक, जेंडर की अनुभूति आदि की रचना और स्थापना की जाती है। इस खंड का उद्देश्य विभिन्न हितधारक समूहों, जैसे— शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं, प्रशासकों, विधि-विशेषज्ञों आदि में समाज के विभिन्न पक्षों के साथ जेंडर संबंधी मुद्दों के लिए एक आधार विषय के रूप में जागरूकता और समझ विकसित करना है।

पहला मॉड्यूल, 'सेक्स और जेंडर', में सेक्स और जेंडर शब्दों (इन दोनों शब्दों) का क्रियाकलापों के समावेशन द्वारा इनके बीच के सूक्ष्म अंतर को स्पष्ट किया गया है। जहाँ सेक्स जैविक होता है, वहीं जेंडर एक सामाजिक निर्मिति है। इसी मॉड्यूल में विशिष्ट जेंडर भूमिकाओं के साथ जुड़ी रूढ़िबद्ध मनोवृत्तियों और धारणाओं पर भी चर्चा की गई है। इस मॉड्यूल में शामिल किए गए क्रियाकलाप व्यवहारकर्ताओं को भागीदारी करने वाले समूहों के बीच जेंडर पूरकता के विषय में जागरूकता पैदा करने में सक्षम बनाएँगे।

दूसरा मॉड्यूल, 'जेंडर समानता और सशक्तीकरण के सूचक' है। इसमें विद्यालय में प्रवेश और शिक्षा की प्रक्रियाओं में समानता और सशक्तीकरण लाने के विषय पर बल दिया गया है (इसमें प्रौढ़ शिक्षा सम्मिलित है, जिससे सामाजिक और सामुदायिक जागरूकता सुगम हो सके)। इस मॉड्यूल में सुझाए गए जीवन के विभिन्न चरणों संबंधी (लाइफस्टेज) अभिगम जीवन कौशल शिक्षा के रूप में प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जा सकते हैं। इस मॉड्यूल में लड़कियों और महिलाओं में सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक पहलुओं पर विचार किया है। इसके साथ ही पाठ्यचर्या की योजना बनाने, उसके निरूपण और क्रियान्वयन में अंर्तदृष्टि भी प्रदान की है। इसमें विभिन्न विषय विशिष्ट सूचकों को तालिकाबद्ध करके जेंडर पहलुओं को एक साथ मिलाया है। इन जेंडर पहलुओं को जेंडर अनुकूल अभिगम के एक अंग के रूप में समावेशित और विश्लेषित किया जा सकता है (विशेष रूप से साहित्य और समाज विज्ञान जैसे विषयों में)। इस मॉड्यूल का उद्देश्य न सिर्फ़ शिक्षक-प्रशिक्षक और नीति निर्माताओं बल्कि उनके साथ-साथ उन कर्मियों के बीच भी जागरूकता पैदा करना है, जो ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में काम करते हैं। आशा है सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी के प्रचार-प्रसार से ग्रामीण एवं वंचित महिलाओं की अज्ञानता दूर होगी और उन्हें अपनी बेहतरी के लिए काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी। इससे कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की वृहत भागीदारी सुगम हो सकेगी। यह मॉड्यूल प्रौढ़ या ग्रामीण शिक्षा परियोजना के एक भाग के रूप में जेंडर के लिए काम करने वाले शिक्षक-प्रशिक्षक, नीति योजनाकारों, प्रशासकों, अनुसंधानकर्ताओं और अकादमिकों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो सकता है।

© NCERT not to be republished

तीसरे मॉड्यूल, 'जेंडर बजटिंग' में लड़कों और लड़कियों दोनों के समग्र विकास के लिए समान बजट आवंटन की आवश्यकता के महत्व पर ज़ोर दिया गया है। इस मॉडयूल के अनुसार समान बजट आवंटन होने पर ही निष्पक्षता और समानता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जेंडर बजटिंग की संकल्पना नीति योजनाकारों और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ताकि वे बजट को जेंडर की दृष्टि से विश्लेषित कर सकें जिससे विकास के लाभों में सभी की साझेदारी हो सके और संधारणीय विकास जेंडर समावेशी हो। इस मॉड्यूल में जेंडर समावेशी बजट के महत्व पर भी ज़ोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य पुरुषों तथा महिलाओं, दोनों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार बजटीय प्रावधानों का आंवटन करना है।

चौथे मॉड्यूल 'जेंडर मीडिया और शिक्षा' में रूढ़िबद्ध जेंडर भूमिकाओं और मनोवृत्तियों को बनाए रखने में मीडिया की भूमिका की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही इन जेंडर धारणाओं की जाँच-परख करने तथा इन्हें समाप्त करने में उसकी प्रभावी भूमिका को भी स्पष्ट किया गया है। इस मॉडयूल में न्यू मीडिया की भूमिका और समाज के कुछ विशेष वर्गों, विशेष रूप से महिलाओं तक उनकी पहुँच न होने पर भी ज़ोर दिया गया है। साथ ही मीडिया, विशेष रूप से प्रिंट और टेलीविजन मीडिया, में जो समाचार प्रसारित होते हैं, उनमें महिलाओं की स्पष्ट अनुपस्थिति और फ़िल्मों तथा विज्ञापनों में महिलाओं को एक वस्तु के रूप में दिखाए जाने पर भी आपत्ति व्यक्त की गई है। इस मॉड्यूल में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि सभी को समावेशित करने वाला मीडिया महिलाओं को सशक्त भूमिकाओं और पदों पर आसीन दिखाकर सदियों पुरानी सोच को बदलने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। मीडिया अध्ययनों को शिक्षक विद्यालय पाठ्यचर्या के एक भाग के रूप में प्रभावी तरीके से समावेशित कर सकते हैं। इन अध्ययनों से शिक्षक शिक्षार्थियों में उनकी विवेचनात्मक चिंतन की क्षमताओं को जगाकर आपत्तिजनक विषय-वस्तुओं के प्रति उन्हें संवेदनशील बना सकते हैं।

'जेंडर और हिंसा' शीर्षक के अंतर्गत पाँचवे मॉड्यूल में उन कानूनों के विषय में बताया गया है जो महिलाओं के प्रति अपराधों के सुधार के लिए हैं। यह मॉड्यूल इन कानूनों के विषय में जागरूकता विकसित करता है। इसमें न सिर्फ़ महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली हिंसा के प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है, बल्कि वास्तविक जीवन की घटनाओं के उदाहरण भी दिए गए हैं। इस मॉडयूल के अंत में उन शैक्षिक उपायों के सुझाव भी दिए गए हैं जिन्हें विद्यालय, समुदाय और समाज के स्तर पर अपनाकर महिलाओं के प्रति हिंसा और पुरुष की उत्पीड़क वृति को खत्म किया जा सकता है।

छठा मॉड्यूल 'जेंडर, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी' है। इसमें विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक भेदभावों तथा पूर्वाग्रहों और प्रतिकूल कार्य परिवेश के कारण विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की स्पष्ट अनुपस्थिति के विशेष संदर्भ में जेंडर भेदभाव पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कुछ व्यावहारिक अंत:क्षेप सुझाए गए हैं जिन्हें अपनाकर शिक्षक-प्रशिक्षक भेदभावों को दूर करके महिलाओं और लड़कियों को विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने और अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

व्यापक सैद्धांतिक चर्चा के साथ-साथ इस मॉड्यूल का उद्देश्य जेंडर संवेदनशीलता उत्पन करना भी है। इसमें कुछ व्यावहारिक अंत:क्षेप और कार्यनीतियाँ भी सुझायी गई हैं जिन्हें शिक्षा, विद्यालय में प्रवेश, मीडिया तथा अर्थव्यवस्था जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से समावेशित करके जेंडर समानता, निष्पक्षता और महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

मोना यादव,
प्रोफ़ेसर,
जेंडर अध्ययन विभाग

© NCERT not to be republished

पुस्तक निर्माण समिति

लेखक

किंकिणी दासगुप्ता, *वैज्ञानिक 'एफ'*, विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नयी दिल्ली

गौरी श्रीवास्तव, *प्रोफ़ेसर*, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

सीमा खन्ना, *फ्रीलांसर*

सरिता आनंद, *एसोसिएट प्रोफ़ेसर,* विकास संचार और विस्तार विभाग, लेडी इर्विन कॉलेज, नयी दिल्ली

हिन्दी अनुवादक

कुमकुम चतुर्वेदी, *स्वतंत्र अनुवादक*

समन्वयक

मोना यादव, *प्रोफ़ेसर*, जेंडर अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प. नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), टीम के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण सामग्री के विकास में उनके योगदान के लिए उनके प्रति आभारी है। प्रशिक्षण सामग्री के प्रत्येक खंड में उनके नाम दिए गए हैं। प्रशिक्षण सामग्री पहले अंग्रेज़ी में विकसित की गई, इसके संपादकों अनीता वैद्यनाथन, *स्वतंत्र शिक्षा सलाहकार*; नमिता रंगनाथन, *प्रोफ़ेसर,* केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय; नंदिता सिंह, *स्वतंत्र शिक्षा सलाहकार*; उषा नायर, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन; के योगदान के लिए परिषद् आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, समीक्षा समिति के सदस्यों चंद्रा सदायत, *प्रोफ़ेसर* (सेवानिवृत्त), रा.शै.अ.प्र.प.; सुषमा जयरथ, *प्रोफ़ेसर* (सेवानिवृत्त), रा.शै.अ.प्र.प.; अशोक एन सेलवत्कसर, एस.टी.टी., एम.ओ.ई; का भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने प्रशिक्षण सामग्री के हिंदी संस्करण को अंतिम रूप देने में सहयोग किया।

परिषद्, अनिल कुमार ठाकुर, *ए.पी.सी.*; रमेश चंदर, *सहायक,* आस्था प्रियादर्शिनी, *कनिष्ठ परियोजना अध्येता*, पवन कुमार, *डी.टी.पी. ऑपरेटर* और योगेश प्रताप सिंह, *कम्प्यूटर टाईपिस्ट* द्वारा पुस्तक निर्माण में प्रदान किए गए सहयोग के लिए भी आभारी है। पुस्तक के संपादन और इसे अंतिम रूप देने में सहयोग के लिए परिषद् प्रकाशन प्रभाग की मीनाक्षी, *सहायक संपादक* (संविदा) और सुरेंद्र कुमार, इंचार्ज *डी.टी.पी. सेल*; गंधर्व, *डी.टी.पी. ऑपरेटर* (संविदा) के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

© NCERT not to be republished

विषय-सूची

आमुख *iii*

प्रस्तावना v

1. सेक्स और जेंडर 1

2. जेंडर समानता और सशक्तीकरण के सूचक 8

3. जेंडर बजटिंग 32

4. जेंडर, मीडिया और शिक्षा 40

5. जेंडर और हिंसा 62

6. जेंडर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी 73

© NCERT not to be republished

© NCERT
not to be republished

मॉड्यूल 1

सेक्स और जेंडर

मॉड्यूल की रूपरेखा

1.1 परिदृश्य
1.2 भूमिका
1.3 उद्देश्य
1.4 रूढ़ियाँ क्या हैं?
1.5 सामान्य जेंडर संबंधी रूढ़ियाँ
1.6 जेंडर संबंध और भूमिकाएँ
1.7 संदर्भ

1.1 परिदृश्य

इस मॉड्यूल में 'सेक्स' (लिंग) और 'जेंडर' की संकल्पनाओं के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर की भूमिका और रूढ़ियों का पता लगाएँगे और यह भी जानेंगे कि इनमें परिवर्तन लाने में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है।

1.2 भूमिका

सेक्स का अर्थ स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से है, जबकि जेंडर से तात्पर्य उनके बीच सामाजिक रूप से निर्मित किए गए अंतरों से है। सामाजिक रूप से बनाए गए ये अंतर समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं। ये परिवर्तन किसी एक समाज में और एक से दूसरी भिन्न संस्कृति में अलग-अलग हो सकते हैं। हमारी

सेक्स	जेंडर
सेक्स प्राकृतिक है।	जेंडर एक सामाजिक-सांस्कृतिक निर्मिति है।
सेक्स जैविक है और इसका अर्थ जननांगों में स्पष्ट अंतर और प्रजनन कार्य से संबंधित अंतरों से है।	इसका अभिप्राय ऐसे पुरुषोचित और स्त्रियोचित गुण, व्यवहार, भूमिकाओं और दायित्वों से है जो समाज में मान्य हैं।
सेक्स स्थायी है और यह सर्वत्र समान रहता है।	जेंडर परिवर्तनशील है, यह एक से दूसरे काल, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति और एक परिवार से दूसरे परिवार तक में भी बदलता रहता है।
सेक्स को बिना जटिल चिकित्सीय हस्तक्षेप के परिवर्तित नहीं किया जा सकता।	जेंडर को परिवर्तित या पुनर्विन्यासित किया जा सकता है।

© NCERT not to be republished

लिंग संबंधी पहचान ही यह निर्धारित करती है कि समाज हमें किस दृष्टि से देखता है और पुरुष अथवा स्त्री के रूप में हमसे कैसे व्यवहार की उम्मीद की जाती है। सेक्स और जेंडर शब्दों के बीच प्रमुख अंतरों को पिछले पृष्ठ पर दिए गए बॉक्स में प्रदर्शित किया गया है।

1.3 उद्देश्य

- सेक्स, जेंडर और ट्रांसजेंडर की संकल्पना को समझना
- जेंडर संबंधी रूढ़ियाँ निर्मित करने में संस्कृति की भूमिका का विश्लेषण
- शिक्षा के उन तरीकों को समझना जिनमें महिलाओं द्वारा जेंडर संबंधी रूढ़ियों के प्रति आपत्ति और विरोध दर्ज करने में सहायता मिल सकती है।

1.4 रूढ़ियाँ क्या हैं?

जब हम बड़े होते हैं तो समाजीकरण की प्रक्रियाएँ हमारे आत्मबोध और स्वयं अपने तथा अपने आस-पास के लोगों से हमारी अपेक्षाओं का निरूपण करती हैं। इस प्रक्रिया में कुछ प्रतिमान और धारणाएँ भी एक पीढ़ी से दूसरी में संचरित हो जाती हैं।

रूढ़ियाँ सामान्यतः अनुचित रूप से आबद्ध मानसिक प्रभाव है अथवा ये व्यक्ति को अभिलक्षणों का एक उदाहरण बना देती हैं (ऑक्सफ़ोर्ड अंग्रेज़ी शब्दकोश)। जेंडर संबंधी रूढ़ियाँ पुरुषों और महिलाओं के विषय में सामाजिक रूप से निर्मित मान्यताएँ हैं। ये सामान्यतः कहावतों, गीतों, मुहावरों, मीडिया, धर्म, संस्कृति, रीति-रिवाजों, शैक्षिक व्यवहारों आदि में परिलक्षित होती हैं।

जेंडर संबंधी रूढ़ियों में समय के साथ और भिन्न संस्कृतियों में व्यापक परिवर्तन होते रहते हैं। यह तथ्य है कि जब हम शल्य चिकित्सक (सर्जन) शब्द सुनते हैं तो उसके रूप में एक 'पुरुष' की कल्पना करते हैं। यह बात दर्शाती है कि हम पुरुषों और महिलाओं के व्यवसायों के संबंध में किस प्रकार की धारणा और रूढ़िगत सोच रखते हैं। ये सभी बातें हमारे आस-पास की दुनिया के बारे में हमारी सोच को अत्यधिक प्रभावित करती हैं।

एक प्रारंभिक विद्यालय के किसी शिक्षक के बारे में विचार कीजिए। प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक को आप किस सेक्स से जोड़ते हैं? इसी तरह एक फैशन मॉडल के विषय में सोचिए?

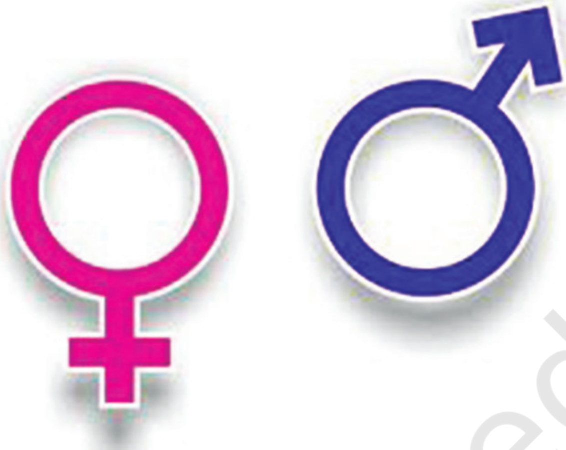

गुलाबी रंग लड़की और नीला रंग लड़के का संकेत करता है।

उसे आप किस सेक्स में शामिल करते हैं? अब एक इंजीनियर के बारे में सोचिए! एक इंजीनियर को आप किस सेक्स के साथ संबद्ध करते हैं?

अधिकांश व्यक्ति आज भी यही समझते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक और मॉडलिंग के क्षेत्र में महिलाएँ होती हैं तथा सामान्यतः इंजीनियर पुरुष होते हैं। रूढ़िबद्धता का आशय ऐसे व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित धारणाओं से है, जो सामाजिक वास्तविकता के अनुरूप नहीं भी हो सकती हैं।

रूढ़िबद्धता, एक ऐसी तस्वीर है जो हमारे मानस में होती है और यह आवश्यक नहीं है कि यह वास्तविक जगत के यथार्थ का प्रतिबिंब हो। जनसंचार समाजीकरण के मुख्य प्रतिनिधि की तरह कार्य करता है और परिवार और साथियों समेत जेंडर भूमिकाओं तथा जेंडर रूढ़ियों को निरूपित करने तथा जारी रखने में योगदान देता है।

हम अपने परिवेश में विशेषरूप से अपने घरों, विद्यालय और कार्यस्थल तथा रेडियो एवं दूरदर्शन, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में जो देखते हैं वह हमारे विचारों को प्रभावित करता है। हमारी कल्पना कौन क्या करने में सक्षम है, अकसर इस बात से संबंधित होती है जो हम अकसर होते देखते हैं। माता-पिता अपनी रूढ़िबद्धताओं को अनेक तरीकों से बच्चों को संप्रेषित करते हैं। भारतीय लड़कियाँ भय और असुरक्षा के गहन बोध के साथ बड़ी होती हैं, यह न सिर्फ़ दैनिक जीवन में उनकी सामाजिक गतिशीलता को सीमित कर देता है, बल्कि अकसर मनोवैज्ञानिक रूप से भी जीवन की कठिनाइयों और विशेषरूप से जेंडर आधारित भेदभाव का सामना करने में अक्षम भी बना देता

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 1

1. निम्नलिखित विशेषताओं को पुरुष अथवा महिला से संबद्ध कीजिए।

विशेषताएँ	महिला	पुरुष
निर्भर		
शक्तिशाली		
सक्षम		
भावनात्मक		
निर्णयकर्ता		
शक्तिशाली		
घर की देखभाल करना		
नेतृत्व		
चंचल		
दृढ़ता		
भीरू या डरपोक		
बहादुर		

यह सूची पूर्ण नहीं है, आप इसमें अन्य उदाहरण भी जोड़ सकते हैं।

आपने क्या पाया? अपनी प्रतिक्रियाओं का अवलोकन कीजिए। क्या आप इन प्रतिक्रियाओं से सहमत हैं? क्या आप यह समझते हैं कि आपकी राय बदल जाएगी?

....

....

है। जेंडर भूमिकाओं का यह विभाजन सीधे-सीधे उन प्रचलित मान्यताओं और धारणाओं से संबंधित है, जो समाज में बनी रहती हैं। यह परिदृश्य अधिकांश भारतीय परिवारों में अलग-अलग स्तर पर देखा जा सकता है। यह समझना आवश्यक है कि इस तरह का परिदृश्य महिलाओं के आत्मबोध पर गहरा प्रभाव डालता है।

1.5 सामान्य जेंडर संबंधी रूढ़ियाँ

आप में से कुछ लोग रूढ़िबद्ध हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। यह हमारी अपनी समझ है कि हम महिला अथवा पुरुष के विषय में क्या सोचते हैं। अन्य लोग इन रूढ़िबद्धताओं को चुनौती भी दे सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि इन रूढ़िबद्धताओं को उसी समाज ने निर्मित किया है जिसमें हम रहते हैं। ये रूढ़िबद्धताएँ हमारे स्वभाव से निर्देशित नहीं होती हैं। बचपन से ही किसी व्यक्ति में जैसे ही आत्मबोध का विकास होता है, इन रूढ़िबद्धताओं को समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा और पक्का कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया वहीं से आरंभ हो जाती है जब माता-पिता, लड़के और लड़कियों को खेलने के लिए अलग-अलग प्रकार के खिलौने देते हैं। इसके साथ ही लड़के और लड़कियों को लिए कपड़ों के प्रकार और रंगों में भी भेद जारी रखते हैं। धीरे-धीरे परिवार, साथी, विद्यालय, पुस्तकें और मीडिया इन्हें गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भले ही हमारी आयु, लिंग, रहने का स्थान और व्यवसाय चाहे कुछ भी हों।

जेंडर पहचान, हमारी मनोवैज्ञानिक जागरूकता अथवा पुरुष होने या महिला होने का बोध है और यह हमारे आत्मबोध के सबसे स्वाभाविक और महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ऐसे अनेक कारक हैं जो जेंडर पहचान का निर्धारण करते हैं। यह सामान्यतः हमारे गुणसूत्रीय लिंग (chromosomal sex) के अनुरूप होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जेंडर पहचान

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 2

1. नीचे दिए गए कार्य सेक्स अथवा जेंडर में से जिससे संबंधित हैं उस पर √ का चिह्न लगाइए।

कार्य	सेक्स	जेंडर
स्तनपान कराना		
खाना पकाना		
रजोधर्म		
दाढ़ी बढ़ना		
मुक्केबाजी		
आवाज़ भारी होना		

का निर्धारण जैविक रूप से होता है। व्यक्ति को पुरुष अथवा स्त्री के रूप में पाला जाता है। जेंडर पहचान को जैविक और मनोवैज्ञानिक कारकों से ही प्रभावित माना जाता है। जेंडर इस प्रकार महिला होने अथवा पुरुष होने के मनोवैज्ञानिक बोध और समाज द्वारा जेंडर के लिए आरोपित भूमिकाओं को आत्मसात करना है। यह एक जटिल संकल्पना है, जो आंशिक रूप से शरीर क्रिया विज्ञान; आंशिक रूप से व्यक्ति की मनोवृत्ति; आंशिक रूप से संस्कृति और परंपरा पर आधारित होती है। यह एक सामाजिक निर्मिति है। क्या समाज केवल महिला और पुरूष के बीच विभाजित है या कोई तीसरा लिंग (third sex) भी है।

जेंडर की सामाजिक निर्मिति— हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसमें पाई जाने वाली विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों या परिघटनाओं के अनुसार हम एक परिकल्पना निर्मित कर लेते हैं। हम उनके बारे में अपनी निजी समझ विकसित कर लेते हैं। परिस्थितियों का दिन-प्रतिदिन का यह बोध वास्तविकता की समजिक निर्मिति का आधार बनता है। सामाजिक निर्मिति एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति और व्यापक सामाजिक प्रक्रियाएँ भूमिका निभाती हैं। सामाजिक प्रक्रियाएँ, जैसे— समाजीकरण और शिक्षा, भी इन निर्मितियों को बनाने में मदद करती हैं। जेंडर भी इस प्रकार की सामाजिक निर्मिति का उदाहरण है। क्रियाकलाप 2 में दिए गए अभ्यास का अभिप्राय यह जानना है कि हम सेक्स और जेंडर के बीच के अंतर को समझते हैं या नहीं। स्तनपान कराना, रजोधर्म, दाढ़ी बढ़ना और आवाज़ भारी होना सेक्स से संबंधित जैविक प्रक्रियाएँ हैं। खाना पकाना और मुक्केबाजी पारंपरिक रूप से महिला और पुरुष से संबंधित क्रियाकलाप हैं जिनका कोई जैविक आधार नहीं है; अतः ये जेंडर के कार्य हैं।

1.6 जेंडर संबंध और भूमिकाएँ

जेंडर संबंध— यह सामाजिक रूप से बनाए गए हैं और यह जैविकता से व्युत्पन्न नहीं होते हैं। लिंग परिवर्तन जैसे अपवादों को छोड़कर जैविक अंतर दूसरों में स्थायी होते हैं। जेंडर संबंध और भूमिकाएँ गतिशील होती हैं। यह सामाजिक संबंधों और परस्पर क्रियाओं के इतिहास द्वारा निरूपित होते हैं। यह समय और स्थान के साथ लोगों के भिन्न समूहों के बीच बदलते रहते हैं। यह अन्य कारकों, जैसे— नस्ल, वर्ग, जातीयता और अशक्तता द्वारा भी प्रभावित हो सकते हैं।

जेंडर भूमिकाएँ— यह वे सामाजिक नियम-कायदे हैं, जो सामाजिक रूप से महिला और पुरुष के उपयुक्त व्यवहार को बताते हैं। पहले महिलाओं के लिए यह सामान्य था कि वे घर चलाने के लिए कमाने वाले पुरुष की अपेक्षा आज्ञाकारी गृहणी हों। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में इस सोच में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। वास्तव में भारतीय संविधान द्वारा एवं बाद में शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों से जेंडर भूमिकाओं के संबंध में यह मान्य हो गया है कि अब महिलाओं को पुरुषों से कमतर नहीं समझा जाता है। परंतु अभी भी यह अविवादित तथ्य है कि समाज में जेंडर भूमिकाएँ पाई जाती हैं।

© NCERT not to be republished

जेंडर भूमिकाएँ, परिवार और व्यवसाय समेत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर को भी प्रभावित करती हैं। बचपन से ही लड़कियों और लड़कों के साथ परिवार, विद्यालय तथा अन्य स्थानों पर अलग-अलग व्यवहार किया जाता है। लड़कियों को गुड़ियों, रसोई के बर्तनों और गुड़ियाघर जैसे खिलौनों से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जबकि लड़कों को कार, ट्रक, निर्माण संबंधी खेल और सैन्य खिलौने दिए जाते हैं। लड़के दमखम वाले खेल खेलते हैं और जब उन्हें चोट लगती है तो उन्हें 'कष्ट सहने' के लिए कहा जाता है। लड़कियों को अधिक सहनशील होना और अपनी भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त करना सिखाया जाता है। यह बहस यहीं से आरंभ होती है कि ये सेक्स भूमिकाएँ सही हैं या नहीं। क्या यह तथ्य कि हमारे साथ सेक्स के आधार पर भिन्न व्यवहार किया जाता है, जो हमें समानता तक पहुँचने से रोकता है अथवा हमारे साथ इसलिए भिन्न व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हम प्रकृति से ही भिन्न हैं।

कुछ ऐसी परिस्थिति जिनमें हमें जेंडर आधारित असमानताएँ दिखाई देती हैं वह निम्नलिखित हैं—

सामाजिक— महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक भूमिकाओं के लिए भिन्न दृष्टिकोण होता है। पुरुष को घर के मुखिया और आजीविका कमाने वाले की भूमिका में देखा जाता है जबकि महिला को पालन-पोषण और देखभाल करने वाली के रूप में देखा जाता है।

क्रियाकलाप 3

1. महिलाओं और पुरुषों के लिए जैविक और सामाजिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं को निम्नलिखित तालिका में लिखिए।

	जैविक रूप से निर्धारित भूमिकाएँ	सामाजिक रूप से गढ़ी गई भूमिकाएँ
घर		
कार्यस्थल		
समुदाय		

2. निम्नलिखित में से जेंडर भूमिकाओं की पहचान कीजिए।
   - महिलाएँ बच्चों को जन्म देती हैं, पुरुष नहीं।
   - लड़कियाँ कोमल और दब्बू होती हैं; लड़के दृढ़ और साहसी होते हैं।
   - अनेक देशों में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 70 प्रतिशत ही कमाती हैं।
   - महिलाएँ शिशुओं को स्तनपान करा सकती हैं।
   - महिलाओं पर बच्चों को पालने की ज़िम्मेदारी होती है।
   - पुरुष निर्णय लेने वाले होते हैं।
   - लड़कों की आवाज़ किशोरावस्था में भारी हो जाती है।
   - महिलाओं को जोखिम भरे कामों जैसे भूमिगत खदानों में कार्य करने की मनाही होती है।

© NCERT not to be republished

राजनीतिक— उन तरीकों में अंतर जिनमें महिलाएँ और पुरुष सत्ता और अधिकार को अपनाते और उनमें भागीदारी करते हैं। पुरुष राष्ट्रीय तथा उच्च स्तर की राजनीति में अधिक संलिप्त होते हैं। महिलाएँ स्थानीय स्तर पर अपनी घरेलू भूमिकाओं से जुड़े क्रियाकलापों से अधिक संबद्ध होती हैं।

शैक्षिक— अकसर लड़कियों और लड़कों के शैक्षिक अवसरों में अंतर तथा उनसे अपेक्षाओं में भिन्नता देखी जाती है। परिवार लड़के की शिक्षा पर लड़की की शिक्षा की तुलना में अधिक संसाधनों का निवेश करते हैं। लड़कियों को कम चुनौतीपूर्ण शैक्षिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिलाया जा सकता है।

आर्थिक— महिलाओं और पुरुषों में आकर्षक रोज़गार तक पहुँच एवं वित्तीय तथा अन्य उत्पादक संसाधनों, जैसे— क्रेडिट और ऋण, भूस्वामित्वों के नियंत्रण आदि में अंतर देखा जा सकता है।

जनन संबंधी भूमिका ही एकमात्र ऐसी भूमिका है, जो जैविक रूप से निर्धारित है। घर, समाज और कार्यस्थल की भूमिकाओं को इन जैविक भूमिकाओं पर आरोपित कर दिया गया है। इस प्रकार यह मान लिया गया है कि महिलाएँ बच्चों को जन्म देती हैं, अतः उन्हें बच्चों की और घर की देखभाल करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें समाज में भी स्वैच्छिक रूप से देखभाल संबंधी सेवाएँ देनी चाहिए। जेंडर रूढ़िबद्धता कार्यस्थल पर भी देखने को मिलती है। एक ओर जहाँ महिलाएँ प्रमुख रूप से 'देखरेख' वाले व्यवसायों, जैसे— शिक्षिका, चिकित्सक, सचिव, नर्स, घरेलू कर्मी आदि जैसे व्यवसायों में हैं। वहीं, दूसरी तरफ पुरुषों को प्रदाता और सुरक्षा करने वाला माना जाता है। वे समुदाय तथा कार्यस्थल पर 'नियंत्रक' का कार्य करते हैं, जैसे— वे राजनेता, प्रबंधक और निर्णय लेने वाले की भूमिका में, उद्योग, सेना, व्यापार आदि में कार्य करने वाले होते हैं।

जनन कार्यों में महिलाओं द्वारा बच्चे को जन्म देने और उनका पालन-पोषण करने का दायित्व तथा घरेलू कार्य सम्मिलित हैं। उनसे संतानोत्पत्ति के साथ घर के रखरखाव की भी अपेक्षा की जाती है। इसमें न सिर्फ़ जैविक जनन, बल्कि परिवार यानी पति, संयुक्त परिवार में बड़े-बुजुर्गों और काम करने वाले बच्चों तथा भावी कार्यबल अर्थात् शिशुओं और विद्यालय जाने वाले बच्चों की देखभाल करना सम्मिलित है।

उत्पादक कार्य, महिलाओं और पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वह कार्य है जिसमें भुगतान नगद या वस्तुओं के आदान-प्रदान के रूप में मिलता है। इसमें दोनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य सम्मिलित होते हैं। इसमें बाज़ार में उत्पादित वस्तुएँ, जिसका विनिमय मूल्य होता है तथा निर्वहन या घरेलू उत्पादन दोनों सम्मिलित हैं, जिसका वास्तविक उपयोग मूल्य होता है। इसमें घर से कार्य करने वाली कार्मिक, शिल्पकार या दस्तकार और हस्तशिल्पी महिलाएँ भी सम्मिलित हैं। महिला कृषि उत्पादन में वे महिलाएँ सम्मिलित हैं जो या तो स्वयं स्वतंत्र किसान हैं या किसानों की पत्नियाँ हैं या दिहाड़ी पर काम करने वाली हैं।

सामुदायिक प्रबंधन में प्राथमिक रूप से महिलाओं द्वारा समाज के स्तर पर अपनी जनन संबंधी भूमिका के विस्तार के रूप में किए जाने वाले कार्य सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले अल्प-संसाधनों की व्यवस्था एवं प्रबंधन करना है, जैसे— जल संचयन, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, शिक्षा में सहायता आदि। यह सभी कार्य अवैतनिक हैं जो महिलाएँ अपने खाली समय में करती हैं।

अब सबसे महत्वपूर्ण अधिगम या सीख यह है कि जब हमारा मानस सामाजिक रूप से निर्देशित भूमिकाओं की प्रासंगिकता पर प्रश्न करना आरंभ कर देता है तो वह परिवर्तन की दिशा में पहला कदम होता है। शिक्षक, पुस्तकें, विद्यालय पाठ्यचर्या और विद्यालय का परिवेश ऐसे प्रभावी उत्प्रेरक हैं, जो अपने विचारों और कार्यों से इस परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए एक संवेदनशील शिक्षक को विद्यार्थियों को एक जेंडर उदासीन परिवेश देने का प्रयास करना चाहिए। इसमें साथ ही लड़के और लड़कियों के बीच जेंडर संवेदनशीलता निर्मित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके, जो अधिक समतापरक और रूढ़िबद्धता से अपेक्षाकृत मुक्त हो।

ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म से प्राप्त लिंग से उनका व्यवहार मेल नहीं खाता ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहते हैं। इसमें ट्रांस-पुरुष या ट्रांस-महिलाएँ शामिल हैं (चाहे ऐसे व्यक्ति सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी या हार्मोन थेरेपी या लेजर थेरेपी या ऐसी अन्य किसी थेरेपी से गुजरें हों या नहीं), इंटरसेक्शुअल वेरिएशन वाले व्यक्ति, जेंडर क्यूअर और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति जैसे— किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगता।

जेंडर, जन्म प्रमाणपत्र और राशन कार्ड आदि हमारे पहचान के प्रत्येक दस्तावेज़ में दर्ज होता है। इसी प्रकार सार्वजनिक सुविधाएँ,

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 4

1. जेंडर रूढ़ियाँ क्या है?

....

....

2. वे कौन-से तरीके हैं जिनके द्वारा जेंडर भूमिकाएँ स्थापित होती हैं?

....

....

3. कक्षाओं को जेंडर निरपेक्ष बनाने में शिक्षक क्या भूमिका निभा सकते हैं? अपने उत्तर को दो उपयुक्त उदाहरण देकर विस्तार से समझाइए।

....

....

जैसे— शौचालय, जेंडर विशिष्ट होती हैं। इसलिए ट्रांसजेंडर उन अनेक अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जिन्हें भारत का नागरिक होने के कारण अन्य व्यक्ति प्राप्त करते हैं।

वे सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी से वंचित रहते हैं, क्योंकि उनका परिवार और समाज द्वारा अकसर परित्याग कर दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सार्वजनिक स्थलों तक सीमित पहुँच ही होती है। इसमें आश्चर्य नहीं है कि ये समुदाय यह मानते हैं कि उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, अर्थव्यवस्था, राजनीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी करने से वंचित रखा जाता है।

भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। समाज और परिवार से उनका बहिष्करण शिक्षा तक उनकी पहुँच की प्रमुख बाधाओं में से एक है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति अलगाव और भेदभाव उनके परिवार से ही आरंभ हो जाता है। इसलिए यह स्पष्ट करने के लिए कि ट्रांसजेंडर भी समाज का हिस्सा हैं और उनके भी वही अधिकार हैं, जो अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं इस संदर्भ में माता-पिता और शिक्षक समेत सभी को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।

अब, सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि जब हमारा दिमाग सामाजिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं की प्रासंगिकता पर सवाल उठाना शुरू करता है, तो यह बदलाव की दिशा में पहला कदम है। शिक्षक, किताबें, स्कूल के पाठ्यक्रम और स्कूल का वातावरण तभी शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकते हैं जब अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से इस परिवर्तन की शुरुआत करेंगे। इसलिए, एक संवेदनशील शिक्षक विद्यार्थी को जेंडर तटस्थ वातावरण प्रदान करने का प्रयास करें। शिक्षक लड़के, लड़कियों और ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच जेंडर सवेदनशीलता पैदा करने की भी कोशिश करेंगे, जो कि अधिक न्यायसंगत है और अपेक्षाकृत स्वतंत्र रूप से रूढ़ियों से मुक्त हो सकेंगे, ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके।

1.7 संदर्भ

- *ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी*
- भसीन, के. 2000. *अंडरस्टैंडिग जेंडर*. काली फॉर वुमेन, नयी दिल्ली
- सामाजिक न्याय एवं सशस्तीकरण मंत्रालय, (2014), *रिपोर्ट ऑफ़ दि एक्सपर्ट कमिटी ऑन दि रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स*
- http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/Binder2.pdf

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 2

जेंडर समानता और सशक्तीकरण के सूचक

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल की रूपरेखा

2.1 परिदृश्य
2.2 भूमिका
2.3 उद्देश्य
2.4 संकेतक को किन बातों को दायरे में लेने का प्रयास करना चाहिए
2.5 जेंडर मुद्दों को समझने के लिए गुणात्मक संकेतकों के प्रकार
2.6 भारतीय परिप्रेक्ष्य
2.7 लड़कियों और महिलाओं के सशक्तीकरण संबंधी मात्रात्मक संकेतक— एक जीवन-चरणीय दृष्टिकोण
2.8 लड़कियों और महिलाओं का आत्म सम्मान और आत्म विश्वास बढ़ाना
2.9 महिलाओं और लड़कियों की सकारात्मक छवि — समाज, राजतंत्र और अर्थव्यवस्था में योगदान
2.10 विवेचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना
2.11 सामूहिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्णय लेने और कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना
2.12 लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य (विशेष रूप से जनन स्वास्थ्य) के प्रति जागरूक एवं विकल्प चुनने हेतु सक्षम बनाना
2.13 विकासात्मक प्रक्रियाओं में समान भागीदारी सुनिश्चित करना
2.14 आर्थिक आत्मनिर्भता के लिए जानकारी, ज्ञान और कौशल प्रदान करना
2.15 संदर्भ

2.1 परिदृश्य

शिशु अवस्था से लेकर वयस्क होने तक लड़कियों और महिलाओं के समग्र विकास को जानने के लिए जेंडर समानता और सशक्तीकरण का मानचित्रण करना आवश्यक है। शिक्षा पर हुए विमर्श ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि स्वतंत्रता पश्चात् समावेशन की प्रक्रिया को सशक्त करने के लिए जो अनेक नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाएँ बनाई गईं उनमें बच्चों की जाति, वर्ग, जेंडर और स्थान आदि के भेदभाव के बिना सभी के लिए अवसरों की समानता पर ज़ोर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनेक कार्यक्रम विद्यालय में बच्चों के अधिक संख्या में नामांकन और उनके वहाँ बने रहने (retention) के लिए बनाए गए हैं। 98 प्रतिशत बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उनके आवास स्थान से एक किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराई गई है। इसी प्रकार

लगभग 92 प्रतिशत बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय उनके आवास से तीन किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध हैं। कुल नामांकन अनुपात सभी सामाजिक श्रेणियों में काफ़ी बढ़ गया है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है और प्राथमिक से उच्च प्राथमिक चरण तक पहुँचने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है (निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009, के क्रियान्वयन पर समिति की रिपोर्ट, पृष्ठ 1)। यद्यपि कक्षा प्रक्रियाओं पर अध्ययनों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि शिक्षक विभिन्न विषयों को पढ़ाते समय प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों में, विशेषरूप से हाशिए के समूहों की लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं। यह बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है।

यह मॉड्यूल जेंडर समानता और सशक्तीकरण से संबंधित गुणात्मक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (National Policy on Education), और क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम (Programme of Action) 1992 की सिफ़ारिशों पर आधारित है। महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित प्रत्येक मापदंड की पहचान करके उसे संकल्पनात्मक रूप दिया गया है। इन मापदंड को एक संकेतक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जिसके लिए जानकारी का गुणात्मक रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। संकेतकों की सूची का उपयोग विभिन्न व्यवहार स्थितियों में किया जा सकता है और संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार इसमें रूपांतरण किए जा सकते हैं।

2.2 भूमिका

वर्तमान सहस्त्राब्दी के आरंभ ने विश्व के अनेक देशों को शिक्षा तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में निष्पक्षता और समानता के लिए संघर्ष करते देखा गया है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals) ने पहले ही इस चर्चा के लिए आधारभूमि तैयार कर ली है कि सार्वभौमिक रूप से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना और जेंडर समानता को बढ़ावा देना विश्व के सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों की प्राथमिकता में होना चाहिए। शिक्षा में जेंडर मुद्दों के संदर्भ में नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों द्वारा निरंतर महसूस किया जा रहा है कि यद्यपि विश्व में महिलाएँ कार्य घंटों में 2/3 भाग का योगदान करती हैं, लेकिन वे कुल आय का 1/3 कमाती हैं और विश्व संसाधनों में 1/10 से भी कम का स्वामित्व रखती हैं। यही नहीं, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ज्ञान-शक्ति से भी अलग रखा जाता है। अतः आर्थिक वृद्धि की प्रक्रियाओं को अधिक जेंडर समावेशी बनाने के लिए आर्थिक विकास एवं अन्य विकास हेतु जेंडर विभेद की दूरी को पाटने की आवश्यकता है। विश्व के अधिकांश विकासशील देशों ने जेंडर संवेदनशीलता को मुख्यधारा में अपना लिया है।

शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर जेंडर और वर्ग की असमानताओं का समाधान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में बीजिंग प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉर एक्शन के बाद से दुनिया के अनेक विकासशील देशों द्वारा ऐसे कदम उठाए गए हैं, जहाँ जेंडर संवेदी संकेतकों को विकसित करने के लिए विशेष महत्व दिया गया है। यह सोचा गया था कि ये सूचक उन कारकों की पहचान करने में सहायक होंगे, जो सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की गति को बढ़ा देंगे। इन संकेतकों का केंद्र बिंदु उस समस्त जानकारी को प्रकाश में लाना था, जो गहराई से सामाजिक वास्तविकताओं का प्रतिचित्रण कर सके।

वर्तमान में शिक्षा क्षेत्र में कुछ जेंडर विसंकलित सूचक का का उपयोग लिंग अनुपात, जनसंख्या, विवाह की औसत आयु, शिशु मृत्युदरों, कार्य भागीदारी दरों, साक्षरता, नामांकन, स्कूल बीच में छोड़ देने वाले बच्चों, जेंडर समानता और परिवर्तन की दरों से संबंधित आदि पर समता और सशक्तीकरण पर जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इनके अतिरिक्त महिला सशक्तीकरण और मानव विकास पर कुछ अंतरराष्ट्रीय संकेतक भी हैं, जो वैश्विक परिदृश्य को प्रदर्शित करने और विश्व के विभिन्न देशों के बीच तुलनाओं को बढ़ावा देने में भी सहायक हैं।

जेंडर संवेदी संकेतकों का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं विशेष रूप से जेंडर से संबंधित सामाजिक परिवर्तनों का पता लगाना है। यह इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि जिस स्थिति का मापन अथवा मूल्यांकन किया गया है कि वह क्यों हुई है और इसे कैसे सुधारा, बढ़ाया अथवा परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही, संकेतक उन विभिन्न विरोधाभासों का पता लगाने में भी सहायक होते हैं, जो समाज में विद्यमान हैं। संकेतक यह भी बताते हैं कि उनको उचित रूप से संबोधित किया गया है अथवा नहीं। इस प्रकार,

© NCERT not to be republished

ये समता या निष्पक्षता और समानता, नीति शब्दाडंबर और वास्तविकता के बीच अंतर, शैक्षिक प्रावधानों की माँग और आपूर्ति, जेंडर आवश्यकताओं के व्यवहार और कार्यनीति तथा रूपांतरणीय तथा विद्यमान सामाजीकरण को समझाने में सहायक हैं।

मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतकों के अपने लाभ हैं। ये किसी प्रक्रिया, परिदृश्य अथवा परिघटना को समझाने में उपयोगी होते हैं। ये समझना आवश्यक है कि गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतक दोनों एक-दूसरे के पूरक होते हैं। अनुसंधानकर्ता, नीति निर्माता और व्यावसायिक किसी दी गई सामाजिक परिघटना के अध्ययन के लिए दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। संकेतक मात्रात्मक अथवा गुणात्मक हो सकते हैं। ये परस्पर विशिष्ट नहीं होते हैं।

2.3 उद्देश्य

- भागीदारों या विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के गुणात्मक संकेतकों से परिचित करवाना।
- भागीदारों या विद्यार्थियों को गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के बीच अंतर और पूरकता को समझाने में सक्षम बनाना।
- भागीदारों या विद्यार्थियों को अपने संदर्भ से संबंधित गुणात्मक संकेतकों का विश्लेषण करने में उनकी सहायता करना।
- भागीदारों या विद्यार्थियों को उनमें अपनी क्षेत्र स्थिति के लिए उपयुक्त संकेतकों को विकसित करने और उनका उपयोग करने की क्षमता विकसित करना।

2.4 संकेतक को किन बातों को दायरे में लेने का प्रयास करना चाहिए

प्रत्येक संकेतक यथार्थ, अर्थपूर्ण, मापन योग्य होना चाहिए और इसे गुणात्मक मुद्दों पर भी प्रकाश डालना चाहिए। संकेतकों को बनाते समय निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना चाहिए—

- क्या संकेतक महिला अधिकारों, जैसे जेंडर समानता की प्राप्ति अथवा महिला सशक्तीकरण को सुगम बनाने के संदर्भ में निष्कर्षों अथवा परिणामों को मापते हैं?
- क्या संकेतक उन प्रक्रियाओं को मापते हैं, जिनके द्वारा जेंडर समानता और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया अथवा अवरोधित किया जा सकता है?
- क्या संकेतक बाधाओं और अवसरों का पता लगाते हैं? उदाहरण के लिए, आर्थिक सुविधाएँ या योजनाएँ, सामाजिक अवसर और हस्तक्षेप के तकनीकी पहलू आदि।
- क्या संकेतक सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं पर विचार करते हैं?
- किस प्रकार के आँकड़ों पर निर्भरता होनी चाहिए?

2.5 जेंडर मुद्दों को समझने के लिए गुणात्मक संकेतकों के प्रकार

- **स्थिति केंद्रित संकेतक**— ये विशिष्ट रूप से महिलाओं के जीवन और कार्य स्थितियों को बताते हैं। इसके साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान भी करते हैं जहाँ सरकार अथवा समाज द्वारा विशिष्ट हस्तक्षेप किए जा सकते हैं।
- **सक्षमता केंद्रित संकेतक**— ये वे संकेतक हैं जो ये बताते हैं कि महिलाएँ किस प्रकार अपने अवसरों को लेती और कार्यान्वित करती हैं और कैसे वे बाधाओं या अवरोधों से निपटती हैं। ये उन हस्तक्षेपों की योजना बनाने के लिए स्थान की तलाश करते हैं जो न सिर्फ़ वास्तविक अनुभवों से प्रेरित होते हैं, बल्कि ये उन हस्तक्षेपों के निरूपण में महिलाओं की भागीदारी भी संभव बनाते हैं। सक्षमता केंद्रित संकेतक उन अधिकारों के परीक्षण से व्युत्पन्न होते हैं, जिन्हें हस्तक्षेपों द्वारा संबोधित किया जाता है।
- **व्यावहारिक जेंडर आवश्यकता आधारित संकेतक**— ये वे संकेतक हैं जो तात्कालिक और अल्पावधि आवश्यकताओं और उन बाध्यताओं को संबोधित करते हैं, जिनका लड़कियाँ और महिलाएँ अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में सामना करती हैं।
- **कार्यनीति परिवर्तन केंद्रित संकेतकों**— इन संकेतकों का अर्थ है अधिक दीर्घ अवधि के रूपांतकारी परिवर्तनों से है, जैसे कि वे जो असमानताओं के संरचनात्मक मुद्दों, जैसे— वर्ग, जाति और जेंडर को संबोधित करते हैं। क्रियाकलाप 1 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिससे आपको अभी तक जो आपने पढ़ा है उसे यथार्थ स्थितियों में लागू करने में सहायक होगा।

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 1

1. एक ऐसा संकेतक तैयार कीजिए जिससे कि आप अपने विद्यालय के शिक्षकों और स्वयं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकें।

   ....

   ....

2. 'महिलाओं के सशक्तीकरण के एक साधन के रूप में व्यावहारिक और कार्यनीतिक जेंडर आवश्यकता' विषय पर एक वाद-विवाद का आयोजन कीजिए।

   ....

   ....

3. निम्नलिखित तालिका को सूची में दिए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पूरा कीजिए (अपनी समझ के अनुसार इन्हें स्थान देने के बाद इस पर एक परिचर्चा कीजिए।)

क्र.सं.	मुद्दे	व्यावहारिक जेंडर आवश्यकताएँ	कार्यनीतिक जेंडर आवश्यकताएँ
1.	वेतन		
2.	कार्य स्थितियाँ		
3.	आधारभूत सुविधाएँ		
4.	अवकाश के नियम		
5.	नियुक्ति		
6.	तैनाती		
7.	भूमिकाएँ		
8.	दायित्व		
9.	मातृत्व अवकाश		
10.	प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्ति		
11.	अन्य		

2.6 भारतीय परिप्रेक्ष्य

संवैधानिक प्रावधान, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (NPE, 1986) और प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (1992) जेंडर समानता और सशक्तीकरण से संबंधित गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतक दोनों को प्रभावित करने वाले मार्गदर्शक हैं। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख नीतिगत उदाहरण दिए हैं— (4.2) शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। अतीत से चली आ रही विकृतियों और विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट सुझाव महिलाओं के पक्ष में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था महिलाओं के सशक्तीकरण में सकारात्मक हस्तक्षेपकर्ता की भूमिका निभाएगी। यह पुनर्निमित पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षकों के प्रशिक्षण, निर्णय लेने वालों और प्रशासकों तथा शिक्षा संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा नए मूल्यों के विकास को बढ़ावा देगी। यह विश्वास और सामाजिक अभियंत्रिकी का कार्य होगा। महिला अध्ययन को विभिन्न पाठ्यक्रमों के भाग के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा और शैक्षिक संस्थानों को महिलाओं के और अधिक विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

© NCERT not to be republished

(4.3) महिलाओं की निरक्षरता दूर करने और प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुँच को रोकने वाली बाधाओं को दूर करके उन्हें विद्यालय में रोके रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए विशेष सहायता सेवाओं, समय निर्धारित लक्ष्यों को स्थापित करने और प्रभावी परिवीक्षण/निगरानी करने के प्रावधान हैं। प्रमुख महत्व महिलाओं की रोज़गारपरक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर भागीदारी को बढावा दिया जाएगा। रोज़गारपरक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सेक्स रूढ़िबद्धता या लिंग आधारित रूढ़िबद्धता को दूर करने तथा गैर-पारंपरिक व्यवसायों के साथ ही विद्यमान और आने वाली प्रौद्योगिकियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भेदभाव नहीं करने की नीति को सशक्त रूप से अपनाया जाएगा।

(स्रोत— राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, पृष्ठ 6)

प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (1992) ने वास्तव में महिला सशक्तीकरण के विभिन्न मापदंड प्रदान किए हैं। ये निम्नलिखित हैं—

- महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाना।
- समाज, राजशासन और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को स्वीकार करके उनकी सकारात्मक छवि का निर्माण करना।
- समीक्षात्मक रूप से सोचने की क्षमता का विकास करना।
- सामूहिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्णय लेने और कार्य करने को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य, विशेष रूप से जनन स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को जानकारी के साथ विकल्पों का चयन करने में सक्षम बनाना।
- विकासात्मक प्रक्रियाओं में समान भागीदारी को सुनिश्चित करना।
- आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जानकारी, ज्ञान और कौशल प्रदान करना।
- न्यायिक साक्षरता और समाज में उनके अधिकारों और उपाधियों से संबंधित जानकारी तक उनकी पहुँच को बढ़ावा देना, जिससे सभी क्षेत्रों में उनकी समान स्तर पर भागीदारी संभव हो सके।

लड़कियों या महिलाओं के सशक्तीकरण की बात को महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति (National Policy for the Empowerment of Women 2001) में पुनः दोहराया गया है। नीति कहती है कि— महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित की जाएगी। भेदभाव को दूर करने, शिक्षा के सार्वजनीकरण, निरक्षरता दूर करने, जेंडर संवेदी शिक्षा प्रणाली निर्मित करने, लड़कियों की नामांकन दर बढ़ाने और उन्हें विद्यालय में बनाए रखने एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने व महिलाओं द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी कौशलों को विकसित करने के लिए विशेष उपाय किए जाएँगे। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में जेंडर अंतर को कम करना मुख्य कार्य होगा। लड़कियों और महिलाओं विशेषरूप से अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। विद्यमान नीतियों में खंडीय रूप से निर्धारित समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। शिक्षा तंत्र के सभी स्तरों पर जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या को विकसित किया जाएगा जिससे सेक्स रूढ़ियों को जेंडर भेदभाव के एक कारण के रूप में संबोधित किया जा सके।

(स्रोत— महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति, 2001 पृष्ठ 11)

इस मॉड्यूल में उन विभिन्न संकेतकों का पता लगाने का प्रयास किया गया है, जो लड़कियों या महिलाओं के समग्र व्यक्तित्व विकास से संबंधित गुणात्मक परिवर्तनों को संभवतः प्रतिचित्रित कर सकते हैं। इस संदर्भ में एक जीवन-चक्र दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जो महिलाओं के भौतिक अस्तित्व के पूरे काल पर विचार करता है। संकेतक उन सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित है जो व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही पाठ्य और संदर्भ स्थितियों से संबंधित संकेतकों की भी चर्चा की गई है। इन संकेतकों को संदर्भ की आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया, लागू और रूपांतरित किया जा सकता है।

2.7 लड़कियों और महिलाओं के सशक्तीकरण संबंधी मात्रात्मक संकेतक— एक जीवन-चरणीय दृष्टिकोण

जीवन-चरणीय दृष्टिकोण में बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता को विकासात्मक रूप से एक-दूसरे से जुड़ी हुई अवस्थाओं के रूप में देखा जाता है। बचपन, शैशवास्था के बाद पहली अवस्था होती है, जो प्रारूपिक रूप से जीवन के पहले वर्ष के पश्चात् आरंभ होती है और बच्ची के किशोरी होने पर

© NCERT not to be republished

किशोरावस्था में परिवर्तित हो जाती है। चूँकि इसकी काल अवधि अनेक वर्ष की होती है, इसी कारण इसे अकसर आरंभिक, मध्य और उत्तर बचपन में विभाजित कर दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक उप-अवस्था को विशेषताओं और क्षमताओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे बच्ची करने में सक्षम होती है। यह फिर इसका निर्धारण करता है कि बच्ची को क्या शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जा सकता है। विद्यालय पाठ्यचर्या भी इन्हीं पर आधारित होती है। बच्ची के विकास को सुगम बनाने वाले हस्तक्षेप भी बच्ची के विकासात्मक प्रोफ़ाइल पर आधारित होते हैं।

किशोरावस्था, विकास की संक्रामी (transitional) अवस्था है जो बचपन और वयस्कता के बीच की अवस्था होती है। इस अवस्था में जैविक (अर्थात् तरूण अवस्था के) सामाजिक, बोधात्मक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। जैविक अर्थात् शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का मापन सबसे आसान होता है, लेकिन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों का मात्रात्मक रूप से मापन कठिन होता है। तरूण अवस्था 13 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 19 वर्ष तक रहती है। यद्यपि किशोरावस्था का अंत और वयस्कता का आरंभ विभिन्न क्षेत्रों और देशों में अलग-अलग होता है। वयस्कता लंबी और विस्तारित प्रावस्था है जिसमें युवा, वयस्क और प्रौढ़ उप-अवस्थाएँ सम्मिलित हैं। प्रत्येक उप-अवस्था की अपनी विशेषताएँ और चुनौतियाँ हैं।

जीवन-चक्र दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बचपन, किशोरावस्था और वयस्कता के बीच विकास करता है। अतः एक बच्ची, बालिका, किशोर लड़की और महिला सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है और संकेतक उन सभी पर लागू होंगे।

आगामी अनुभागों में जिन संकेतकों की चर्चा की गई है उन्हें प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (1992) से लिया गया है। इनमें उन गुणों पर चर्चा की गई है जिन्हें लड़कियों में विकसित किया जाना चाहिए, साथ ही इसका व्यापक लक्ष्य उनका समग्र व्यक्तित्व विकास करना है।

2.8 लड़कियों और महिलाओं का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाना

आत्मसम्मान एक शब्द है जिसका उपयोग मनोविज्ञान में व्यक्ति के समग्र मूल्यांकन अथवा उसके निजी महत्व को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आत्मसम्मान में स्वयं के विषय में यह धारणा, जैसे— 'मैं सक्षम हूँ' अथवा 'मैं अक्षम हूँ' और भावनाएँ, जैसे— विजय, निराशा, गर्व और शर्म, सफलता और असफलता आदि सम्मिलित होती हैं। किसी लड़की या महिला का आत्मसम्मान उसके व्यवहार में प्रदर्शित हो सकता है। अतः कोई लड़की साहसी और आग्रही अथवा शर्मीली और संकोची आदि हो सकती है।

अकसर कार्य और अपेक्षित व्यवहार में जेंडर आधारित विभेद के कारण लड़कियों को अपना आत्मसम्मान विकसित करने के अधिक अवसर नही मिलते हैं। आत्मसम्मान के विकसित होने के लिए एक लड़की को अपना महत्व पता होना चाहिए। आत्म-महत्व तब होता है जब लड़कियाँ महसूस करती हैं कि उनको महत्व दिया जा रहा है और उनके पास सफलता के अनुभव होते हैं। वह मनोवैज्ञानिक परिवेश, जिसमें लड़कियाँ जीती हैं और बड़ी होती हैं उसमें उनका परिवार, मित्र, विद्यालय के अनुभव और समाज उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने अथवा उसे कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उसका अच्छा पालन-पोषण करके यह अनुभव करवा सकते हैं कि वह महत्वपूर्ण है और सफल होने के काबिल हैं। ऐसा करने से उसमें सकारात्मक आत्मसम्मान का भाव विकसित होने में सहायता मिलेगी। जब अभिभावक नकारात्मक दिशा में काम करते हैं, तो उसका परिणाम कम आत्मसम्मान के रूप में देखने को मिलता है।

आत्मविश्वास किसी व्यक्ति का अपने निर्णय, क्षमता, शक्ति आदि में यथार्थ विश्वास है। यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास है तो यह उसके अपने व्यक्तित्व में और किस प्रकार वह दूसरों के साथ व्यवहार करता है, इसमें दिखाई देगा।

आत्मसम्मान या आत्मविश्वास किस प्रकार परिलक्षित होते हैं?

(1) रंगरूप

- कपड़े पहनने का तरीका
- शरीर की स्वच्छता (नाखून, बाल, दाँत, आँख)

(2) मुद्रा

- बैठने की
- खड़े होने की

© NCERT not to be republished

- झुकने की
- चलने की

(3) बातचीत करने का तरीका

(क) भाषा का प्रयोग
- मातृभाषा
- अंग्रेज़ी
- बहुभाषायी

(ख) अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता
- परिवार में
- मित्रों के बीच
- अन्य सामाजिक समूहों में

(ग) कक्षा प्रक्रियाएँ

(घ) प्रश्न करने या उत्तर देने में भागीदारी
- अपने निजी विचार रखते हैं।
- अतिरिक्त जानकारी देते हैं।
- सहमत नहीं होने पर शिक्षक को सही बताने की क्षमता होती है।

(ङ) कक्षा के बाहर के क्रियाकलाप
- संगीत
- नाटक
- वाद-विवाद
- निबंध प्रतियोगिता
- खेलकूद
- योग
- कोई अन्य

(च) अपने विचारों को व्यक्त करना
- विद्यालय पत्रिकाओं में
- समाचार पत्रों में
- अन्य प्रकाशनों में
- किसी अन्य मंच से

(4) व्यवहारगत पैटर्न
- भावनात्मक
- आग्रही या हठधर्मी
- भाग्यवादी
- प्रारंभक या प्रर्वतक
- स्वप्नदृष्टा
- असुरक्षित
- निर्भर
- आत्म-निर्भर
- बचकाना
- दूसरों पर निर्भरता

© NCERT not to be republished

- अपना पक्ष नहीं रख पाती है।
- ये नही जानती कि क्या कहना है।
- सहनशील
- असहनशील
- बिना प्रश्न किए निर्देशों को स्वीकार करने वाली
- अपनी राय या मत रखने से डरने वाली
- दब्बू या डरपोक
- निर्भीक या साहसी

(5) आवाज़

- स्पष्ट उच्चारण
- शब्द के उच्चारण का तरीका
- ऊँची आवाज़ में बोलना
- धीमी आवाज़ में बोलना
- बोलने में कुछ समय लेती हैं
- बोलने में कोई समस्या
- कोई अन्य

आत्मविश्वास वाले व्यक्तियों में अनिश्चितताओं और दबावों के बावजूद निर्णय लेने की क्षमता होती है। वे स्वयं पर भरोसा करते हैं और इसकी परवाह नहीं करते कि दूसरे व्यक्ति उनके विषय में क्या कहते अथवा सोचते हैं।

कुछ ऐसे तरीके जिनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास परिलक्षित होते हैं उन्हें नीचे बॉक्स में दिया गया है। नीचे सूचीबद्ध किए गए सभी बिंदुओं पर परिचर्चा की जा सकती है।

2.9 महिलाओं और लड़कियों की सकारात्मक छवि— समाज, राजतंत्र और अर्थव्यवस्था में योगदान

अमेरिका में 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में महिला अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। भारत में इस शब्द को सन् 1975 से पहचान मिली। महिलाओं से संबंधित मुद्दों को पाठ्यक्रमों और पाठ्यसामग्री में समावेशित करने के सरोकार को महिला अध्ययनों पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन (National Conference on Women's Studies, NCWS) 1981 में महत्व दिया गया था। महिला अध्ययनों पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा समीक्षा ने इस पर प्रकाश डाला कि पाठ्यचर्चा में महिला या लड़कियों के मुद्दे नहीं होते हैं। तब से महिलाओं के मुद्दों, अनुभवों और योगदानों को पाठ्यचर्या में समावेशित करने के लिए गंभीर सरोकार दिखाई दिए हैं। भारतीय संदर्भों में तैयार की गई पाठ्य सामग्रियों में विभिन्न क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं के योगदान की सकारात्मक छवि बनाने के उद्देश्य से दृश्य सामग्री और अन्य विषय-वस्तु से इसे प्रदर्शित करने के प्रयास किए गए हैं। यद्यपि 90 के दशक में महिला अध्ययन विभाग द्वारा किए गए अध्ययनों ने दर्शाया कि विभिन्न विषयों या क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को दर्शाने में रूढ़ियाँ स्पष्ट रूप से दिखती थीं। कुछ दक्षेस देशों के संदर्भ में भी यह तथ्य देखा गया था (श्रीवास्तव, 2008)।

महिलाओं के योगदान को सभी विकासात्मक प्रक्रियाओं में शमिल करना चाहिए इसके साथ ही उनके साथ केवल खाना पूर्ति करने से उद्देश्य बचना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 (एनसीएफ 2005) और शिक्षा में जेंडर के मुद्दों पर आधार पत्र (position paper on gender issues in education) में बहुत उपयुक्त तरीके से सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को ज्ञान की रचना करने के एक अभिन्न भाग के रूप में प्रकाश में लाने पर ज़ोर दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं के अनुभवों को सभी क्षेत्रों, जैसे—कृषि, मवेशी

© NCERT not to be republished

तथा अर्थव्यवस्था, के साथ अन्य सेवा क्षेत्रों में समावेशित किया गया है। दृश्य सामग्रियों में उन्हें सक्रिय भूमिकाओं में दर्शाया है, जिन्होंने पूरे इतिहास के क्रम में योगदान दिया है, उन्हें भी स्थान दिया गया है।

अनुकरणीय महिला व्यक्तित्व (role models) पर बने साहित्य को भी पाठ्य सामग्रियों को निर्मित करने में व्यापक स्तर पर उपयोग में लाया जा सकता है। उनके अनुभवों को पढ़ाने के अभिनव तरीकों द्वारा कक्षाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है।

पाठ्य सामग्रियों के लिए संकेतक

(क) पहचान आँकड़े

1. पाठ्यपुस्तक का शीर्षक
2. कक्षा
3. विषय
4. भाषा
5. लेखक दल
6. संपादक मंडल
7. प्रकाशन का माह और वर्ष
8. पृष्ठों की कुल संख्या

(ख) आवरण या पीछे के पृष्ठ— दृश्य सामग्री

क्र.सं.	निम्न को चित्रित करने वाले दृश्य	महिलाएँ या लड़कियाँ	पुरुष या लड़के	ट्रांसजेंडर समुदाय	कोई नहीं	सभी
1.	विद्यार्थी					
2.	शिक्षाविद्					
3.	व्यावसायिक					
4.	निर्माता					
5.	वे भूमिकाएँ जिनमें पात्रों को दर्शाया गया					
6.	कलाकार या रंगमंच के कलाकार (रंगकर्मी)					
7.	समाज के उत्कृष्ट योगदानकर्ता					
8.	प्रदर्शित की गई जंतु या पक्षी प्रजाति (स्पीशीज़)					
9.	कोई अन्य					

(ग) आवरण या पीछे का पृष्ठ— विषय-वस्तु

क्र.सं.	विषय-वस्तु	महिलाएँ या लड़कियाँ	पुरुष या लड़के	ट्रांसजेंडर समुदाय	कोई नहीं	सभी
1.	उपर्युक्त से संबंधित कहावतें और उदाहरण					
2.	थीम प्रदर्शन					
3.	दृश्य चित्र					

© NCERT not to be republished

(घ) रंगों का प्रतीकात्मक प्रदर्शन

(ङ) पहचान से संबंधित कोई अन्य विशेषता— जैसे कि

1. राष्ट्रीय
2. धार्मिक
3. भाषा संबंधी
4. भेदभाव रहित

(च) क्या संदर्भण का ध्यान रखा गया है?

(छ) विषय-वस्तु का संयोजन

अध्याय अनुसार विषय-वस्तु का विश्लेषण

1. अध्याय या पाठ संख्या
2. मूल विषय
3. पृष्ठों की कुल संख्या

क्र.सं.	मानक	पुरुष या लड़का	महिला या लड़की	ट्रांसजेंडर समुदाय	कितनी बार	सभी
1.	सभी सेक्स के लिए प्रयोग किए गए विशेषण					
2.	सर्वनाम या सामान्य शब्दों का उपयोग या नाम					
3.	व्यवसाय • प्राथमिक • तृतीयक • सेवा क्षेत्र					
4.	भूमिकाएँ • प्रशासक • निर्णय लेने वाले • नेता • निर्माता • समाज सुधारक • शिक्षाविद् • कोई अन्य					
5.	सभी दोनों सेक्स के साथ संबद्ध मूल्य					
6.	उपयोग की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियाँ					
7.	संबंधात्मक संदर्भों में प्रदर्शित पुरुष, महिलाएँ और ट्रांसजेंडर (के पिता, की माता, की बहन, की पत्नी, की पुत्री)					
8.	उल्लेख किए गए विद्यमान रीति-रिवाज • पर्दा • बाल विवाह • कन्या भ्रूण हत्या					

© NCERT not to be republished

	• दहेज • कोई अन्य					
9.	उल्लेख की गई कोई अन्य स्थानीय प्रथा या चलन					
10.	हिंसा का उल्लेख • शारीरिक • भावनात्मक					

(ज) क्या अध्याय में निम्न के संदर्भ में परस्पर विरोधी स्थितियों का उल्लेख है?

1. परिवार
2. विद्यालय
3. कक्षा
4. समुदाय या समाज
5. कार्य स्थल
6. राष्ट्रीय स्तर
7. अंतर्राष्ट्रीय स्तर
8. कोई अन्य

(झ) विरोधों को सुलझाने में कौन पहल करता है?

1. भिन्न क्षमताओं में पुरुष
2. भिन्न क्षमताओं में महिलाएँ
3. दोनों
4. राष्ट्र या सरकार
5. गैर-सरकारी संस्थाएँ
6. कोई अन्य

(ञ) विरोध को सुलझाने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है?

1. बल प्रयोग
2. सर्वसम्मति
3. विलंब या स्थगन
4. सकारात्मक समाधान सुझाना
5. कानून बनाना
6. कोई अन्य

(ट) क्या इसमें मानवाधिकारों का उल्लेख है? किन अधिकारों का उल्लेख किया गया है?

1. पुरुषों या लड़कों से संबंधित अधिकार
2. महिलाओं या लड़कियों से संबंधित अधिकार
3. पुरुषों या लड़कों से संबंधित कर्तव्य
4. महिलाओं या लड़कियों से संबंधित कर्तव्य
5. ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित अधिकार
6. ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित कर्तव्य

© NCERT not to be republished

(ठ) पाठ में दृश्य सामग्री

क्र.सं.	मानक	पुरुष या लड़के	महिला या लड़कियाँ	ट्रांसजेंडर समुदाय	कोई नहीं	सभी
1.	अनुकरणीय व्यक्तित्व					
2.	व्यावसायिक					
3.	ललित कलाएँ					
4.	कोई अन्य					

(ड) जेंडर और शांति पर आधारित मूल्यांकन अभ्यास

क्र.सं.	मानक	पुरुष या लड़के	महिला या लड़कियाँ	ट्रांसजेंडर समुदाय	कोई नहीं	सभी
1.	ज्ञान					
2.	जेंडर और शांति की समझ					
3.	संप्रेषण या बातचीत और विवेचनात्मक चिंतन					
4.	नीति और मूल्य					

(ढ) निम्न के दृष्टिकोण से पाठ या अध्याय का बोध

1. जेंडर भेदभाव
2. जेंडर रूढ़िबद्धता
3. विरोध प्रबंधन या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व

(ण) विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा करने के मुद्दे

1. दृश्य सामग्री
2. विषय-वस्तु
3. चित्र या दृष्टांत
4. अभ्यास
5. जेंडर का चित्रण
6. पर्याप्त
7. अपर्याप्त
8. पूर्णतः अनुपस्थित

(त) लड़कियों या महिलाओं के योगदान का मूल्य निर्धारण— परिवार या समाज (अवबोधन)

(इस संदर्भ में नीचे दिए गए बॉक्स के क्रियाकलापों पर विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए कि प्रतिक्रिया करने वालों द्वारा किस प्रकार से कॉलमों को भरा जाना है।)

कार्य (घरेलू)	अवैतनिक (जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है)	वैतनिक (बचत आय – अर्जित आय)	मानव संसाधन विकास के लिए अनिवार्य	रूढ़िबद्ध	महिलाओं के स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है
खाना पकाना					
सफ़ाई करना					

© NCERT not to be republished

धुलाई करना					
झाड़ू लगाना					
बीमार की देखभाल करना					
सिलाई या बुनाई					
खाने का सामान लाना					
पीने का पानी लाना					
भाई बहनों की देखभाल					
बच्चों को पढ़ाना (लड़के या लड़कियाँ)					
मूल्य और मान्यताएँ प्रदान करना					
घरेलू वस्तुओं का रखरखाव					
पारिश्रमिक और रोज़गार अभिमुख कार्य में संलिप्त					
कृषि में भूमिका • बुआई • प्रतिरोपण • निराई • ओसाई या फटकना • कटाई • विपणन • कोई अन्य पशुधन (मवेशी) संबंधित कार्यकलापों में भागीदारी • कुटीर उद्योग या हस्त शिल्प • लघु उद्योग					
घरेलू मामलों में निर्णय लेने में भागीदारी • पंचायत • अन्य सभा या परिषदों में • स्थानीय स्तर पर • राज्य स्तर पर • राष्ट्रीय स्तर पर • अंतर्राष्ट्रीय स्तर					

© NCERT not to be republished

2.10 विवेचनात्मक चिंतन की क्षमता विकसित करना

पूर्व में अध्ययन महिलावाद पर आवाज़ मुखर करने पर केंद्रित थे। महिलाओं की चुप्पी का कारण इतिहास में उनके दमन और उन्हें हाशिए पर रखने की प्रवृति को माना जाता है। महिलाओं की चुप्पी को उनके दमन के संदर्भ में समझा गया था और इसलिए वे हाशिए पर रह गईं। पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना में पहले भी और आज भी महिलाओं की आवाज़ को पुरुष प्रधानता की भाषा मूल्यों और संरचना द्वारा चुप कर दिया गया है इसलिए महिलाओं की चुप्पी मनोवैज्ञानिक दमन को प्रदर्शित करती है।

भारतीय संदर्भ में किए गए अनुसंधानों, जैसे— श्रीवास्तव (2008) और यादव (2010) ने प्रकाश डाला है कि महिला समाख्या (1987), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी., 2004) और सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) जैसी योजनाओं में लड़कियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता है। ये योजनाएँ उनमें अपनी वास्तविकताओं और विद्यमान रूढ़िगत परंपराओं के आत्मविश्लेषण के विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य को विकसित करती हैं। इनमें से कुछ बच्चे के जन्म पर किए जाने वाले समारोह, बाल विवाह, बाल विधवापन, पर्दा, किशोरावस्था में अलग करने की प्रथा, दहेज और जबरन विधवा बने रहने से संबंधित परंपराएँ डायन घोषित करने वाली परंपराएँ शामिल हैं। निचे दिए गए बॉक्स के प्रयोग द्वारा अधिक संदर्भित रूप में चर्चा की जा सकती है।

क्र.सं.	मानक	पुरुष या लड़के	महिलाएँ या लड़कियाँ	ट्रांसजेंडर समुदाय	सभी
1.	प्रथागत व्यवहारों को मिटाने में भागीदारी करना • पर्दा • दहेज • बाल विवाह • कन्या भ्रूण हत्या • कोई अन्य				
2.	भावनात्मक हिंसा को संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम • अपशब्दों का प्रयोग • संकेत भाषा • घूरना • अपमानजनक टिप्पणी • कोई अन्य शारीरिक हिंसा				

3.	निम्न के अनुवीक्षण और मूल्यांकन में भागीदारी
	• योजनाएँ और कार्यक्रम के लिए बनाई गई—
	  • महिलाओं
	  • किशोरों
	  • बच्चों
	  • शिशुओं				

4.	बेहतर क्रियान्वयन के लिए अपनी राय देना				

© NCERT not to be republished

2.11 सामूहिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्णय लेने और कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई., 1986) में महिलाओं की निरक्षरता को दूर करने पर बल दिया गया है। इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा तक उनकी पहुँच और विद्यालय में उनके बने रहने को रोकने वाली बाधाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (पी.ओ.ए. 1992) में महिला सशक्तीकरण शिक्षा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को महत्वपूर्ण शर्त माना गया है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति (2001) में इस पहलू को दोहराया गया है। इसके कुछ उद्देश्य बताते हैं कि महिलाओं की राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भागीदारी और निर्णय लेने में समान पहुँच संभव होगी। इसके साथ ही महिला संगठनों के साथ भागीदारी निर्मित करने और उसको मज़बूत करने का भी उल्लेख किया गया है। पुरुष और महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग द्वारा समाज की सोच में परिवर्तन लाने के लिए भी प्रयास किए जाएँगे। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले और बाद वाले को भी बताने का प्रयास करता है वह महिला समाख्या कार्यक्रम (1987) है।

महिला समाख्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यह है कि शिक्षा के द्वारा ही समानता व महिला सशक्तीकरण किया जा सकता है। यह इस बात की पहचान करता है कि शिक्षा की केंद्रीयता समानता प्राप्त करने के लिए महिला सशक्तीकरण में है। इसमें एक नवाचारी पद्धति को अपनाया गया जिसमें लक्ष्यों को बिना सोचे समझे पूरा करने के स्थान पर प्रक्रियाओं को महत्व दिया गया है। शिक्षा को महज मूलभूत साक्षरता कौशल अर्जित करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि प्रश्न करना सीखने, मुद्दों को एवं समस्याओं को विवेचनात्मक रूप से विश्लेषित करने और समाधान तलाशने की प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। इसमें महिलाओं के लिए एक ऐसा परिवेश निर्मित करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें वे अपनी गति से सीखें, अपनी प्राथमिकताएँ तय करें और अच्छे विकल्पों के चयन के लिए ज्ञान और जानकारी अर्जित करें। महिला समाख्या कार्यक्रम महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से उनकी समस्याओं के समाधान को और विभिन्न मुद्दों को स्वयं संबोधित करने के लिए सशक्त करता है। महिला संघ ऐसी सामूहिक क्रियाओं के लिए प्रतिबद्ध है जिनसे महिलाओं के समग्र स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों का क्रियान्वयन महिलाओं को आधारी स्तर पर निर्णय लेने की प्रमुख भूमिका देने में एक ऐतिहासिक कदम है। ये संशोधन सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण और शहरी स्थानीय चयनित निकायों में कुल चुनावी सीटों और अध्यक्षों के पदों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हों।

नीचे पर बॉक्स में दी गई सामग्री पर परिचर्चा कर उसका प्रयोग समझ विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

(क) बच्चे

विभिन्न सामाजिक संस्थानों में निर्णय लेने की क्षमता	परिवार के बड़े[1]		पुरुष	महिला	दोनों
	पुरुष	महिला			
परिवार • भोजन • स्वास्थ्य • शिक्षा • संपत्ति का स्वामित्व (चल/अचल) • आय • व्यय					

© NCERT not to be republished

विद्यालय	प्रबंधन		प्रधानाध्यापक		मुख्य अध्यापक		कोई अन्य
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
• शिक्षकों की नियुक्ति • शिक्षकों के स्थानांतरण • कार्य निर्धारण • सेवा प्रशिक्षण में भागीदारी • विभिन्न कार्यों को सौंपना ➢ शिक्षण ➢ शिक्षणेत्तर • सेमिनार, कार्यशालाओं सम्मेलनों में भागीदारी • नवाचारी शिक्षण के लिए अवसर या स्थान प्रेरित करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यनीतियाँ							
प्रोत्साहन हेतु रणनीतियाँ • पारितोषिक • प्रमाणीकरण • पुरस्कार • पदोन्नति							
संगठन या संघ बनाने की लिए अभिवृति							

[1] परिवार के बड़ों में दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, मामा-मामी और माता-पिता को परिवारानुसार सम्मिलित किया जाता है।

(ख) विद्यालयी शिक्षा प्रक्रियाओं में संदर्भगत स्थितियाँ

कार्यकलाप	लड़के	लड़कियाँ	ट्रांसजेंडर बच्चे	सभी
कक्षा कार्यकलाप				
शिक्षण और विद्या अर्जन प्रक्रिया				
प्रश्न पूछना				
उत्तर देना				
संदेहों को स्पष्ट करना				
अतिरिक्त जानकारी प्रदान करना				
कक्षा प्रबंधन				
मॉनीटरों का चयन				
कक्षा की सफ़ाई				
डस्टर, पानी तथा अन्य विविध वस्तुओं को लाना				

© NCERT not to be republished

भूमिकाएँ या दायित्व				
कॉपियाँ एकत्रित करना				
अनुशासन बनाए रखना				
ड्रैस कोड को देखना या जाँचना				
साथियों के साथ बातचीत				
विभिन्न कार्यकलापों, जैसे— संगीत, नृत्य, वाद-विवाद आदि के लिए समूह बनाना				
समूह क्रियाकलापों को बढ़ावा देना				
कक्षा से बाहर के क्रियाकलाप				
खेलकूद में भागीदारी				
कक्ष के अंदर खेले जाने वाले खेल				
कक्ष के बाहर खेले जाने वाले खेल				
नेतृत्व और निर्णय लेने के गुणों का प्रोत्साहन[2]				
खेलकूद				
शौक या रुचियाँ				
भ्रमण				
वाद-विवाद				
नाटक				
कोई अन्य				

[2] लड़के और लड़कियों द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए जाने वाले अथवा अन्य जिनमें माता-पिता और साथियों के साथ मिलकर लिए जाने वाले निर्णय भी सम्मिलित हैं।

2.12 लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य (विशेषरूप से जनन स्वास्थ्य) के प्रति जागरूक एवं विकल्प चुनने हेतु सक्षम बनाना

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति (2001) महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के संदर्भ में समग्र सशक्तीकरण पर विचार करती है। इसमें उल्लेख किया गया है कि भेदभाव को दूर करने, शिक्षा के सार्वजनीकरण, निरक्षरता दूर करने, जेंडर-संवेदी शैक्षिक प्रणाली निर्मित करने, लड़कियों के विद्यालय नामांकन और वहाँ बने रहने की दरों को बढ़ाने हेतु उपाय किए जाएँगे। इसके साथ ही महिलाओं द्वारा रोज़गारपरक या व्यावसायिक या तकनीकी कौशल के विकास के साथ ही जीवनपर्यंत सीखने को सुगम बनाने के लिए विशेष उपाय किए जाएँगे। जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या को शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर विकसित किया जाएगा जिससे सेक्स रूढ़िबद्धता को संबोधित किया जा सके (जिसे जेंडर आधारित भेदभाव का एक कारण माना जाता है)। स्वास्थ्य के संदर्भ में उपर्युक्त नीति में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र पद्धति को बताया गया है।

शिशु मृत्युदर और मातृ मृत्युदर में कमी, जो मानव विकास के संवेदी संकेतक होते हैं, प्राथमिकता और सरोकार का विषय है। ऐसे उपाय करने के लिए प्रतिबद्धता की गई है जो महिलाओं के जनन अधिकारों, उनकी यौन तथा स्वास्थ्य समस्याओं के साथ ही स्थानिक, संक्रामक और संचारी रोगों, जैसे— मलेरिया, तपेदिक (TB) और जल जनित रोगों के साथ-साथ उच्च रक्तचाप और हृदवाहिका रोगों के लिए संवेदनशीलता पर विचार करते हैं। एचआईवी/एड्स तथा अन्य यौन संचरित

© NCERT not to be republished

रोगों के सामाजिक, विकासात्मक और स्वास्थ्य परिणामों को भी जेंडर के परिप्रेक्ष्य से लिया जाना चाहिए। रोज़गार के संदर्भ में महिलाओं को अवसर तथा पारंपरिक और गैर-पारंपरिक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करके अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों मे उनके सशक्तीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति और नौवीं योजना में अपनाई गई महिला घटक योजना (Women's Component Plan) यह सुनिश्चित करती है कि सभी मंत्रालयों और विभागों से कम-से-कम 30 प्रतिशत लाभ या फंड (निधियाँ) महिलाओं के लिए होने चाहिए। इस योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाएगा, जिससे महिलाओं और लड़कियों की आवश्यकताओं और हितों को सभी संबंधित क्षेत्रों द्वारा संबोधित किया जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल मंत्रालय होने के नाते समय-समय पर घटक योजना की गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में योजना आयोग के साथ सहयोग कर निगरानी और समीक्षा करेगा।

नीचे दिए गए बॉक्स निर्णय लेने की क्षमता पर आधारित है। बॉक्स में दी गई सामग्री का उपयोग चर्चा प्रारंभ करने और परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

शिक्षा	दादा-दादी या नाना-नानी	पिता	माता	सभी
शिक्षा के स्तरों के लिए निर्णय कौन लेता है • लड़कों के • लड़कियों के				
व्यवसाय का चयन • लड़कों के • लड़कियों के				
स्वास्थ्य • लड़कों का • लड़कियों का				
भोजन का चयन • लड़कों का • लड़कियों का **बीमारी के काल में रोकथाम के उपाय** • लड़कों की • लड़कियों की				
विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने के विषय में निर्णय • प्रोटीन • विटामिन • लौह तत्व (आयरन) • कार्बोहाइड्रेट • वसा • उपर्युक्त सभी • जानकारी नहीं है				

© NCERT not to be republished

स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे • टीकाकरण कराना • अपने शरीर के विषय में जानकारी • किशोरावस्था • विवाह की आयु • कोई अन्य				
आने-जाने की भौतिक स्वतंत्रता • स्थानीय बाज़ार तक जाना • मेले • स्वास्थ्य केंद्र • ननिहाल और संबंधियों के घर जाना • खेत • शिक्षण संस्थान – विद्यालय – महाविद्यालय/व्यावसायिक संस्थान – विश्वविद्यालय				

2.13 विकासात्मक प्रक्रियाओं में समान भागीदारी सुनिश्चित करना

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) के आरंभ से ही विकासात्मक प्रक्रियाओं में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत ऐसे प्रयास किए गए हैं कि विभिन्न क्षेत्रों, जैसे— शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार आदि के विकास के लाभों में महिलाओं की अनदेखी न हो। वास्तव में अपनाए गए दृष्टिकोण में महिलाओं को विकास प्रक्रिया में बराबर का भागीदार माना गया है।

विकास प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति में महिलाओं द्वारा कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया गया है। नीति में उल्लेख किया गया है कि महिलाओं को मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेयरी विकास और कृषि से संबंधित अन्य व्यवसायों, जैसे— उद्यानिकी, मवेशी समेत पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन आदि में प्रशिक्षण हेतु विशेष कार्यक्रमों को विस्तारित किया जाएगा। ऐसे उपायों से कृषि क्षेत्र में महिला कार्मिकों को लाभ मिल सकेंगे।

इलैक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग और वस्त्र उद्योग में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को विकास के लिए अनिवार्य रूप में स्वीकार किया गया है। इस संदर्भ में महिलाओं को श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सहायक सेवाओं के संदर्भ में व्यापक समर्थन दिया जाएगा, जिससे वे विभिन्न औद्योगिकी क्षेत्रों में भागीदारी कर सकें।

यही नहीं महिलाओं के लिए सहायक सेवाओं के प्रावधानों, जैसे— बाल देखरेख सुविधाएँ (कार्य-स्थल, शैक्षिक संस्थानों में बालघर) वृद्धों और दिव्यांगजन के लिए घर को विस्तारित और बेहतर किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सुगम्य समर्थ परिवेश मिले। बॉक्स में दी गई सामग्री के आधार पर चिंतन करें कि किस प्रकार सहयोगी राज्यनीति महिलाओं का सशक्त करती है।

क्र.सं.	मानक	हाँ	नहीं	जानकारी नहीं है	टिप्पणियाँ
1.	महिला संगठनों का अस्तित्व				
2.	महिलाओं में उनके विकास और सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रहे संगठनों के विषय में जागरूकता				
3.	संगठनों की भूमिका और कार्यों के विषय में जागरूकता				

© NCERT not to be republished

4.	क्या निर्णय लेने में महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है?				
5.	महिलाओं में निधियों (फंड) तथा संसाधनों के आवंटन से संबंधित जागरूकता				
6.	विभिन्न मदों के अंतर्गत निधियों के उपयोग के विषय में जानकारी/ज्ञान • आवर्ती • गैर-आवर्ती • विविध				
7.	महिलाओं की भागीदारी • पारंपरिक व्यवसायों में • गैर-पारंपरिक व्यवसायों में				

2.14 आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जानकारी, ज्ञान और कौशल प्रदान करना

आठवीं पंचवर्षीय योजना से ही, महिला एवं बाल नोडल विभाग ने महिलाओं के लिए रोज़गार और आय सृजन क्रियाकलापों पर विशेष महत्व देने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित कर लिया है। इन सभी प्रयासों का अंतिम उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। इस दिशा में विभाग द्वारा आरंभ किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं—

(क) **प्रशिक्षण और रोज़गार परियोजनाओं को समर्थन**—केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने 1958 में एकीकृत शिक्षा पाठ्यक्रम और वर्ष 1975 में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं की सहायता के लिए आरंभ किए थे, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। इसके साथ ही वे अपने कौशल को बदलते कार्य परिवेश की माँग के अनुसार उन्नत कर सकें।

संघनित पाठ्यक्रमों की योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों को दो वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं, जिससे पंद्रह वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को माध्यमिक या मैट्रिक, मध्य और प्राथमिक स्तर की परीक्षाओं को पास करने की सुविधा मिल सके। योजना में पाठ्यक्रम संचालित करने में शिक्षकों को भी सम्मिलित करने के प्रावधान हैं।

(ख) **स्वयंसिद्धा**—स्वयंसिद्धा, महिला सशक्तीकरण के लिए एक समेकित योजना है। यह महिलाओं के स्व-सहायता समूहों (SHGs) के गठन पर आधारित है। इसका उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के द्वारा महिलाओं का समग्र सशक्तीकरण करना है।

(ग) **स्व-शक्ति परियोजना**—इसे ग्रामीण महिला विकास और सशक्तीकरण परियोजना भी कहा जाता है। इसे 16 अक्तूबर, 1998 को एक केंद्र प्रायोजित परियोजना के रूप में स्वीकृति दी गई थी। इसको सात राज्यों में पाँच वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया गया है। इसका आकलित व्यय 186.21 करोड़ रूपये का है। इसके अतिरिक्त पाँच करोड़ रूपये की राशि लाभार्थी समूहों को प्राथमिक रूप से उनके आरंभिक निर्माण या विकास के चरण में ब्याज आधारित ऋण देने के लिए आवर्ती निधियाँ (फंड) स्थापित करने को सुगम बनाने के लिए प्रदान की गयी थी।

परियोजना को महिला विकास निगमों (Women's Development Corporations, WDCs), अन्य राज्य सरकार उद्यमों तथा गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के राज्यों में 57 ज़िलों, 323 खंडों और 7,288 गाँवों में क्रियान्वित किया गया।

परियोजना का उद्देश्य महिलाओं के जीवन को सुगम बनाने के लिए मेहनत और समय कम करने वाली युक्तियों

© NCERT not to be republished

तथा संसाधनों तक उनकी पहुँच को बढ़ाना है। इसके साथ ही कौशल विकास और आय सृजन गतिविधियों में भागीदारी से उनकी आय को बढावा देना इन याजनाओं में शामिल है। इस तरह उनके जीवन को बेहतर स्तर दिया जा सकता है।

(घ) **राष्ट्रीय महिला कोष (1993)**— यह गरीब महिलाओं के लिए ऋण सुविधा को सुगम बनाता है। राष्ट्रीय महिला कोष अपना समर्थन मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों, महिला विकास निगमों और महिला सहकारिता संस्थाओं के द्वारा प्रदान करता है।

(ड़) **कौशल विकास और उद्यमशीलता पर राष्ट्रीय नीति, (2015)**— राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता पर राष्ट्रीय नीति, 2015 का उद्देश्य व्यापक स्तर पर तत्परता से और गुणवत्ता के साथ कौशल विकसित करने की चुनौती को पूरा करना है। इसका उद्देश्य कौशल विकास करने के उन सभी कार्यों के लिए एक समग्र फ्रेमवर्क या आधारभूत ढाँचा प्रदान करना है, जो देश में चल रहे हैं, जिससे उन सबके मानक एक जैसे हों और कौशल विकास को माँग केंद्रों से जोड़ा जा सके। उद्देश्य निर्धारित करने और संभावित परिणामों के अतिरिक्त ऐसे संस्थागत आधारभूत ढाँचे या फ्रेमवर्क विकसित किए जाएँ जो अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए साधन का कार्य करें। राष्ट्रीय नीति इसके बारे में भी स्पष्टता और सामंजस्य प्रदान करेगी कि देशभर में कौशल विकास प्रयासों को किस प्रकार विद्यमान संस्थागत व्यवस्थाओं के साथ संरेखित किया जा सकता है। यह नीति कौशल विकास को बेहतर रोज़गार और उत्पादकता के साथ जोड़ेगी।

(च) **कौशल विकास के संदर्भ में जेंडर समानता पर सरकार के अभिनव प्रयास (2015)**— कौशल विकास के लिए समाज के सभी वर्गों विशेषरूप से महिलाओं और वंचित वर्गों की समान पहुँच अनिवार्य है, जिससे उन्हें अच्छे सम्मानजनक रोज़गार प्राप्त करने और गरीबी से बाहर आने में सहायता मिले। समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के लिए पहुँच तक के अवरोधों को दूर करना तथा उनकी विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करना प्रमुख तत्व है।

रोज़गारपरकता के लिए महिला कौशल विकास के व्यावसायिक प्रशिक्षण का उपयोग महिलाओं के लिए रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन के कर्मक के रूप में किया जाएगा।

- कौशल विकास और रोज़गार तक महिलाओं की समान पहुँच प्रदान करने के लिए गैर-भेदभाव की नीति को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा।
- इस नीति का उद्देश्य ग्याहरवीं योजना के अंत तक महिलाओं की भागीदारी को कम-से-कम 30 प्रतिशत तक बढ़ाना है।
- ऐसे उपाय जो अवरोधों को दूर करके महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएँ, जैसे— महिलाओं के लिए छात्रावास, छात्रवृत्तियाँ, परिवहन, प्रशिक्षण सामग्री और ऋण सुविधाओं को व्यापक स्तर पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
- महिलाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा। सिर्फ़ महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करने वाले संस्थागत नेटवर्क को अत्यधिक विस्तारित किया जाएगा, जिससे वे अधिक वेतन और स्वरोज़गार क्षमता के कौशल प्राप्त कर सकें।
- महिलाओं के कौशल और रोज़गार क्षमता को प्रोत्साहन देने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं को रोज़गार मिलता है। इनमें निर्माण कार्य, पारंपरिक शिल्प अथवा प्रति नग दर वाले कार्य, वित्तीय और स्वास्थ्य सेवा के साथ ही कृषि क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं।
- व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जेंडर रूढ़िबद्वता को समाप्त किया जाएगा, जिससे प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा मिल सके।

ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच और कौशल विकास की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे ग्रामीण कार्मिक-प्रौद्योगिकियों को अर्जित और उन्नत कर सकें। इसके साथ ही वे वैल्यू चैन से संबंधों को बेहतर बना सकें, बाज़ार तक पहुँच बढ़ा सकें, कृषि उत्पादन बढ़ा सकें और खेती से इतर (off-farm) क्रियाकलापों में संलिप्त हो सकें जो पूरक आय का सृजन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय रोज़गार कार्यक्रमों के साथ सहयोग करके, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के अवसर के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा।

© NCERT not to be republished

प्रशिक्षण कार्यक्रमों या सुविधाओं को नियमित रूप से अद्यतन करने की आवश्यकता है, जिससे बदलती माँगों को पूरा किया जा सके। बहु-कौशल, बहु-आगम और निर्गम तथा कौशल उन्नतीकरण के अवसर भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों की पहचान बनेंगे। मॉड्यूलर रोज़गार कौशल योजना (अर्थात् अल्पावधि रोज़गार योग्य कौशल) का अत्यधिक विस्तार किया जाएगा जिससे समूह के बड़े भाग की पूर्ति की जा सके।

सामाजिक परिवर्तन प्रारंभ करने के लिए लड़कियों या महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों के विषय में जानकारी तक उनकी पहुँच आवश्यक है। विधिक साक्षरता महिला समाख्या जैसी योजनाएँ विधिक का महत्वपूर्ण घटक बन गई है। इसे गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में देखा जाता है। कानून तथा उसकी क्रियान्वयन संस्थाओं के विषय में जानकारी से आमजनों को यह समझने में सहायता मिलेगी कि साक्षरता महिलाओं के सशक्तीकरण में सहायक हो सकती है।

अनेक कानूनों के क्रियान्वयन में असफलता का कारण लाभार्थियों में जागरूकता की कमी का होना है। इसलिए जनता को विविध मुद्दों पर संवेदनशील बनाना या जागरूक करना अधिकारों और उनके क्रियान्वयन के बीच विरोधाभास को दूर करने में महत्वपूर्ण है।

इस संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत नागरिकों के आग्रह पर उनको सरकारी जानकारी समय पर उपलब्ध कराना एवं प्रतिक्रिया देना अनिवार्य किया गया है। आगे दिए गए बॉक्स में दी गई सूची का उपयोग जागरूकता के स्तर का पता लगाने और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और महिलाओं की भागीदारी के क्षेत्रों में चर्चा प्रारंभ करने के लिए किया जा सकता है।

संवैधानिक प्रावधान	जागरूक	कुछ-कुछ जागरूक	जागरूक नहीं	कोई प्रतिक्रिया नहीं
अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 (3) अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30				
राष्ट्र नीति के निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 39 (a) अनुच्छेद 39 (d) अनुच्छेद 39 (e) अनुच्छेद 39 (f) अनुच्छेद 41 अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 47				

© NCERT not to be republished

मौलिक कर्त्तव्य या दायित्व (भाग IV A)				
निम्न से संबंधित विधिक प्रावधान • उत्तराधिकार • गोद लेना • दहेज • बाल विवाह • विवाह की आयु • तलाक • बाल श्रम • वेश्यावृति • रैगिंग • कोई अन्य				
महिलाओं की निम्न क्षेत्र में भागीदारी के विषय में ज्ञान • निर्णय लेने वाले निकाय • पंचायतें • शहरी निकाय • कोई अन्य				

क्या आपके आस-पड़ोस, गाँव, कस्बे, जिले और राज्य में महिलाओं की भागीदारी से महिला सशक्तीकरण में कोई परिवर्तन आया है?

(क) अपने अधिकारों या हकों के विषय में जानकार या जागरूक करती हैं— • परिवार • समाज
(ख) उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
(ग) उनको स्थानीय या शहरी निकायों में भागीदारी के लिए प्रेरित करती हैं।
(घ) आत्मनिर्भरता के लिए उनको सामाजिक और भौतिक कार्यक्रमों के संचालन के लिए संगठन बनाने में समर्थ बनाती हैं।
(ङ) महिलाओं की स्थिति के लिए अपमानजनक रीति-रिवाजों को खत्म करने के लिए कदम उठाती हैं।
(च) विधिक अधिकारियों या संस्थाओं तक पहुँच

ऊपर बताए गए संकेतक जेंडर समानता और सशक्तीकरण के क्षेत्र में गुणात्मक आयामों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में सहायक होंगे। यह सूचीपूर्ण नहीं है। यह सुझावात्मक प्रकृति की है और निष्पक्षता और समानता के मुद्दों पर जानकारी प्रदान करने का प्रयत्न करती है। इनसे सशक्तीकरण के संदर्भ में प्रमुख प्राचलों (parameter) को सुलझाने या समझने में सहायता मिलेगी। जैसे— क्या शैक्षिक प्रक्रियाएँ रूपांतरकारी संरचनात्मक परिवर्तन लाने में सहायक है अथवा वे महज समाज में विद्यमान समाजीकरण की प्रथाओं को प्रबलीकृत करती हैं।

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 2

1. आप अपने विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों से पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन के लिए इस साधन का उपयोग करने के लिए कह सकते हैं।
   ....
   ....
2. उनसे जेंडर भेदभाव और रूढ़िबद्धता को दूर करने के उपयों पर चर्चा कीजिए।
   ....
   ....
3. आप विद्यार्थियों से गाँव, ज़िले, राज्य तथा राष्ट्र की सफल बालिकाओं या महिलाओं और उनकी सफलता की यात्रा पर लघु निबंध लिखने के लिए कह सकते हैं।
   ....
   ....
4. निष्पक्षता, समानता और सशक्तिकरण पर एक वाद विवाद का आयोजन किया जा सकता है।
   ....
   ....

2.15 संदर्भ

- फ़ोर्थ वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑन वुमेन, बीजिंग. 1995. कंट्री रिपोर्ट. भारत सरकार. महिला एवं बाल कल्याण विभाग. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 1986*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.
- ——. 1986. *प्रोग्राम ऑफ एक्शन*. 1992. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.
- ——. 2001. *महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति*. महिला एवं बाल कल्याण विभाग. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली.
- श्रीवास्तव, गौरी. 2008. *स्टडी ऑफ़ दि इम्पैक्ट ऑफ़ महिला समख्या ऑन एजूकेशन एंड एम्पॉवरमेंट ऑफ़ रुरल गर्ल्स एंड इनटू लो लिट्रेसी डिस्ट्रिक्स ऑफ़ उत्तर प्रदेश— ए रिपोर्ट*. डी. डब्ल्यू. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.
- —— 2010. इंडिकेटर्स ऑन जेंडर इक्वयलिटी ऑफ़ एम्पॉवरमेंट. *यूनिवर्सिटी न्यूज़— ए वीकली जर्नल ऑफ़ हायर एजूकेशन*. एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज. वाल्यूम. 48, नं. 09, नयी दिल्ली
- ——. 2010. जेंडरिंग दि बजट मेकिंग प्रॉसेस फ़ॉर ट्रॉसलेटिंग इक्विटी एंड इक्वलिटी इन प्रैक्टिस. *यूनिवर्सिटी न्यूज़— ए वीकली जर्नल ऑफ़ हायर एजूकेशन*. एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज. वॉल्यूम. 49, नं. 21, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 3

जेंडर बजटिंग

मॉड्यूल की रूपरेखा

3.1 परिदृश्य
3.2 भूमिका
3.3 उद्देश्य
3.4 जेंडर प्रतिसंवेदी बजट— भारतीय अनुभव
3.5 योजना प्रक्रियाएँ
3.6 नीतिगत पहल
3.7 पूर्व अनुभव
3.8 जेंडर की दृष्टि से बजट बनाने की प्रक्रिया
3.9 जेंडर बजट के लिए सुझाए गए कदम
3.10 बजट निर्माण के लिए दिशा निर्देश
3.11 अनुवीक्षण
3.12 बजट मूल्यांकन
3.13 जेंडर बजटिंग के लिए साधन
3.14 बजट परिणाम
3.15 संदर्भ

© NCERT not to be republished

3.1 परिदृश्य

बजट एक तकनीकी शब्द है, जो सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करता है, जो वित्तीय संदर्भों में परिणत हो जाता है। यह एक दस्तावेज़ है जिसमें सरकार के व्यय और राजस्व या आय प्रस्ताव सम्मिलित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप बजट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के दर्शन, मूल्यों और निष्पक्षता तथा समानता के संवैधानिक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जेंडर बजट का उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों के संबंधित बजट आवंटन के आँकड़े एकत्रित करना है जिससे यह ज्ञात हो सके कि बजट आवंटन का पुरुष और महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में जेंडर बजटिंग की पहल जुलाई, 2000 में की गई थी जब यूनिफेम के सहयोग से दक्षिण एशिया क्षेत्र में राष्ट्रीय बजट निर्माण में जेंडर परिप्रेक्ष्य (Engendering National Budget in the South Asia) पर

एक कार्यशाला नयी दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें दक्षिण एशिया क्षेत्र के सरकारी प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं, समाज और योजना आयोग के सदस्यों ने सहभागिता की थी। जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया भारत में जारी रही है, जिसके विभिन्न चरणों में अनेक कार्यकर्ताओं ने अगुआई की और इसके प्रचार और प्रसार के लिए काम किया। महिला एवं बाल विभाग एक प्रधान (नोडल) संस्था है, जो वर्तमान में इस संकल्पना के प्रचार के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करती है।

जेंडर बजटिंग का उद्देश्य नीति निर्माताओं और व्यवहारकर्ताओं को जेंडर की दृष्टि से बजट बनाने और उनका विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित करना है जिससे विकास के लाभों की सभी के द्वारा साझीदारी हो और संधारणीय विकास (sustainable development) जेंडर समावेशी हो।

3.2 भूमिका

विश्वभर के देशों ने स्वयं को जेंडर समानता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। यह एक ऐसा लक्ष्य है, जो विकास के मानवीय पहलू को सुनिश्चित करता है। इस प्रतिबद्धता को एक बार पुनः इसके 189 हस्ताक्षारकर्ता देशों द्वारा वर्ष 2015 तक सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (Millennium Development Goals) को प्राप्त करने के लिए दोहराया गया। इसके आधार पर 17 सतत विकास लक्ष्य बने हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक हासिल करना है। इसके तीन लक्ष्य जेंडर समानता और महिला सशक्तीकरण पर ज़ोर देते हैं। यह एक ऐसा एजेंडा या कार्यक्रम है, जिसे सभी देशों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में ही हमारे बजट वक्तव्यों को जेंडर प्रतिसंवेदी बनाने पर महत्व दिया गया है।

बजट बनाने की प्रक्रिया में जेंडर दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लड़कियों और महिलाओं को प्रभावी तरीके से सशक्त करने का सबसे मुख्य साधन है। यह पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को एक साथ जोड़ता है जिससे कि परिणाम दोनों जेंडर की व्यावहारिक और कार्यनीतिक आवश्यकताओं को संबोधित कर सकें। संकल्पनात्मक रूप से जेंडर बजट का अर्थ पुरुषों और महिलाओं के लिए पृथक बजट से नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के बजट के प्रावधानों के दायरे में पुरुषों और महिलाओं के लिए आवंटनों को उनकी ज़रूरतों और आवश्यकताओं के आधार पर समावेशी तरीके से किए जाने से है। समावेशी बजट समानता, विश्वसनीयता, पारदर्शिता, कार्यकुशलता और प्रभाविता में योगदान करते हैं।

3.3 उद्देश्य

- पाठकों को जेंडर बजटिंग से परिचित करवाना।
- जेंडर की दृष्टि से भारतीय बजट का विश्लेषण करना।
- योजनाओं और कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए जेंडर बजटिंग के साधनों का उपयोग करना।

3.4 जेंडर प्रतिसंवेदी बजट— भारतीय अनुभव

जेंडर बजट पहल की संकल्पना संविधान, पंचवर्षीय योजनाओं, नीतिगत पहल और विगत अनुभव विशेष रूप से अर्थव्यवस्था, नीति, सामाजिक और सांस्कृतिक रोज़गार परिदृश्य और शिक्षा के क्षेत्रों से ली गयी है। भारत का संविधान न सिर्फ़ महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राष्ट्र को महिलाओं के हक में सकारात्मक उपाय अपनाने का अधिकार देता है जिससे कि उनके अस्तित्व में आने से लेकर अबतक के समूचे काल में उनके द्वारा झेली गई संचित सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और राजनैतिक असुविधाओं को निष्प्रभावित किया जा सके। संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता और विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतत्रंता सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया है। संविधान में स्थापित राष्ट्र नीति निदेशक सिद्धांतों में जेंडर निष्पक्षता को एक मूल सिद्धांत के रूप में केंद्रित किया गया है। संविधान के अनेक अनुच्छेद, जैसे— अनुच्छेद 14, राजतंत्र, अर्थव्यस्था और सामाजिक क्षेत्र में सभी के लिए समान अधिकार और अवसर प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 16 में सरकारी रोज़गार में अवसर की समानता सुनिश्चित की गई है। अधिकारों के साथ, राष्ट्र प्रत्येक नागरिक पर ये मौलिक दायित्व भी आरोपित करता है कि वे महिलाओं का अनादर करने वाली प्रथाओं का परित्याग करें।

3.5 योजना प्रक्रियाएँ

पंचवर्षीय योजनाएँ जेंडर समावेशी बजट बनाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। भारतीय संदर्भ में योजना निर्माण में महिलाओं के मुद्दों को बहुत ही प्रभावी तरीके से संज्ञान में लिया गया है।

© NCERT not to be republished

महिलाओं को केवल कल्याणकारी श्रेणी के दायरे में रखकर देखने के स्थान पर सभी विकास पहल में समान भागीदार के रूप में केंद्रित करने की दिशा में बदलाव आया है। दसवीं योजना के बाद से अपनाया गया दृष्टिकोण महिलाओं और पुरुषों के लिए किसी भी योजना कार्य में निहितार्थों के मूल्यांकन द्वारा जेंडर सरोकारों को मुख्यधारा में लाना है। इसमें कानूनी नीतियाँ और कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों और स्तरों पर सम्मिलित हैं।

3.6 नीतिगत पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का महिलाओं की समानता के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। नीति में असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके समान रूप से उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिया गया है (जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया है)। इसमें आगे कहा गया है कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में मौलिक परिवर्तन के कर्मक के रूप में किया जाएगा, जिससे विगत के संचित विरूपणों को निष्प्रभावी करके महिलाओं के सशक्तीकरण में सकारात्मक हस्तक्षेपकर्ता की भूमिका निभाई जा सके। यह पुनरर्चित पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण और अभिविन्यास के द्वारा नए मूल्यों के विकास को प्रोत्साहित करेगा। प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन (Programme of Action) 1992 में महिला सशक्तीकरण के मापदंडों को विस्तार से बताया गया है, जैसे— महिलाओं के आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास को बढ़ाना, समाज, राजतंत्र और अर्थव्यस्था में महिलाओं के योगदान को स्वीकारते हुए उनकी सकारात्मक छवि को विकसित करना, आलोचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता विकसित करना, महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी से साथ विकल्प चुनने के लिए सक्षम बनाना और महिलाओं को विधिक साक्षरता तक पहुँच प्रदान करना आदि।

महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति समग्र रूप से महिलाओं के विकास, उन्नति और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें सभी क्षेत्रों में अवसरों की समानता निर्मित करने, जेंडर भेदभाव और रूढ़ियों को दूर करके सभी साझेदारों की सोच में परिवर्तन लाकर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

3.7 पूर्व अनुभव

भारत सरकार महिलाओं के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2005–06 से जेंडर बजट को अपना रही है। 2001 में, राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान (National Institute of Public Co-operation and Child Development; NIPCCD) ने भारत के 22 राज्यों के जेंडर बजट विश्लेषण पर अध्ययन किया था। अध्ययन के परिणामों ने प्रकाश डाला कि वर्ष 2001 के लिए 10 राज्यों में महिला कार्यक्रमों (लक्ष्यित और महिला अनुकूल) के लिए आवंटन 2 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच परिवर्ती था। साथ ही, छह राज्यों के राज्य बजट में महिला लक्षित योजनाओं में महिलाओं का भाग एक प्रतिशत से भी कम है। महिला अनुकूल योजनाओं ने महिला विशिष्ट योजनाओं (6 प्रतिशत–11 प्रतिशत) की तुलना में पाँच राज्यों में वर्ष 2000–2001 के काल में राज्य बजट का अपेक्षाकृत बड़ा भाग प्राप्त किया। कुछ राज्यों में राज्य बजट के संयुक्त आवंटन 2 प्रतिशत और 5 प्रतिशत तक कम थे। वास्तव में ये महिला घटक योजना के अंतर्गत योजना आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 प्रतिशत के वांछित और संस्तुत स्तरों से काफ़ी कम था।

इन अनुभवों के आधार पर, जेंडर के लिए एक यथार्थवादी और संदर्भ विशिष्ट बजट आवंटन की योजना ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर बनाई जा सकती है।

3.8 जेंडर की दृष्टि से बजट बनाने की प्रक्रिया

आरंभ में बजट बनाने की प्रक्रिया को समान तरीके से सभी लोगों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए निरूपित किया गया था। पारंपरिक बृहत आर्थिक सिद्धांतों, जिनके बारे में पहले ही बताया गया है, के फलस्वरूप नीति-निर्माता ये मान लेते हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं, जिनकी आवश्यकताएँ और हित समान हैं। ये दृष्टिकोण यद्यपि वर्ग, जाति, जेंडर और स्थान से उपजने वाले अंतरों को पहचानने में असफ़ल रहे थे। इन्होंने एक प्रमुख परिकल्पना को अनदेखा कर दिया कि भिन्न समूहों के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और बजट के भिन्न परिणाम होते हैं। साथ ही, जेंडर बजटिंग से जेंडर न्याय, लड़के-लड़कियों के बीच सौहार्द अथवा क्षमता विकास को सुगम बनाने और महिलाओं को सशक्तीकरण की ओर ले जाने जैसे तर्कों को झुठला दिया है।

© NCERT not to be republished

समावेशी बजट बनाने की प्रक्रिया में प्राथमिक रूप से किसी ज़िले के राजनीतिक क्षेत्र में मात्रात्मक और गुणात्मक मापदंडों के आधार पर सामाजिक-आर्थिक कारकों और शिक्षा से संबंधित स्थिति का विस्तृत सर्वेक्षण करना होता है। विभिन्न क्षेत्रों से संग्रहित आँकड़ों को जेंडर जनसांख्यिकी, शिक्षा, रोज़गार आदि के संदर्भ में वार्षिक अथवा पंचवर्षीय रूप में आवश्यकता और अपेक्षा के अनुसार विसमूहित किया जाता है।

बजट बनाने की प्रक्रिया में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को नीचे से ऊपर की कार्यनीति यानि वृहत से सूक्ष्म विश्लेषण की ओर बढ़ना चाहिए। यह संदर्भ आधारित होना चाहिए जिससे वह समग्र रूप से सभी साझीदारों की आवश्यकताओं और उम्मीदों को संबोधित कर सके। निष्पक्षता और समानता से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह समाज के विभिन्न वर्गों के सभी व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने से जुड़ा है।

पिछले बजट की विशेषताओं का भी परीक्षण करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो वर्तमान बजट वक्तव्य में इसे अपनाकर, अनुकूलित करके दोहराया जाना चाहिए। नीचे बॉक्स में क्रियाकलाप 1 दिया गया है जिसका उद्देश्य जेंडर के अनुसार श्रम विभाजन पर संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करना है।

3.9 जेंडर बजट के लिए सुझाए गए कदम

केंद्र तथा राज्य स्तरों पर बजट के निरूपण से पहले, एक कार्यकारी दल का गठन किया जाता है। इस दल में विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ तथा विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से प्रतिनिधि होते हैं। कुछ मामलों में आवश्यकता एवं अपेक्षा के अनुसार उप-समूहों का भी गठन किया जा सकता है। बजट वक्तव्य को जेंडर संवेदी बनाने के लिए पिछले बजटों को समीक्षात्मक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। इसके साथ यह भी देखा जाता है कि ये किस प्रकार जेंडर मुद्दों को संबोधित करने में असर डालते हैं। कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न जो पूछे जाने चाहिए, वे हैं—

- क्या बजट में विरोध प्रबंधन मुद्दों के लिए प्रावधान हैं?
- क्या दोनों जेंडर को संबोधित करने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई अवरोध था?
- क्या ऐसी योजनाओं की माँग और आपूर्ति के बीच कोई अंतर पाया जाता है जो महिला अनुकूल अथवा दोनों जेंडर के लिए होती हैं?
- क्या कोई नवाचारी तरीके सुझाए गए हैं? क्या बजटीय प्रावधान पर्याप्त हैं? क्या उनमें जीवन सूचकांक की लागत पर विचार किया गया है?

क्रियाकलाप 1

1. वार्षिक बजट वक्तव्य का जेंडर की दृष्टि से विश्लेषण कीजिए। जेंडर मुद्दों के मामले में बजट आवंटन की प्रवृतियों पर चर्चा कीजिए।
   ....
   ....
2. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर तथा दोनों जेंडर पर उनके प्रभाव की चर्चा कीजिए।
   ....
   ....
3. जेंडर बजट के लाभ और हानियों पर एक परिचर्चा का आयोजन कीजिए।
   ....
   ....

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 2

1. नीचे घरेलू स्तर पर बजट बनाने की प्रक्रिया पर एक अभ्यास दिया गया है। आप इस सारणी को क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्तियों में बाँटकर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कीजिए।

क्र. सं.	मद	बजट निर्णय लिया जाता है			
		पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर समुदाय	सभी
1.	निवेश				
2.	शिक्षा				
3.	भोजन				
4.	चिकित्सा सहायता				
5.	वस्त्र				
6.	सुख-साधन				
7.	परिवहन				
8.	कोई अन्य				

2. एक दिन में पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य के सदस्य द्वारा किया गया कार्य

क्र. सं.	किया गया कार्य (24 घंटे)	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर समुदाय	सभी
1.	कृषि-बुआई, खाद डालना, निराई, कटाई, ओसाई, फटकना, गहाई, विपणन				
2.	पशुधन की देखभाल				
3.	घरेलू काम				
4.	बीमारों और वृद्धों की देखभाल				
5.	भाई-बहनों की देखभाल				
6.	पारिश्रमिक वाले कार्यों में संलग्नता				
7.	पीने का पानी लाना				
8.	ईंधन संचयन				
9.	साक्षरता कक्षाओं में जाना				
10.	कोई अन्य				

इस अभ्यास के उपरांत विद्यार्थियों से “आय बचत ही अर्जित आय है।” पर अपने विचार रखने के लिए कहें।

© NCERT not to be republished

3. इस विषय पर परिचर्चा करें कि "सार्वजनिक व्यय महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर समुदाय सदस्य को भिन्न तरीके से प्रभावित करते हैं।"

....

....

3.10 बजट निर्माण के लिए दिशा निर्देश

किसी भी बजट बनाने के लिए दृष्टि (vision) और लक्ष्य (mission) कथन की आवश्यकता होती है। इसे विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रस्तावित सभी मदों में निष्पक्षता और समानता के मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। जीवन सूचकांक (Living Index) की लागत प्रत्येक मद की आवर्ती और गैर-आवर्ती मदों तथा नियोजित और अनियोजित निधियों के अंतर्गत बजट में मानदंड होना चाहिए। परिणामों की समानता प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियों को अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घावधि उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। बजट को लचीला बनाने की आवश्यकता है जिससे अनदेखी आपात आवश्यकताओं की पूर्ति समय रहते की जा सके। साथ ही राज्य स्तर पर जिलावार भिन्नताओं पर विचार किया जा सके।

3.11 अनुवीक्षण

बजट निर्णय लेते समय जेंडर की विभिन्न आवश्यकताओं को और अनुवीक्षण को महत्व देना ज़रूरी है। अनुवीक्षण अथवा मध्य-क्रम बजट सुधार कुछ प्रासंगिक प्रश्नों के उत्तर देने में निम्न प्रकार से सहायता कर सकता है—

- क्या उद्देश्य या क्रियाकलाप पूरे हो रहे हैं?
- क्या अभिगम भागीदारीपूर्ण है?
- क्या जेंडर मुद्दों को संबोधित किया जा रहा है?
- क्या उठाए गए कदम सफल हैं अथवा क्या मध्य-क्रम सुधारों के लिए कुछ संशोधनों की आवश्यकता है?
- क्या बजट मद उपयुक्त है अथवा क्या कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है?
- क्या प्रस्तावित बजट मद निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक हैं?
- क्या इस अभिगम ने कौशल विकास की प्रक्रिया को आरंभ किया है?
- क्या इसने बजट बनाने में महिलाओं की आवाज़ और भागीदारी को प्रोत्साहित किया है?
- क्या विभिन्न क्षेत्रों में निधियों के आवंटन के मुद्दे समय प्रबंधन के संदर्भ में आवश्यकता आधारित हैं?
- क्या ये महिलाओं या पुरुषों ट्रांसजेंडर समुदाय का सशक्तीकरण कर रहा है?
- क्या यह विरोधाभास प्रबंधन को संबोधित करने में सहायक हो पाया है?

3.12 बजट मूल्यांकन

मूल्यांकन के मानक बजट के संकेतकों पर आधारित होने चाहिए। व्यावहारिक और दीर्घावधि आवश्यकताओं के लिए निर्धारित किए लक्ष्यों को क्षेत्र अनुसार देखे जाने की आवश्यकता है। सफल पहलों को पहचाने जाने की आवश्यकता है। अंततः उन्नति के लिए सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए और सिफ़ारिशों के रूप में रखना चाहिए।

इस प्रक्रिया की समझ को सुगम बनाने के लिए क्रियाकलाप 3 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं।

क्रियाकलाप 3

1. पिछले पाँच वर्षों में अपने विद्यालय या संगठन के बजट विवरण को एकत्रित कर विश्लेषण करें कि बजट लिंग चिंताओं को कैसे दर्शाता है?

....

....

2. विभिन्न मंत्रालयों के बजट विवरण को एकत्रित कर जेंडर परिप्रेक्ष्य से इसका विश्लेषण और मूल्यांकन करें।

....

....

© NCERT not to be republished

3. 'केंद्रीय बजट— लिंग के संदर्भ में चिंताएँ और संभावनाएँ' विषय पर तर्क-वितर्क करें।
....
....

3.13 जेंडर बजटिंग के लिए साधन

जेंडर बजट विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन के प्रभाव का मूल्यांकन करने की विधि है—

- विभिन्न वर्गों और समुदायों के पुरुष या महिलाएँ या ट्रांसजेंडर समुदाय
- यह विश्लेषण करने में कि क्या सार्वजनिक व्यय का आवंटन सभी जेंडर के विकास के लिए समान रूप से किया गया है।
- यह जाँच करना कि बजट किस प्रकार वास्तविक रूप में सभी जेंडर की आवश्यकताओं और उम्मीदों को संबोधित करता है।

जेंडर बजट के साधनों को एक प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसका एक नमूना बॉक्स में दिया गया है।

जेंडर बजट नमूना

1. योजना या कार्यक्रम ....
2. आरंभ का वर्ष ....
3. उद्देश्य
   - अल्प अवधि
   - मध्यम अवधि
   - दीर्घ अवधि
4. लक्ष्यित समूह
5. बजट आवंटन— वार्षिक या 2 से 5 वर्ष का अंतराल
   - आवर्ती
   - गैर-आवर्ती
   - योजना
   - गैर-योजना
6. विविध प्रावधान
7. जिलावार विभिन्नताएँ
8. अनदेखी स्थितियों के लिए आवंटन
9. यह किस प्रकार संबोधित करता है
   - व्यावहारिक जेंडर आवश्यकताएँ
   - रूपांतरकारी परिवर्तन
10. दृष्टि (vision) और लक्ष्य (mission) ....

© NCERT not to be republished

3.14 बजट परिणाम

अनुवीक्षण की प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को वर्ष के मध्य तक प्रदर्शन और परिणाम बजट तैयार करने की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने यह संकल्पना 1969 में प्रस्तुत की थी। बजट का उद्देश्य सभी जेंडर के लिए आवंटित धन के प्रभाव का विश्लेषण करना है। इसके साथ ही यह देखना है कि क्या इससे पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक-आर्थिक स्तर में समग्र सुधार हुआ है और क्या इसने उन उद्देश्यों को पूरा किया है जिन पर विचार किया गया था। वर्तमान में अधिकांश केंद्रीय मंत्रालय आधारभूत परिणाम दस्तावेज़ (Result Framework Document; RFD) लेकर आए हैं, जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित परिणाम और उसके पूर्ण होने के लिए आवंटित समय सीमा पर केंद्रित हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत उद्देश्यों, महत्व, कार्य, सफलता के सूचकों, इकाईयों, लक्ष्यों और मानक मूल्यों को महत्व दिया गया है। आर.एफ.डी. एक स्व-अनुवीक्षण प्रारूप है, जिसमें निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्ता के पहलू को ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश होते हैं।

अतः बजट परिणाम अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को और उसकी संधारणीयता को नीतिगत शब्दाडंबर से निकलकर समाज में जनता की उम्मीदों और अपेक्षाओं को उनके द्वारा महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रदर्शित करता है।

क्रियाकलाप 4

1. विद्यार्थियों के साथ बजट के साधनों पर चर्चा कीजिए और उनकी प्रतिक्रियाओं को जानें?

   ....

   ....

2. इन साधनों की सहायता से विद्यार्थियों से उनके निजी विद्यालय, राज्य और केंद्र के बजट की पड़ताल करने के लिए कहा जा सकता है।

   ....

   ....

3. उपर्युक्त साधनों के आधार पर विद्यार्थियों से जेंडर बजट पर साधन तैयार करने के लिए कहा जा सकता है।

   ....

   ....

3.15 संदर्भ

- एलियम्मा, विजयन और सानू जार्ज मरियम्मा. 2009. *जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग— द केस ऑफ़ केरल.*
- डे. बी, बडलेडर और हयूवित गाय. 2006. *इंजेंडरिग बजट्स— ए प्रैक्टिशनर्स गाइड टू अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिग जेंडर रिस्पॉसिव बजट्स*, कामॅनवेल्थ सेक्रेटेरिएट.
- *फोर्थ वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑन वुमेन इन बीजिंग.* 1995. कंट्री रिपोर्ट. महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार.
- *महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति, 2001.* महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार.
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986.* मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.
- श्रीवास्तव, गौरी. 2010. जेंडरिंग द बजट मेकिंग प्रॉसेसेस फ़ॉर ट्रॉसलेटिंग इक्विटी एंड इक्वैलिटी इन प्रैक्टिस. *यूनिवर्सिटी न्यूज— ए वीकली जर्नल ऑफ़ हायर एजूकेशन,* एसोशिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटी, वॉल्यूम. 49, नं. 21, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 4

जेंडर, मीडिया और शिक्षा

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल की रूपरेखा

4.1 परिदृश्य
4.2 भूमिका
4.3 उद्देश्य
4.4 जेंडर और विज्ञापन— रूढ़िबद्धता का सुदृढ़ीकरण
4.5 जेंडर तथा मनोरंजन मीडिया
4.6 जेंडर, सूचना संचार प्रौद्योगिकियाँ (ICTs) और न्यू मीडिया
4.7 मीडिया के लिए जेंडर संवेदी नैतिक आचार संहिता
4.8 जेंडर और मीडिया के संदर्भ में बीजिंग की परम्परा
4.9 सकारात्मक हस्तक्षेपों के लिए संभावना
4.10 मीडिया और शिक्षा
4.11 मीडिया शिक्षा के उद्देश्य
4.12 संकल्पना
4.13 संदर्भ

4.1 परिदृश्य

एक अंग्रेज़ी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित मुंबई की भावी मेयर का रसोई में खाना पकाते हुए एक फोटोग्राफ़ को कुछ लोगों ने काफ़ी पसंद किया (द *टेलीग्राफ़*, कोलकाता, 2006)। लेकिन ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति जो एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक पद ग्रहण करना चाहता है, उसे रसोई घर में दिखाया जाए? क्या कभी किसी ने किसी पुरुष राजनेता का खाना पकाते हुए फोटो देखा है? क्या ऐसा इसलिए है कि मीडिया इस संदर्भ का निर्णय करता है कि महिला का स्थान कहाँ है और निरंतर इसे पुख्ता करता रहता है? इस मॉड्यूल में भारत में मीडिया परिदृश्य पर चर्चा करेंगे।

4.2 भूमिका

"मीडिया की प्रस्तुति— क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, उसे किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, वह खरीदार और विक्रेताओं और उनके इर्द-गिर्द की संस्था तथा सत्ता तंत्र की दिलचस्पी को प्रदर्शित करेगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो यह एक प्रकार का चमत्कार होगा।"

नॉम चोम्स्की, 1997

मीडिया (जनसंचार) ने दशकों तक जेंडर रूढ़िबद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतिदिन मीडिया द्वारा अनेक छवियाँ दिखाई जाती हैं। ये छवियाँ सुझाती हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। मीडिया के सुझाव हमारी सोच में जगह बना लेते हैं।

जेंडर भूमिकाएँ, जो सभी प्रकार के मनोरंजन मीडिया में भेदभाव दर्शाती हैं, उन्होंने समाज में महिलाओं के निम्नीकरण को और मज़बूत किया और बढ़ाया है। अनेक विषय-वस्तु विश्लेषण अध्ययनों में बताया गया है कि महिलाओं को पीड़ित, देखभाल करने वाली और सेक्स की वस्तु के रूप में चित्रित किया जाता है जबकि पुरुषों को स्वामी, काम करने वाले और बुद्धिजीवियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कल्पित नाटकों में पुरुषों की रूढ़िबद्ध भूमिका को निर्णायक, आग्रही, प्रभुता संपन्न और करियर-उन्मुख के रूप में और महिलाओं को भावनात्मक रूप से निर्भर, सभी को खुश रखने के लिए तैयार, भावुक और प्राथमिक रूप से पारिवारिक संबंधों के लिए चिंतित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन धारावाहिकों में महिला पात्र अकसर गृहणियाँ, निजी सहायक, शिक्षिकाएँ अथवा नर्स आदि पात्र में होती हैं। यद्यपि, भारतीय विज्ञापनों में महिलाओं को पुरुषों से अधिक दिखाया जाता है, हालाँकि उन्हें रूढ़िबद्ध महिला क्रियाकलापों, जैसे— खरीदारी करते, खाना बनाते और पुरुषों को रिझाने के लिए सजते-संवरते दर्शाया जाता है। मीडिया में यह सेक्स (लिंग) आधारित भूमिका की रूढ़िबद्धता न सिर्फ़ अपमानजनक है, बल्कि यह आर्थिक और राजनैतिक स्वायतत्ता प्राप्त करने के महिलाओं के संघर्ष को गंभीर रूप से बाधित कर रही है।

समाज में महिलाओं की भूमिका में हुए परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिर भी मीडिया में महिलाओं का प्रदर्शन निरंतर चिंता का कारण बना हुआ है। सभी मीडिया में महिलाओं का प्रदर्शन निम्नलिखित को रेखांकित करता है—

- सौंदर्य (संकीर्ण प्रथाओं के परिप्रेक्ष्य में)
- साइज़ या कद काठी (पुनः संकीर्ण प्रथाओं के परिप्रेक्ष्य में)
- लैंगिकता (उपर्युक्त द्वारा अभिव्यक्त के रूप में)
- भावनात्मक व्यवहार (बौद्धिकता के विपरीत)
- संबंध (आत्मनिर्भरता या स्वतंत्रता के विपरीत)
- निर्भरता (आर्थिक और सामाजिक रूप से)
- हाशिए पर तथा वंचित

लैंगिकता पर आधारित महिलाओं की छवि न सिर्फ़ पत्रिकाओं, बल्कि समाचार-पत्रों और टेलीविजन में भी स्थान पाती है। इनमें महिलाओं के शारीरिक या लैंगिक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है और उनकी क्षमताओं को कमतर आंका जाता है। यद्यपि महिलाओं की देखभाल करने वालों के रूप में रूढ़िबद्धता के कुछ सकारात्मक अर्थ हैं, लेकिन फिर भी ये रूढ़िबद्धताएँ ही हैं। ये छवियाँ उनके अनेक कार्यों को करने की योग्यता और सक्षमता पर प्रकाश नहीं डालती हैं। इस तथ्य को प्रबलीकृत करने की आवश्यकता है कि महिलाएँ घर के बाहर और घर में काम करती हैं। वे ज़िम्मेदार, प्रगतिशील और सोचने की क्षमता रखती हैं। उनके अंदर परिवार, समाज और राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व करने वाली भूमिकाओं के निर्वहन की क्षमता हैं।

क्रियाकलाप 1

1. नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। ये महिलाओं की सबसे अधिक दिखाई देने वाली छवियों के दो प्रतीकात्मक उदाहरण हैं। तथाकथित शहरी और युवा महिलाओं को पश्चिमी परिधानों में दिखाया गया है जिनका एकमात्र काम फ़ैशन करना है और दूसरा चित्र गाँव या छोटे कस्बे के रूढ़िवादी परिवार का है। क्या आप इन छवियों से सहमत हैं?
2. टेलीविज़न पर महिलाओं के इस प्रकार के चित्रण पर सोचिए और इसके कारणों पर चर्चा कीजिए।

सौंदर्य और बुद्धि एक साथ कम ही दिखते हैं

सदैव निर्भर और वंचित

*स्रोत— *बालिका वधू* सीरियल से एक चित्र

© NCERT not to be republished

अतः हम पाते हैं कि मीडिया की विषय-वस्तु इससे प्रभावित होती है कि मीडिया बनाने वाले जेंडर भूमिकाओं की यथार्थता को दिखाने और परिभाषित करने के सामान्य रूप से स्वीकृत तरीकों की अनुभूतियों को ही दर्शाते हैं। समाज के अधिक तर्कसंगत और संतुलित दृष्टिकोण को प्रसारित और प्रचारित करने की असफलता राजनैतिक और आर्थिक तंत्र की पितृसत्तात्मक प्रकृति से प्रेरित है, जो रूढ़िबद्धताओं में सतत रूप से चली आ रही है।

दूसरी तरफ जब हम मीडिया द्वारा चित्रित पुरुषों की छवि को देखते हैं, तो उन छवियों में दृढ़ रूढ़िबद्धता को पाते हैं। सभी प्रकार के मीडिया में पुरुषों का प्रतिनिधित्व निम्न पर केंद्रित होता है—

- शक्ति-शारीरिक और बौद्धिक
- आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न
- सत्ता संभालना
- लैंगिक आकर्षकता (जो उपर्युक्त पर आधारित हो सकती है)
- कदकाठी

कुछ पुरुष ऐसे हो सकते हैं, जो ऐसे चित्रण के अनुरूप न हो और कुछ ऐसे हो सकते हैं, जो ऐसी स्थिति को बनाए रखने में दबाव महसूस करते हों। एक दिलचस्प प्रेक्षण यह है कि एक पुरुष और एक महिला को जिस तरीके से चित्रित किया जाता है, वह वर्षों से लगभग एक जैसा ही है। यद्यपि वेशभूषा कपड़े और करियर (रोज़गार) में परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएँ प्राथमिक रूप से समान ही हैं। हाल ही में ऐसा हुआ है कि कुछ उभयलिंगी छवियाँ दर्शायी गई हैं।

कुछ पुरुष बाहुबली और निडर हैं, लेकिन उतने ही मृदु और दयालु भी हैं। इसी प्रकार महिलाएँ दयालु और सौम्य होने के साथ ही कुछ धारावाहिकों और फ़िल्मों तथा विज्ञापनों में सक्षम, बहादुर और निडर भी दिखाई जाती हैं। यद्यपि यह हाल ही में हुआ परिवर्तन और उतना व्यापक नहीं है जितना पारंपरिक श्रम और दायित्वों का विभाजन और महिला अथवा पुरुष से संबद्ध गुणों का चित्रण हैं।

मीडिया में ट्रांसजेंडर व्यक्ति

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मीडिया प्रतिनिधित्व बहुत उपहास चित्र प्रस्तुत करता है और नकारात्मक रूढ़ियों से भरा हुआ है। भारत में टेलीविजन और फ़िल्म मीडिया ने लंबे समय से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य को महज एक सहारा के रूप में दिखाया गया है, जिनकी पृष्ठभूमि का कोई महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं है। वे ज्यादातर अनुचित हंसी का उपयोग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, या यातायात संकेतों में सार्वजनिक उपद्रव करने, खलनायक, नर्तकियों, यौनकर्मियों आदि के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसने केवल अस्वीकृति और कलंक की संस्कृति का निर्माण किया है। साथ ही ऐसी ऐसी भूमिकाओं में शायद ही किसी वास्तविक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शामिल किया गया हो। हालाँकि, हम यह भी देख सकते हैं कि हाल ही में मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। नीचे दी गईं तस्वीरें देखें।

क्रियाकलाप 2

क्या सभी पुरुष सिर्फ़ इसी तरह से व्यवहार करते हैं अथवा क्या अब चलन बदल रहा है? इस विषय पर समूह में चर्चा करें

आँखे बोलती हैं...सत्ता
स्रोत — मुक्ति बंधन से एक चित्र

स्रोत— बालिका वधू से एक चित्र)

© NCERT not to be republished

नकारात्मक रूढ़िबद्धता के परिणाम

समाजीकरण की प्रक्रिया पुरुषों और महिलाओं को उन व्यवहारगत रूपों, व्यक्तित्व गुणों और व्यावसायिक भूमिकाओं में जबरन धकेलती हैं जिन्हें समाज उपयुक्त समझता है। महत्वपूर्ण यह है कि ये सीमाएँ एक तंत्र निर्मित करती है, जो पुरुषों के अधिक अनुकूल होता है। इसके परिणामस्वरूप पुरुषों को अपनी योग्यता को विकसित करने के भरपूर अवसर मिलते हैं जबकि महिलाएँ सीमित क्षेत्रों तथा स्थानों में कार्य करने के लिए विवश होती हैं। इससे निम्न बातें प्रकाश में आती हैं—

- महिलाओं की सापेक्ष शक्तिहीनता
- महिलाओं के लिए व्यवसायों के सीमित क्षेत्र
- महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों की कमी
- महिलाओं की क्षमताओं के लिए सम्मान की कमी और
- महिलाओं में आत्म-सम्मान की कमी

यद्यपि मीडिया जेंडर रूढ़िबद्धताओं को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीडिया के बदलते रूप को कम नही आँकना चाहिए, क्योंकि यह रूढ़िबद्धताओं को उलटने में भी कामयाब रही है। अतः एक तरफ मीडिया पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को सनसनीखेज बनाने का दोष लगाया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ उसने महिला अपराध के मुद्दों को प्रकाश में लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जिनमें मीडिया ने सकारात्मक भूमिका निभाई है, जैसे — जेसिका लाल की हत्या के मामले को वास्तव में मीडिया ने ही सुलझाया था। इसके साथ निर्भया सामूहिक बलात्कार मामले में जनान्दोलनों और मीडिया ने बलात्कार विरोधी कानूनों को बनाने और उनमें संशोधन करने के संदर्भ में न्यायिक सुधार में सफलता प्राप्त की है। ये राष्ट्रीय स्तर के दो उदाहरण हैं, जो राष्ट्र के इतिहास के पन्नों में दर्ज़ हैं। इससे स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि मीडिया जेंडर पूरकता की छवियों को दृढ़ीकृत करके सामाजिक परिवर्तन के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है।

4.3 उद्देश्य

- यह समझना कि मीडिया किस प्रकार जेंडर रूढ़िबद्धताओं को दृढ़ीकृत करता है।
- मीडिया द्वारा दृढ़ीकृत की गई कुछ सकारात्मक और नकारात्मक छवियों का विश्लेषण करना।
- कुछ प्रचलित मीडिया शैलियों की उनके जेंडर चित्रण के लिए पड़ताल करना।
- यह समझना कि मीडिया में महिलाओं की भागीदारी का अल्प स्तर उसकी विषय-वस्तु के प्रदर्शन को किस प्रकार प्रभावित करता है।
- उन कारकों की पहचान करना, जो महिलाओं द्वारा मीडिया को एक व्यवसाय के रूप में लेने से रोकते हैं।
- मीडिया कानूनों, नैतिकताओं और मूल्यों का पता लगाना।

4.4 जेंडर और विज्ञापन— रूढ़िबद्धता का सुदृढ़ीकरण

आज विज्ञापन उद्योग एक बहु-सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग है। विज्ञापन, व्यापक स्तर पर लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। विज्ञापन बनाने वाले रूढ़िबद्ध जेंडर धारणाओं का दोहन करते हैं, जिससे उन्हें व्यापक रूप से पसंद किया जाए। पुरुषों को कार अथवा व्यावसायिक उत्पादों के

प्रचलित विज्ञापन– रूढ़िबद्धता को दर्शाते हुए

विज्ञापनों में दिखाया जाता है। महिलाएँ अधिकतर घरेलू और सजावटी उत्पादों के विज्ञापनों में दिखाई देती हैं। पुरुषों को अकसर घर से बाहर अथवा कारोबारी व्यवस्थाओं में दिखाया जाता है। उम्र के साथ पुरुष प्रभुत्व प्राप्त करते दिखाए जाते हैं, जबकि महिलाएँ लुप्त होती जाती हैं।

विज्ञापनों में सेक्स (लिंग) भूमिका के चित्रण पर केंद्रित होने की आधारभूत व्याख्या उस निकट संबंध में निहित है जिसमें विज्ञापन, उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग और महिलाओं की उपभोक्ता के रूप में प्रमुख आर्थिक भूमिका के बीच पाया जाता है। इन विज्ञापनों में महिलाएँ सामान्यतः घर तक सीमित और घर के बाहर की अन्य महिलाओं से अलग दिखती हैं और पुरुष उनके प्रिय साथी के रूप में होते हैं। यद्यपि अब इस चलन में कुछ परिवर्तन दिखने लगे हैं। इस बदलते हुए चलन का अनुसरण करने की आवश्यकता है।

अधिकांश विज्ञापनों में ऐसा दिखाया जाता है, महिला कपड़े अथवा बर्तन धो रही हैं, खाना पका रही हैं, परिवार के सदस्यों को भोजन परोस रही हैं अथवा अपने पति को बेहतर महसूस कराने का प्रयास कर रही हैं, जो उस समय समाचार पत्र पढ़ रहा है अथवा सर्दी-ज़ुकाम से पीड़ित है। महिला यह सब तब भी करती है जब उसको सिरदर्द अथवा पीठदर्द हो रहा हो। ऐसे चित्रण उस पुरानी मान्यता को दृढ़ीकृत करते हैं जहाँ एक महिला से अपनी सुख-सुविधा भूलकर बिना थके घरेलू कार्य करते रहने की उम्मीद की जाती है। यहाँ तक कि मूव का टी.वी. विज्ञापन इसी सोच पर आधारित है। इस विज्ञापन में महिला को एकमात्र ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो घर के सारे कार्य कर रही है और पति से लेकर बच्चों और सास-ससुर तक घर के सभी सदस्यों की फ़रमाइशों को पूरा कर रही है। उसे अपने काम से छुट्टी तभी मिलती है, जब वह पीठदर्द से कराह उठती है। अंततः परिवार मरहम की ट्यूब को देकर और पति उसको मरहम लगाने का आग्रह करके उसकी उपस्थिति को स्वीकार करने का निर्णय लेता है।

यह देखना अस्वाभाविक नहीं है कि कपड़े धोने के पाउडरों के विज्ञापनों में हमेशा गृहिणी ही कपड़े धोती दिखाई देती है। इसी प्रकार कार के विज्ञापन में अधिकतर पुरुष ही कार चलाते दिखते हैं। विज्ञापन बनाने वालों की नीयत चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह जेंडर आधारित विज्ञापन दर्शकों पर यह छाप छोड़ते हैं कि कुछ उत्पाद किसी नियत लिंग के लिए ही होते हैं। यद्यपि यह 'नीयत' संस्कृति से प्रेरित है। बड़े कार लॉन्च कार्यक्रमों में किसी प्रसिद्ध महिला को संबद्ध किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और सेक्सुएलिटी वाली प्रसिद्ध महिलाओं को ग्लैमर और ध्यानाकर्षण के लिए आमंत्रित किया जाता है। कार अथवा बाइक शो और व्यापार मेलों में भी ऐसा ही होता है।

इस चलन का एक स्पष्ट उदाहरण सर्फ़ एक्सेल के अभियान 'दाग अच्छे हैं' में देखा जा सकता है, जो कि हिन्दुस्तान यूनीलीवर के एक कपड़े धोने के पाउडर का ब्रांड है। इस विज्ञापन में एक छोटा लड़का एक सुरक्षा करने वाले भाई के रूप में अपनी बहन को हँसाने के लिए कीचड़ में डंडा मार रहा है। ऐसे अधिकांश विज्ञापनों में लड़कों को गंदा, शैतान, नटखट, बुद्धिमान और प्रिय के रूप में दिखाया जाता है। जब हम विज्ञापनों में दो बच्चे देखते हैं, तो इसमें सामान्यतः एक लड़का और एक लड़की अथवा दो लड़के दिखाए जाते हैं और बहुत कम ही किसी परिवार में दो लड़कियों को दिखाया जाता है। इस प्रकार यह इस धारणा को सुदृढ़ करता है कि एक आदर्श परिवार में कम-से-कम एक लड़का अवश्य होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि लिंगानुपात (Sex ratio) में लड़कियों की घटती संख्या दिखाई देती है। परिवार छोटे परिवार को अपना रहे हैं, लेकिन जन्म लेने वाले बच्चे के लिंग का चयन आसानी से उपलब्ध लिंग निर्धारण तकनीकों की सहायता से करके मादा भ्रूण का गर्भपात करवा देते हैं।

क्रियाकलाप 3

समूह के सदस्य विचार करके दो ऐसे विज्ञापनों को जिनमें रूढ़िबद्धता को सुदृढ़ किया गया है और दो ऐसे विज्ञापन जिनमें महिलाओं की सकारात्मक छवि निर्मित करने का प्रयास किया गया है, प्रस्तुत करें।

© NCERT not to be republished

महिलाओं को सामान्यतः राजनेता, समाचारों में आने वाली विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता अथवा कारोबारी और उद्यमियों आदि के रूप में चित्रित नहीं किया जाता है, इनमें नियमित रूप से पुरुषों को ही चित्रित किया जाता है। यदि महिलाओं का इन रूपों में प्रदर्शन किया भी जाता तो उनमें उनके महिलाओं में घरेलू दायित्वों के साथ संगतता को भी दर्शाया जाता है। यदि गंभीर व्यवसायवाद अथवा महत्वाकांक्षाएँ हों, तो परिवार और समाज के प्रतिरोध को प्रकाश में लाया जाता है। अतः जो इस साँचे में फ़िट नहीं होती हैं उन्हें खतरनाक और लीक से हटकर देखने की प्रवृति है। व्यवसाय में शक्तिशाली महिला को अधिक नकारात्मक रूप में दिखाया जाता है। हाल ही में, कुछ कार्यक्रमों में यह बताने का प्रयास किया गया है कि पारंपरिक छवियों ने सम्मानजनक रूप से नई संस्कृति के लिए राह बनाई है। समकालीन छवि भारतीय महिला को एक ऐसे नए रोल मॉडल के रूप में चित्रित करती है, जिसमें घर और कार्य जगत दोनों के श्रेष्ठ गुण हैं। वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और महत्वाकांक्षी है, लेकिन उसमें स्त्रियोचित गुण भी भरपूर हैं।

अच्छी महिलाओं को आज्ञाकारी, संवेदनशील और घरेलू रूप में और बुरी महिलाओं को विद्रोही आत्मनिर्भर और स्वार्थी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रूढ़िगत ड्रीमगर्ल (स्वप्न सुन्दरी) की विशेषताओं में विनम्र, शांत, संवेदनशील, आज्ञाकारी, गैर-प्रतिस्पर्धी, सौम्य-स्वभाव आदि शामिल हैं। पुरुष हीरो के रूप में उनमें बलिष्ठ, आक्रामक, आग्रही, पहल करने वाले, आत्मनिर्भर प्रतिस्पर्धी और महत्वाकांक्षी होने की कल्पना की जाती है। टेलीविज़न और फिल्मों के नायक अच्छाई, सत्ता, नियंत्रण, आत्मविश्वास, सक्षमता और सफलता को प्रदर्शित करते हैं। वे प्रतिस्पर्धी आर्थिक तंत्र में सफल होने के लिए अनुकूलित हैं। यह आक्रामकता पुरुषों में व्याप्त हो जाती है जिन्हें फिल्मों और नाटकों में युद्धनेताओं के रूप में अपराध और हिंसा को कायम रखने वालों के रूप में दिखाया जाता है। अनेक युवा लड़कों में मारधाड़ और आक्रामकता के जरिए ऐसे गुणों का अनुसरण करने की प्रवृति होती है।

क्रियाकलाप 4

1. नीचे मीडिया से कुछ तस्वीरें दी गई हैं। उन पर तीन समूहों में व्याख्या और चर्चा कीजिए। समूह अपनी टिप्पणियों के प्रस्तुतीकरण के लिए विषय के रूप में निम्न को ले सकते हैं—
   (क) रूढ़ियों को सुदृढ़ करना
   (ख) रूढ़ियों को तोड़ना
   (ग) नई छवि विकसित करना

© NCERT not to be republished

उपभोक्ताओं के रूप में महिलाएँ

मीडिया की महिलाओं को एक उपभोक्ता के रूप में चित्रित करने में अधिक दिलचस्पी है। ये रूढ़िबद्ध हैं और उत्पादों को बेचती, खरीदती और उपभोग करती हैं। मीडिया में महिलाओं की रूढ़िबद्ध छवियाँ व्यावसायीकरण के विस्तार से बढ़ी हैं। महिला उनमें से एक है जो अंतहीन खरीदारी करती है और उसके बाल, पोशाक, जूते सभी पर नवीनतम और सबसे मंहगे उत्पाद होने की मुहर लगी होती है। किसी भी धारावाहिक में कोई भी महिला पात्र पोशाक को दोहराती नहीं है। वह यह सुनिश्चित करती है कि उसका घर नवीनतम उपकरणों से सज्जित हो। मीडिया की उपभोक्ता के रूप में महिलाओं में अधिक दिलचस्पी है।

विज्ञापनों, धारावाहिकों और नाटकों में महिलाओं की रूढ़िबद्धता को रोकने देने हेतु विभिन्न महिला आंदोलन हुए हैं। इन आंदोलनों ने महिला के शरीर को वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने, उनके विरूद्ध होने वाली हिंसा आदि के संदर्भ मे मीडिया का पुरज़ोर विरोध किया है।

अभी तक हमने मीडिया द्वारा चित्रित की गई छवियों के प्रकारों पर चर्चा की है। चर्चा का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु प्रत्येक चित्रण के लिए निहित कारणों को समझना है।

4.5 जेंडर तथा मनोरंजन मीडिया

समाज महिलाओं को कैसे देखता है और महिलाएँ स्वयं को कैसे देखती हैं इसका प्रभाव मीडिया में दिखाई जा रही उनकी भूमिका पर भी पड़ता है। दुनिया उसी छवि को मान लेती है जैसा टेलीविज़न और सिनेमा में दिखाई देता है। रोमांचक फिल्मों से लेकर टीवी सीरियल तक का दर्शकों पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। भले ही कहानी और पात्र काल्पनिक हों, लेकिन उनमें निहित सोच और संदेश काल्पनिक नहीं होते हैं। ये सांस्कृतिक मूल्यों को प्रेषित करते हैं, जो दर्शकों के सोचने और बातचीत करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। ऐसे प्रतीकीकरण को समझना महत्वपूर्ण है जिससे उन दोहरे मानदंडों को दिखाया जा सके, जो हमारी संस्कृति और समाज में व्याप्त हैं। विरोधाभास यह है कि अपने समाज से हिंसा को उखाड़ फेंकने के प्रयास में हम उन रूढ़िबद्धताओं को ही आत्मसात कर लेते हैं। आइए, अब उन विशिष्ट साधनों को परखते हैं जिनके द्वारा ये कार्य करते हैं।

टेलीविज़न

प्रचलित नायक और फ़ैशन जगत की महिलाएँ सौंदर्य और घरेलू उत्पादों का विज्ञापन करते दिखाई देते हैं। जो महिलाएँ रोज़गार और व्यवसायों में लीक से हटकर काम कर रही हैं उनकी कहानी कही जा सकती है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है और ये अलग-थलग भी हैं। वास्तव में यह एक बड़ा उद्योग है, जो अच्छे दिखने, वज़न नियंत्रण से लेकर शृंगार और तंदुरुस्ती बनाए रखने के उत्पादों के कारण फलफूल रहा है। अनेक व्यापारिक संस्थान महिला उपभोक्तओं को लक्षित करते हैं। वे अकसर महिलाओं को सिर्फ़ उत्पाद बेचने का ही लक्ष्य रखते हैं और वह जानकारी प्रदान नहीं करते हैं जिसकी उनको आवश्यकता होती है। यही बात दैनिक धारावाहिकों के लिए भी सही है। ऐसा भी दिखाया जाता है कि वे महिलाएँ जो आधुनिक परिधान पहनती हैं और बहुत आत्मविश्वासी दिखाई देती हैं उन्हें बुरी नीयत वाली अथवा गैर-परंपरावादी रूप में चित्रित किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें रूढ़िवादी अथवा उन साथियों से, जो उतनी आधुनिक नहीं हैं अलग दिखाया जाता है।

खेलकूद के कार्यक्रम पुरुषों को प्रतिस्पर्धा, शक्ति और अनुशासन के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। अधिकांश युद्ध आधारित फिल्में हिंसा को प्राकृतिक और पुरुषों के लिए बहादुर जैसे के रूप में बढ़ावा देती हैं। सैनिक अल्पभाषी, बहादुरी का काम करने वाले तथा बलशाली और आत्मनिर्भर होते हैं। इसी प्रकार जासूसी की कहानियाँ पुरुषोचित अहम् और स्वामित्व तथा निश्चतता का सुख देती हैं। ऐसे कार्यक्रमों में महिलाएँ दूसरे पायदान पर रहती हैं और डेस्क का कार्य करती हैं। अच्छी एवं दुखी दिखती हैं और कभी-कभी उसमें हास्य का पुट देने के लिए अस्थिर दिमाग वाली भूमिकाएँ भी निभाती हैं।

फ़िल्में

बॉलीवुड की फ़िल्मों में अधिकांश महिलाओं को उन्मत्त और अतार्किक रूप में चित्रित किया जाता है। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में चीखना, चिल्लाना और रोना उनकी प्रतिक्रिया का अभिन्न अंग होता है। साथ ही कई ऐसी फ़िल्में भी हैं जहाँ महिलाएँ आग्रही होती हैं उन्हें 'बुरा' माना जाता है, जबकि पुरुष, महिलाओं को छेड़ने और चिढ़ाने और मारने पर भी 'हीरो' माने जाते हैं। उन फ़िल्मों में भी जहाँ महिला अपनी निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग करती है उसको लगभग हमेशा ही बुरे रूप में अथवा पंरपरावादी नहीं होने के रूप में चित्रित किया जाता है।

मुद्रित सामग्री

सामान्यतः महिलाओं की समस्याओं को समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ में स्थान नहीं मिलता है, जब तक कि वह हत्या अथवा बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का मामला न हो। समाचार पत्र

© NCERT not to be republished

जेंडर रूढ़िबद्धता हमारी संस्कृति में बच्चे के टीवी देखने अथवा कहानियाँ पढ़ना आरंभ करने के आरंभिक चरण से ही बैठा दी जाती हैं। अनेक बाल फ़िल्मों में शक्तिशाली पुरुष नायक होते हैं। भले ही निर्माता जानबूझकर जेंडर असंवेदी वक्तव्य न बना रहे हों, लेकिन वे जो कुछ भी निर्मित करते हैं उसे लाखों लड़कों और लड़कियों द्वारा देखा जाता है। ये देखकर कि पुरुष अंत में हीरो ही बनेगा और महिला पतली, गोरी, निर्मल मन वाली लड़की होगी जिसे रक्षा की आवश्यकता है, कम आयु में बच्चों के मन में रूढ़िबद्धता को अंकित कर देते हैं।

एक प्रचलित बाल कार्यक्रम— अलादीन

सामान्यतः महिला सशक्तीकरण के प्रासंगिक मुद्दों, जैसे— निर्णय लेने की क्षमता, अनेक कार्य कर सकने का कौशल अथवा राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को संबोधित नहीं करते हैं। उनकी शक्ति को प्रकाश में लाने के लिए विशेष दिनों, जैसे— मातृ दिवस, महिला दिवस आदि की आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं से संबंधित मुद्दों का प्रदर्शन सौंदर्य टिप्स, व्यंजन बनाने की विधियाँ, फ़ैशन, आभूषण आदि में देख सकते हैं।

समाचारपत्रों में कभी-कभी महिलाओं की समस्याएँ छापी जाती है जिससे नीति निर्माताओं का ध्यान उन मुद्दों पर जाए जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हो, जैसे— प्रतिकूल लिंगानुपात, शिशु और मातृ मृत्युदर, महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा गरीबी का महिलाओं और उनके परिवारों पर प्रभाव आदि। लेकिन समाचार की यह कवरेज काफ़ी सीमित होती है और शेष स्थान सिनेमा की नायिकाओं, मॉडल, वीडियो जॉकी (VJs) तथा अमीर महिलाओं और उनकी रुचियों से घिरा रहता है। अनेक महिला पत्रिकाएँ, फ़ैशन, ग्लैमर, सौंदर्य उत्पादों, वज़न कम करने, खाना पकाने और नारीत्व गुणों के संवर्द्धन तक ही सीमित होती हैं, ताकि पुरुषों और ससुरालवालों को प्रसन्न किया जा सके। इनमें रोज़गार अवसरों, स्वास्थ्य जागरूकता, उद्यमशीलता, कानूनी सहायता, परामर्श सेवाओं, बाल देखरेख सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन पर अपेक्षाकृत कम लेख होते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में इस संदर्भ में एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन के लिए दो क्षेत्रीय समाचार पत्रों तथा दो अंग्रेज़ी समाचार पत्रों का चयन किया गया था। प्रमुख समाचार पत्र सिर्फ 5 प्रतिशत महिलाओं से संबंधित मुद्दों को प्रकाशित करते हैं तथा 8 प्रतिशत मुख पृष्ठ पर तथा शेष अंदर के पृष्ठों पर छपती हैं। इस अध्ययन से पता चला कि महिला विकास के मुद्दों को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है।

मैगज़ीन

मैगज़ीन शब्द का प्रयोग 1730 के दशक में एडवर्ड केव (1691–1754) द्वारा द *जेंटलमेंनस* तथा द *लेडिज़ मैगज़ीन* के प्रकाशन के साथ आरंभ हुआ था (कोनोर जी, 2001)। प्रत्येक आयु तथा सामाजिक समूह के लिए उनकी रुचि और जीवनशैली और किसी भी अभिरुचि के लिए विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएँ पाई जाती हैं। विज्ञापनों और लेखों के द्वारा महिलाओं पर दैहिक रूप से आकर्षक दिखने का अत्यधिक दबाव रहता है।

दिल्ली में स्थित एक मीडिया पैरवी समूह द्वारा किए गए अध्ययन में रूढ़िबद्धीकरण और भेदभाव के उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया। अध्ययन के अनुसार समाचारपत्रों में पुरुषों के साक्षात्कार में मुश्किल से ही उनके वैवाहिक स्तर अथवा उनकी वेशभूषा आदि का उल्लेख होता है। साक्षात्कार उनके कार्य पर ही केंद्रित होता है। इसके विपरीत सफल महिलाओं से अप्रासंगिक यहाँ तक कि अनर्गल प्रश्न भी पूछे जाते हैं। महिलाओं को दी जाने वाली समग्र कवरेज की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। पुरुष को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। उन्हें विविध भूमिकाओं, जैसे— प्रशासन, कानून, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिखाया जाता है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व नगण्य उपस्थिति से पूर्ण बहिष्करण तक का होता है और कुछ स्वीकृत व्यवसायों में कार्यरत महिलाओं की बात की जाती है या साक्षात्कार लिया जाता है। उदाहरण के लिए, महिला शिक्षाविद् अथवा महिला चिकित्सक अधिक देखी जा सकती हैं। यदि किसी पुरुष वर्चस्व वाले व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने पर महिला का साक्षात्कार किया जाता है, तो उसमें उसके 'स्त्रीत्व' को बताने में अक्सर बहुत कष्ट होता है।

© NCERT not to be republished

महिलाओं की कम कपड़ों अथवा नग्न शरीर की उत्तेजक तस्वीरें विशेष रूप से प्रिंट विज्ञापनों में प्रचलित हैं, जिससे दर्शकों का ध्यानाकर्षित किया जा सके।

लॉरी अब्राहम (*एली* पत्रिका की कार्यकारी संपादक हैं) ने चेतावनी दी है कि महिलाओं की पत्रिकाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि "हम सेक्स के विषय में कितना झूठ बोलते हैं।" ये 'झूठ' इस विचार को कायम रखते हैं कि महिलाओं की लैंगिकता पुरुषों के सुख के लिए होती है। उदाहरण के लिए, निकोल क्रैसास ने *कॉसमोपॉलिटन* तथा *प्लेबॉय* पत्रिकाओं के अपने अध्ययन में पाया कि पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की पत्रिकाओं में महिला लैंगिंगकता का एकमात्र उद्देश्य यह है कि "महिलाओं को प्राथमिक रूप से पुरुषों को आकर्षित करने और उन्हें लैंगिक रूप से संतुष्ट करने से सरोकार रखना चाहिए।" गलत जानकारी और मीडिया रूढ़िवादिता की उपस्थिति विचलित करने वाली है, इसे देखते हुए शोध दर्शाते हैं कि युवा लोग लिंग तथा लैंगिकता पर जानकारी के लिए अकसर मीडिया का रुख करते हैं (सिंह, आनंद, तथा कपला, 1988)।

चर्चा का दूसरा प्रमुख बिंदु यह है कि युवा विद्यार्थी जो कुछ निष्क्रिय रूप से सुनते अथवा देखते हैं उन्हें स्वीकार करने की अपेक्षा प्रश्न पूछने आरंभ करने चाहिए। वे बिंदु क्या हैं इसके विषय में मीडिया मिथकों को पहचानना एक अच्छी पहल है। यहाँ यह कहने का उद्देश्य एक तरफ टेलीविज़न, फ़िल्म, वीडियो, नायकों का रूढ़िवादी व्यवहार और दूसरी तरफ उनके अपने जीवन के बीच अंतर करने से है।

4.6 जेंडर, सूचना संचार प्रौद्योगिकियाँ (ICTs) और न्यू मीडिया

पहले यह समझते हैं कि न्यू मीडिया क्या है। न्यू मीडिया संचार के उन्नत साधन, जैसे— इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कम्युनिटी रेडियो, इंटरऐक्टिव वीडियो आदि हैं। न्यू मीडिया ने सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अंत: क्रियात्मक बना दिया है, जिसका अर्थ है कि जो कोई भी इसमें सम्मिलित हैं और भागीदारी कर रहे हैं, वे संदेश की विषय-वस्तु को स्पष्ट करने में सहयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि वे संदेश सृजन और

इंटरनेट कैफ़े में अश्लील साहित्य (पोर्नोग्राफ़ी)

भारत जैसे विकासशील देशों में अनेक व्यावसायिक सार्वजनिक इंटरनेट सुविधा केंद्र उभर रहे हैं। यद्यपि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में ये इंटरनेट सुविधाएँ मुख्य रूप से मनोरंजन केंद्र हैं, जहाँ पुरुष अकसर अश्लील विषय-वस्तु तक पहुँचने के लिए जाते हैं। अधिकतर इंटरनेट कैफ़े मैनेजर, जोकि सामान्यतः एक युवक होता है, स्वयं भी अश्लील साहित्य की तलाश में रहता है और ये स्थान उसके पुरुष मित्रों के लिए मनोरंजन केंद्र बन जाते हैं। यह भारत में कुछ गैर-लाभ संगठनों द्वारा स्थापित सामुदायिक टेलीसेंटरों के लिए भी सच है। महिलाएँ और लड़कियाँ इंटरनेट तक पहुँच के लिए ऐसे स्थानों पर जाने से स्वाभाविक रूप से डरती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक व्यावसायिक इंटरनेट केंद्रों पर जेंडर असंवेदी प्रबंधन से इसका खतरा भी रहता है कि महिलाओं और लड़कियों के व्यक्तिगत ई-मेल पते तक पहुँचकर उनका उपयोग लड़कों और पुरुषों द्वारा उनके उत्पीड़न के लिए किया जाता है।

क्रियाकलाप 5

पत्रिका विज्ञापनों से संदेश

विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत छोटे समूहों में विभाजित कर लीजिए। प्रत्येक समूह के एक भागीदार से कहिए कि वह प्रश्नों के उत्तर पढ़े और अपनी प्रतिक्रियाओं को बोर्ड पर अथवा फ्लिप चार्ट पर लिखे जिससे तुलना की जा सके इन दिनों अधिकांश विज्ञापनों मे कौन-से प्रचलित विषय पाए जाते है?

- विज्ञापनों में पुरुषों तथा महिलाओं की भूमिकाओं के विषय में क्या कहा जा रहा है?
- जेंडर भूमिकाओं के विषय में हमारी सोच को और उम्मीदों को विज्ञापन किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं?

आइए, अब हम पता लगाते हैं, कि क्या नए प्रकार का मीडिया महिलाओं के समावेश और जेंडर संवेदनशीलता के लिए संभावना प्रदान करता है?

© NCERT not to be republished

प्रसारण की प्रक्रिया से लाभान्वित भी होते हैं। ऐसे मीडिया में महिलाओं की उन्नति में योगदान करने की कहीं अधिक क्षमता पाई जाती है।

यद्यपि महिलाओं की भागीदारी की संभावना के विषय में विरोधाभासी मत हैं। कुछ मानते हैं कि उनके उपयोग और उत्पादन में महिलाओं और पुरुषों की पहुँच में काफ़ी असमानता है। यह असमानता महिलाओं को नए अवसरों का उचित लाभ लेने और विकास में पूरी तरह से योगदान देना संभव नहीं होने दे रहा है। कम आयु, समय प्रतिबंध, शिक्षा की कमी सहित कम्प्यूटर की जानकारी में कमी, नेतृत्व कौशल की कमी और सांस्कृतिक अवरोध नए मीडिया और सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) संबंधित सुविधाओं तक पहुँच को प्रभावित करते हैं। दूसरी तरफ कुछ यह मानते हैं कि सूचना और संचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों विशेष रूप से इंटरनेट ने नए युग का सूत्रपात किया है। एक मत यह भी है कि यह प्रौद्योगिकियों का सामाजिक प्रभाव की बजाय केवल तकनीकी प्रभाव ही होता है।

यद्यपि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाज में विद्यमान सत्ता संबंध आईसीटी के लाभों से लाभान्वित होने का निर्धारण करेंगे। अतः ये प्रौद्योगिकियाँ जेंडर उदासीन नहीं हैं। आईसीटी तक पहुँच अभी भी अधिकांश जनता विशेषरूप से ग्रामीण जनसंख्या समूहों के लिए वास्तविकता से काफ़ी दूर है। वे सामान्यतः सूचना क्रांति से अछूते रह गए हैं, क्योंकि उनके पास आधारभूत बुनियादी सुविधाएँ नहीं है। आईसीटी संस्थापन की अधिक लागत, आईसीटी से परिचित न होना और इंटरनेट की विषय-वस्तु में अंग्रेज़ी भाषा का प्रभुत्व इसके प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के निरक्षर होने, अंग्रेज़ी नहीं जानने और कम्प्यूटर कौशलों में प्रशिक्षण की कमी होने की संभावना अधिक होती है।

नई सूचना संचार प्रौद्योगियों का ज्ञान और नेटवर्किंग का साधनों के रूप में उपयोग महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति और विकास के अवसर प्रदान करता है। गुजरात में महिला डेयरी उत्पादक डेयरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम किओस्क (DISK) का प्रयोग करती हैं, जो सभी दुधारू पशुओं का डाटाबेस प्रबंधित करता है। इसके साथ ही यह पशु चिकित्सा सेवाओं के विषय में अन्य जानकारी भी प्रदान करता है और डेयरी क्षेत्र के विषय में अन्य व्यावहारिक जानकारी भी देता है। यह जानकारी महिला उत्पादकों को उत्पादकता और आय बढ़ाने में सहायक होती है। आईसीटी युक्तियों, जैसे— पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (पी.डी.ए.) और वित्तीय सॉफ़्टवेयर का प्रयोग (microcredit) संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है, जिससे महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाया जा सके।

इसी प्रकार, महिलाएँ न्यूज़ स्टोरी में भी नहीं दिखाई देती हैं। न तो उनके साक्षात्कार लिए जाते हैं और न ही उनसे राय देने को कहा जाता है। गरीब परिवारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए स्थिति और भी अधिक खराब है। यही नहीं उत्तर पूर्व भारत की तथा मुस्लिम महिलाएँ हिंदी अथवा अंग्रेज़ी बोलने वाली पृष्ठभूमि की तथा संपन्न शहरी परिवारों

क्रियाकलाप 6

आइए, दिए गए चित्र को देखते हैं (एक युवती रेडियो जॉकी के रूप में है)। जरा सोचिए, कितनी बार आपने ऐसी तस्वीर को समाचर पत्र में देखा है? इस चित्र में एक युवा लड़की को प्रसिद्ध रेडियो जॉकी के रूप में कश्मीर में दर्शाया गया है। इस बारे में सोचिए।

हम मीडिया से निरंतर कश्मीर के रूढ़िवादी और विरोध कर रहे समाज के विषय में सुनते हैं। पूरी तस्वीर विषाद पूर्ण दिखती है, लेकिन यदि मीडिया ऐसी कहानियों को प्रेस, रेडियो और टेलीविजन पर अधिक दिखाए तो इससे अधिक सकारात्मक छवि निर्मित होगी।

इससे विशेष रूप से कश्मीर में और सामान्य रूप से अन्य स्थानों पर भी अनेक अन्य युवा लड़कियों के लिए सकारात्मक रोल मॉडल का सृजन होगा। घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, आने-जाने पर सांस्कृतिक प्रतिबंध, कम आर्थिक शक्ति के साथ-साथ उनके जीवन में संतुष्टि की प्रासंगिकता का न होना उन्हें सूचना क्षेत्र में और अधिक हाशिए पर ला देता है।

© NCERT not to be republished

की पृष्ठभूमि वाली महिलाओं की तुलना में कहीं कम संख्या में दिखाई देती हैं।

नए वैकल्पिक मीडिया जैसे कम्युनिटी रेडियो जिनमें कार्यक्रमों का प्रसारण छोटे भौगोलिक क्षेत्रों के लिए स्थानीय भाषा में समुदाय की आवश्यकतानुसार किया जाता है, जिसमें महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए भागीदारी की अपार संभावना है। लेकिन, हम पाते हैं कि सांस्कृतिक अवरोधों के कारण बहुत कम महिलाएँ इसमें भागीदारी कर पाती हैं। युवा 'लड़कियों' और 'बहुओं' को इस प्रकार के 'सार्वजनिक' स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होती है और प्रतिभाशाली तथा युवा लड़कियाँ इनसे जुड़ने में संकोच करती हैं। यद्यपि इसके कुछ प्रेरणादायी उदाहरण भी हैं।

इसी प्रकार *खबर लहरिया* एक स्थानीय समाचार पत्र है। पिछड़ी जाति की आठ महिलाओं का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र से इस समाचार पत्र को निकालता है। इस समाचार पत्र को एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसे महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। ऐसी पहलों की देश के प्रत्येक कोने में आवश्यकता है जिससे अंतिम पायदान तक की महिलाओं को सशक्त किया जा सके। इस प्रकार महिलाओं के लिए निरंतर मीडिया में भागीदारी करने और अधिक सकारात्मक छवियाँ निर्मित करने के लिए तथा महिलाओं के रोल मॉडल बनने के लिए अधिक-से-अधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में मीडिया महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए, विकास कार्यों में उनकी अधिक भागीदारी के लिए और उनके पारिवारिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए सूचना प्रदान करके अपार संभावनाएँ प्रदान करता है। लड़कियों की नई पीढ़ी और उनके जेंडर संवेदनशील शिक्षक भविष्य में लड़कियों की आकांक्षाओं की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

जनसंचार और महिलाओं की भागीदारी

अधिकतर मीडिया का स्वामित्व और नियंत्रण पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि बड़ी संख्या में महिलाएँ मीडिया उद्योग में भागीदारी कर रही हैं, उनके योगदान को कम ही स्वीकार किया जाता है। यद्यपि, महिलाएँ विकास और आर्थिक वृद्धि में काफ़ी योगदान दे रही हैं, लेकिन पितृसत्तात्मकता महिलाओं के साथ समान व्यवहार को बाधित करती प्रतीत होती है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविक परिदृश्य की क्या विशिष्टताएँ हैं।

समाचार मीडिया

समाचारों में जनता या विशेषज्ञ अधिकारियों से राय या टिप्पणी करने के लिए किए गए आग्रह में महिलाओं के विचारों को उनके पुरुष प्रतिभागियों के साथ प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। महिलाओं की आवाज़ को सिर्फ़ महिला विशिष्ट मुद्दों पर ही नहीं विशेष रूप से विभिन्न मुद्दों से संबंधित समाचारों में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

- वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान के एक पिछड़े ज़िले टोंक में स्थित है। यह महिला शिक्षा संस्थान एक पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित कम्युनिटी रेडियो को चलाता है। इसी प्रकार स्वरोजगार कर रही महिलाओं का संगठन, (SEWA-सेवा) पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित एक कम्युनिटी रेडियो "रूडी नो रेडियो" के नाम से अहमदाबाद, गुजरात में चलाता है।
- बुंदेलखंड (मध्य प्रदेश) में रेडियो सुनती महिलाएँ— यह एक ऐसा स्थान है जहाँ नियमित विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। एक गैर सरकारी संगठन ने कम्युनिटी रेडियो के लिए कार्यक्रम उत्पादन में भागीदारी करने और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया।

वनस्थली विद्यापीठ में कम्युनिटी रेडियो का उद्घाटन

मुझे सशक्त करो !!!

महिलाओं के विषय में समाचार कथाओं के साथ भिन्न तरीके से व्यवहार किया जाता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं—

- **महिलाओं के मत और आवाज़ को दरकिनार करना**— विश्व जनसंख्या में 52 प्रतिशत महिलाएँ हैं, फिर भी समाचारों में उनका सिर्फ़ 21 प्रतिशत भाग है।
- **प्रमुख समाचारों में पुरुषों की आवाज़ प्रभावी होती है**— सभी न्यूज़ स्टोरी के विषय अधिकतर पुरुषों के होते हैं। यदि महिलाएँ समाचारों में आती भी हैं, तो उनके 'मृदु' स्टोरी जैसे— प्रतिष्ठित महिला और ललित कलाओं संबंधी समाचारों में आने की संभावना अधिक होती है। प्रमुख समाचारों, जैसे— राजनीति, सरकार और अर्थव्यवस्था में आने की संभावना कम होती है।
- **प्रवक्ताओं और विशेषज्ञों के रूप में पुरुष वर्चस्व**— प्रवक्ता अथवा विशेषज्ञ के रूप में समाचारों में छपने वाले अधिकतर पुरुष होते हैं। महिलाओं को मीडिया कवरेज में विशेषज्ञ के रूप में माने जाने की संभावना कम होती है। बल्कि वे अकसर व्यक्तिगत अनुभव अथवा प्रचलित मत को व्यक्त करने के लिए बोलती दिखाई देती हैं। यद्यपि यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि हिंदी सीरियलों में सबसे सफल पात्र महिलाओं के होते हैं।
- **महिलाओं को पुरुषों की तुलना में पीड़ित के रूप में चित्रित किया जाना**— महिला और पुरूष पीड़ित समाचार कार्यक्रमों के सामान्य विषय है। यद्यपि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक अनुपात में पीड़ितों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
- **समाचारों की रिपोर्टिंग मुख्यत: पुरुषों द्वारा किया जाना**—इसका एकमात्र अपवाद दूरदर्शन पर प्रस्तुतकर्ताओं का है, जहाँ कुछ समाचार महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। यह असंतुलन समाचार पत्रों में सबसे अधिक स्पष्ट होता है, जहाँ बहुत कम समाचार लेख महिला रिपोर्टरों द्वारा लिखे जाते हैं। यद्यपि अब क्रमश: आप महिला रिपोर्टरों द्वारा न्यूज स्टोरी का प्रदर्शन देखने लगे हैं। इनमें से कुछ को राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अधिक व्यापक कवरेज मिलने लगा है और वे ज़्यादा रिपोर्टिंग करती दिखाई देने लगी हैं।
- **महिला रिपोर्टरों द्वारा 'मृदु' समाचारों के कवरेज की अधिक संभावना होती है**— पुरुष की मुख्य अथवा 'गंभीर' खबरों को कवर करने की प्रकृति होती है। महिला पत्रकार सामान्यतः सामाजिक मुद्दों, जैसे— शिक्षा अथवा फ़ैशन भावनाओं आदि की कहानियों का कवरेज करती हैं। यद्यपि यहाँ पर भी अपवाद मिलते हैं, जैसे— बरखा दत्त, जिन्होंने कारगिल युद्ध क्षेत्र से समाचारों का कवरेज किया था।

बड़ी संख्या में महिला पत्रकार महिलाओं और बच्चों की समस्याओं से संबंधित पत्रिकाओं में काफ़ी सफल हैं। वे संवेदनशीलता और कौशल के साथ लिखती हैं। वे महिला से दुर्व्यवहार और शोषण तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न, एड्स/एचआईवी संक्रमित महिलाओं और कन्या भ्रूण हत्या की घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करती हैं। ऐसा माना जाता है महिलाएँ ऐसी कहानियों को अधिक सक्षमता से पेश कर सकती हैं।

समाचारों की विषय-वस्तु

- **महिलाएँ कहानी का केंद्र बिंदु नहीं होती हैं**— बहुत कम समाचारों में महिलाएँ मुख्य पात्र के रूप में होती हैं। इन कहानियों का अनुपात विभिन्न विषयों में परिवर्तित होता है। महिलाएँ 'मृदु' विषयों जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा सामाजिक मुद्दों पर समाचारों में केंद्र में होती हैं।

क्रियाकलाप 7

प्रिंट और टीवी मीडिया में से प्रत्येक से ऐसे दो उदाहरणों पर विचार कीजिए जिसमें आपने यह महसूस किया हो कि इसमें महिलाओं को रूढ़िबद्धता को तोड़ते हुए दर्शाया गया है अथवा उन्होंने इन्हें तोड़ा है।

- प्रिंट
  1.
  2.
- टेलीविज़न
  1.
  2.

© NCERT not to be republished

- **जेंडर रूढ़िबद्धता को सुदृढ़ करती न्यूज़ स्टोरी**— समाचारों की विषय-वस्तु जेंडर रूढ़िबद्धता को सुदृढ़ करती है, क्योंकि वह एक ऐसी दुनिया को दर्शाती है जिसमें महिलाएँ अपेक्षाकृत अदृश्य होती हैं। जेंडर असमानता को लगभग सभी न्यूज चैनल और पत्र-पत्रिकाओं में समाचार के योग्य नहीं माना जाता है, एकमात्र अपवाद कभी-कभी टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले संबंधित समाचार हैं। अधिकांश न्यूज़ स्टोरी जेंडर समानता अथवा असमानताओं को प्रकाश में नहीं लाती हैं।

पद्मिनी प्रकाश

तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक रूढ़िवादी तमिल परिवार में जन्मी पद्मिनी प्रकाश एक ट्रांस महिला हैं, जो न्यूज एंकर और अभिनेत्री के रूप में कार्य करती हैं। 13 साल की उम्र में उनकी लैंगिक पहचान को अस्वीकार कर दिया था और उन्हें अपने परिवार से बेदखल कर दिया गया था। घर छोड़ने के बाद उन्होंने आत्महत्या का भी प्रयास किया, परंतु कुछ लोगों द्वारा उन्हें बचा लिया गया।

पद्मिनी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री के लिए आवेदन किया लेकिन वित्तीय कठिनाईयों के कारण उन्हें पाठ्यक्रम से बाहर होना पड़ा। उन्होंने इस दौरान भरतनाट्यम भी सीखा, फिल्मों में अभिनय किया और तत्पश्चात् 2014 में एक तमिल समाचार चैनल, *लोटस* द्वारा चयनित हुई। वॉयस मॉड्यूलेशन के लिए प्रशिक्षण के बाद, चैनल द्वारा उनकी शुरूआत 15 अगस्त, 2014 को सायं 7:00 बजे समाचार प्रसारण के माध्यम से हुई। यह दर्शकों और ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा समान रूप से पसंद किया गया।

4.7 मीडिया के लिए जेंडर संवेदी नैतिक आचार संहिता

प्रत्येक देश में कानून और नियामक संस्थाएँ होती हैं, जो मीडिया के कार्य के तरीके पर कुछ सीमाएँ अथवा प्रतिबंध लगाती हैं। इसके अतिरिक्त मीडिया के काम करने का तरीका उस समाज द्वारा प्रभावित होता है जिसमें वह कार्य करता है।

नैतिक आचार संहिता क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा संस्थान के लिए विशिष्ट हो सकती है। इन नैतिक आचार संहिताओं में जेंडर पर कम ही विचार किया जाता है। चूँकि, जेंडर अनुभूतियों और रूढ़ियों ने प्रत्येक मीडियाकर्मी के समाजीकरण में गहरी पैठ की हुई है। आचार सहिताएँ इन्हें क्रम से रखने के लिए एक उपयुक्त क्रियाविधि है। मीडिया एडवोकेसी ग्रुप द्वारा किए गए अध्ययन में यह भी बताया गया है कि मीडिया को महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को विस्तृत, व्यापक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। यह महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के लिए उत्तरदायी कारकों इसके अतिरिक्त मीडिया स्वयं भी जागरूक रहे एवं समाज को भी समय-समय पर जागरूक करे। मीडिया उदासीन जाँच प्रक्रियाओं और अपराधियों को कानून के घेरे में लाने मे सहायक होना चाहिए। यह सभ्य समाज में अपराध के कारणों और प्रकृति के विषय में जागरूकता पैदा करने और रोकथाम के उपायों में उपयोगी होना चाहिए। इसमें आगे सुझाव दिया गया है कि इन मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय मीडिया को अत्यधिक तथ्यपरक और अनुभवजन्य होना चाहिए।

यद्यपि, मीडिया में महिलाओं के चित्रण के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला के अभद्र प्रदर्शन (रोकथाम अधिनियम), 1986 में संशोधन की सिफ़ारिश की है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की रूढ़िबद्धता छवि या भूमिका को कायम रखने वाली नई प्रौद्योगिकियों, जैसे— MMS, इलैक्ट्रोनिक मीडिया पोस्टर और टीवी धारावाहिकों को भी सम्मिलित करने की सिफ़ारिश करता है जो इस अधिनियम में आने से छूट गई थी। अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में दैनिक टीवी धाराावहिकों को सम्मिलित करने का कारण बताते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि महिलाओं को या तो सीता (रामायण) के रूप में अथवा कैकयी (रामायण) के रूप में चित्रित किया जाता है। धारावाहिकों में इन दो चरम चरित्रों के बीच के और कोई चरित्र नहीं दिखाए जाते हैं। तलाक और व्यभिचार को अकसर दैनिक धारावाहिकों में प्रमुखता से दिखाया जाता है जहाँ पात्र परिणामों के विषय में सोचे बिना कानून तोड़ते दिखते हैं। नकारात्मक छवियाँ अथवा महज यथार्थ को दिखाना ही पर्याप्त नहीं है। वास्तव में यह अकसर हानिकारक होता है। महिलाओं की सकारात्मक छवि को दर्शाकर अथवा जिस किसी क्षेत्र में

© NCERT not to be republished

भी महिलाओं ने सफलता अर्जित की हो, उनकी कहानियाँ दिखाकर इससे बचा जा सकता है। ऐसे कार्यक्रमों को निर्मित करने की आवश्यकता है, जो महिलाओं के लिए आय सृजन की योजनाओं के विषय में बताते हों। दुर्भाग्य से इस प्रकार के उद्यमों में साधारण महिलाओं के कार्यों, जैसे— पापड़ बनाना, सिलाई, कढ़ाई, अचार बनाना आदि को प्रचारित किया जाता है। गैर-पारंपरिक कौशल पर ज़ोर दिया जाना चाहिए जो इस मिथक को तोड़ सके कि महिलाएँ सिर्फ़ कुछ नियत प्रकार के कार्यों को ही कर सकती हैं। विद्यमान योजनाओं (सरकारी या गैर-सरकारी) का सर्वेक्षण करके विश्लेषण प्रस्तुत करके उन योजनाओं को उन्नत करने की आवश्यकता है, जो उन्हें फिर अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकेगा।

4.8 जेंडर और मीडिया के संदर्भ में बीजिंग की परम्परा

द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ार्म फ़ॉर एक्शन जिसे महिलाओं पर हुए चौथे विश्व सम्मेलन में सितंबर 1995 में अनुमोदित किया गया था। यह विश्वभर में महिलाओं के लिए समानता, विकास और शांति प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक प्रतिबद्धता है। जैसा कि 123 पृष्ठ के दस्तावेज़ मिशन स्टेटमेंट में परिभाषित किया गया है।

द प्लेटफॉर्म फ़ॉर एक्शन, महिला सशक्तीकरण के लिए एक एजेंडा है। इसका उद्देश्य महिलाओं के सार्वजनिक और निजी जीवन के सभी क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक निर्णय लेने में — घर पर, कार्य स्थल पर और व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में पूर्ण और समान भागीदारी की सभी बाधाओं को दूर करना है। समानता मानवाधिकार का मसला है और सामाजिक न्याय की शर्त है...।

समानता प्राप्त करने के लिए बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉम फ़ॉर एक्शन विश्वभर में महिलाओं के पुरुषों के साथ मिलकर भागीदारी में जेंडर के समान लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

बीजिंग प्लेटफ़ॉम 'गंभीर सरोकार के बारह क्षेत्र' (Critical areas of concern) पर ध्यान केन्द्रित करता है जिन पर जेंडर समानता और महिला सशक्तीकरण के लिए विचार किया जाना आवश्यक है।

- महिलाएँ और गरीबी
- महिलाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण
- महिला और स्वास्थ्य
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा
- महिलाएँ और सशस्त्र संघर्ष
- महिलाएँ और अर्थव्यवस्था
- सत्ता और निर्णय लेने में महिलाएँ
- महिलाओं की उन्नति के लिए संस्थागत क्रियाविधियाँ
- महिलाओं के मानवाधिकार
- महिलाएँ और मीडिया
- महिलाएँ और पर्यावरण
- बालिका

उपर्युक्त सरोकारों में से प्रत्येक के बारे में विचार करने के लिए विशिष्ट कार्यनीतिक उद्देश्यों की पहचान की गई थी। साथ ही सरकारों, वित्तीय एवं विकास संस्थानों, जैसे— विश्व बैंक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों, महिला समूहों तथा निजी क्षेत्र द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों को भी बताया गया था। द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफ़ॉम फ़ॉर एक्शन के चौथे महिला विश्व सम्मेलन में भाग ले रहे 189 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की 50वीं वर्षगाँठ पर हुआ था। बीजिंग प्लेटफ़ॉम फ़ॉर एक्शन के दस्तावेज़ में मीडिया से संबंधित कुछ दृष्टिकोण दिए गए हैं।

दस्तावेज़

- इसमें लिखा गया है कि मीडिया में सार्वजनिक नीति, निजी सोच और व्यवहार को प्रभावित करके महिलाओं की उन्नति में कहीं अधिक योगदान देने की क्षमता है।
- मीडिया संप्रेषण में महिलाओं की नकारात्मक और अपमानजनक छवियों को दूर करने की माँग की गई, जिससे महिलाओं के विविध जीवन और बदलती दुनिया में समाज में उनके योगदान की संतुलित तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।
- इसमें यह भी लिखा गया है कि अश्लील साहित्य, अपमानजनक तथा अन्य उग्र मीडिया प्रस्तुतीकरण समाज में महिलाओं की भागीदारी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही ऐसे कार्यक्रम जो महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करते हैं, सहन नहीं किया जाएगा।

© NCERT not to be republished

- महिलाओं की कौशल, ज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच को बढ़ाकर उनका सशक्तीकरण करने की माँग करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय रूप से महिलाओं के नकारात्मक चित्रण से लड़ने की उनकी क्षमता को सशक्त किया जा सके और बढ़ते प्रमुख उद्योग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की घटनाओं को चुनौती दी जा सके।
- मीडिया के लिए स्व-नियंत्रणकारी क्रियाविधि के सृजन और विकास की तथा जेंडर भेदभाव वाले कार्यक्रमों को दूर करने के लिए अभिगमों के विकास की माँग करता है।

4.9 सकारात्मक हस्तक्षेपों के लिए संभावना

शिक्षणोरंजन (edutainment) ने शैक्षिक संदेशों को मनोरम ढंग से प्रस्तुत कर लोगों के दिलों में जगह बनाई है। व्यावसायिक मीडिया ने अपने लिए एक स्पष्ट स्थान स्थापित कर लिया है, अतः इसमें सकारात्मक हस्तक्षेप के लिए काफी संभावना है। मीडिया अपने विभिन्न रूपों में नए-नए प्रयोग करता रहता है अथवा 'जोखिम लेता' रहता प्रतीत होता है। भले ही यह प्रिंट अथवा इलैक्ट्रोनिक मीडिया हो, इनमें कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने निश्चित रूप से रूढ़िबद्धताओं को तोड़ने का प्रयास किया है और ये अपने तरीकों से सफल रहे हैं।

वैकल्पिक मीडिया चित्रण— यद्यपि अधिकांश विज्ञापन रूढ़िबद्ध छवियों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ वैकल्पिक चित्रण भी पाए जाते हैं। ये चित्रण इस तथ्य को बताते हैं कि मीडिया भी ऐसे चित्रणों के द्वारा परिवर्तन आरंभ कर रहा है। ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। विभिन्न संदर्भों से इन उदाहरणों को लिया जा सकता है।

- टीवीएस स्कूटी के विज्ञापन में भारत के छोटे शहर की दो बहनें, उस स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का मज़ा ले रही हैं जो वाहन से उन्हें मिली है।
- आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस के विज्ञापन में एक पत्नी को अपने पति से जीवन बीमा लेने के लिए आग्रह करते दिखाया गया है, क्योंकि इससे उनका भविष्य सुरक्षित होने के साथ ही उनकी बेटी की शिक्षा के लिए धन मिल जाएगा।
- एक विज्ञापन जिसमें एक बेटी अपनी बचत से अपने माता-पिता को कार उपहार में देती है, जिससे उसकी वित्तीय स्वायत्तता दिखती है।
- एक रसोई की सफ़ाई के द्रव का विज्ञापन, जिसमें पति अपनी चिकित्सक पत्नी के घर लौटने से पहले रसोई की सफ़ाई कर देता है।
- एक फ्रिज का विज्ञापन जिसमें पति, पत्नी के ऑफिस से लौटने से पहले खाना तैयार रखता है।
- एक मच्छर प्रतिकर्षी (mosquito repellent) का विज्ञापन जिसमें एक वृद्ध पत्नी अपने पति को एक मच्छर ढूँढ़ने की चुनौती देती है, जो उसे निर्णय लेने वाली के रूप में दर्शाता है।
- एक लैपटॉप का विज्ञापन जिसमें एक गृहणी को तकनीकी की जानकार के रूप में दिखाया गया है जो अपने पुत्र के ट्यूशन टीचर को जानकारी दे रही है और अपने पति के क्लाइंट को विदेशों में उपलब्ध रोज़गार के अवसरों के विषय में बता रही हैं।
- अधिकांश टीवी धारावाहिक और दैनिक धारावाहिक अब क्रमशः संकोची अथवा शांत पत्नी अथवा पुत्री की रूढ़िबद्ध छवियों के प्रदर्शन से दूर हो रहे हैं। किशोरावस्था का लाइफ़स्टेज के रूप में प्रदर्शन भी ज़िम्मेदारियों से भरा है। इसे न सिर्फ़ उत्तेजना और तनाव की अवस्था के रूप में बल्कि रचनात्मकता, चुनौती और क्षमता की अवस्था के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। पुत्रियों को समस्या का समाधान करने वाली के रूप में दिखाया जाता है। वे अपने माता-पिता की समस्याओं का समाधान करती हैं। पत्नियों को सक्रिय निर्णय लेने वाली, पतियों को संवेदनशील और अपनी पत्नियों की सहमति लेने वालों और उनकी क्षमताओं पर गर्व करने वालों के रूप में दिखाया जाता है।
- भले ही एनिमेशन फिल्मों में किसी कुमारी को परेशानी में अपने राजा या राजकुमार को रक्षा के लिए आने के इंतज़ार की कहानी दोहराई जाती है। लड़की या महिला नायिकाओं को साहसिक, खोजी, मज़बूत कदकाठी की और लड़कों को शारीरिक रूप से पछाड़ देने की शक्तिवाली के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
- प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, जैसे— दीपा मेहता, ज़ोया अख्तर, शुजीत सरकार तथा कुछ अन्य स्त्री समलिंगी कामुकता, भूमिका पहचान और समलैंगिकता जैसे नये विषयों के संदर्भ में पहचान के संकट पर नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्त्री पात्रों की शक्ति को बढ़ाकर उन्हें अपनी लैंगिकता और नारीत्व पर गर्व करने वाली तथा सच्चे रूप में आत्मनिर्भर और साहसी के रूप में दर्शाया है।

© NCERT not to be republished

विशेषज्ञ मानते हैं कि विज्ञापन समाज को प्रभावित कर सकते हैं और बड़े ब्रांड रूढ़िबद्धता को तोड़ने के लिए पहल कर सकते हैं। अश्लील और उत्तेजक विज्ञापनों के प्रकाशन पर अधिकतम प्रतिबंध लगाने चाहिए। विज्ञापन एजेंसियों से यह माँग बढ़ती जा रही है कि वे स्वस्थ जेंडर भूमिकाओं को प्रदर्शित करें, अर्थात् यह दिखाएँ कि पुरुष भी घरेलू क्रियाकलापों में भागीदारी और बच्चों के कामों में व्यस्त रहते हैं। शेविंग क्रीम, सिगरेट आदि के विज्ञापनों में महिलाओं के वस्तुकरण (commodification) को भी हतोत्साहित करना चाहिए।

दी गई तस्वीर भारतीय युवती की नई उभरती पहचान को दर्शाती है। यह सुझाता है कि वे तार्किक, आग्रही, बुद्धिमान, मनोरंजन पसंद और व्यावसायिक हैं। ऐसी छवियों को और अधिक प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

मीडिया में महिला पत्रकार

समाचार पत्रों अथवा इलैक्ट्रोनिक मीडिया में महिलाओं के ज़िम्मेदार पदों पर आसीन होने के साथ उनकी सक्षमता अधिक व्यापक मुद्दों तक विस्तृत होनी चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण रूप से एक महिला पत्रकार से उम्मीद की जाती है कि वह महिला केंद्रित मुद्दों पर अधिक संवेदनशीलता दर्शाएँ और उन्हें अर्थपूर्ण सूक्ष्म दृष्टि तथा परिप्रेक्ष्य प्रदान करें।

सामान्य रूप से महिलाएँ मीडिया से संबंधित व्यवसायों में सामाजिक और धार्मिक वर्जनाओं के कारण देर से आई हैं। दूरदर्शन तथा ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही निजी चैनलों की बढ़ती संख्या से रोज़गार में तेज़ी आई है। इस कारण महिला मीडिया व्यावसायिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। यद्यपि, पुरुषों की तुलना में उनका अनुपात कमोबेश स्थिर है। मीडिया के सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक नीति का होना न सिर्फ़ महिलाओं को आजीविका का स्रोत प्रदान करने के लिए ही नहीं बल्कि उनके पर्याप्त और प्रभावी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने और मीडिया को सही रूप में राष्ट्रीय तथा प्रतिनिधित्व के गुण वाला बनाने के लिए भी आवश्यक है।

विभिन्न महिला पत्रकारों द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में झेले जाने वाले जोखिमों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। जब हम महानगरों और राज्यों की राजधानी से आगे बढ़ते हैं, तो जोखिम और बढ़ जाता है। महिला रिपोर्टरों का यौन उत्पीड़न और उन पर हमले अकसर सुनने में आते हैं। ऐसे मामलों में महिलाओं को व्यवसाय से जुड़ने में जोखिम उठाना पड़ता है। नौकरी के प्रतिकूल घंटे, महिला पत्रकारों को संवेदनशील बना देते हैं। दिल्ली के एक टीवी न्यूज चैनल की निर्माता सुश्री सौम्या विश्वानाथन की हत्या दर्शाती है कि महिला पत्रकारों के लिए जोखिम अधिक होता है। प्राय: यह देखा गया है कि अधिक-से-अधिक युवा महिला स्नातक पत्रकारिता के क्षेत्र में इस आकांक्षा के साथ आ रही हैं कि व्यवसाय में अपनी छाप छोड़ सकें। समाज को मीडिया में कार्यरत महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए जिससे प्रत्येक स्तर पर उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।

आत्म-बोध

1. मीडिया किस प्रकार जेंडर रूढ़िबद्धता निर्मित करता है? अपना उत्तर टेलीवज़िन के उदाहरणों के साथ दीजिए।

   ....

   ....

2. क्या रूढ़िबद्धता को चुनौती देना संभव है? यदि हाँ, तो किस प्रकार?

   ....

   ....

3. न्यू मीडिया महिलाओं की भागीदारी के लिए बेहतर संभावना प्रदान करता है। अपने उत्तर को कम-से -कम दो उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए।

   ....

   ....

© NCERT not to be republished

4. मीडिया के लिए नैतिक आचार संहिता आवश्यक है? क्यों?

....

....

4.10 मीडिया और शिक्षा

पिछले भाग में जहाँ रूढ़िबद्धता को कायम रखने में मीडिया की भूमिका के साथ ही परिवर्तन को बढ़ावा देने पर प्रकाश डाला गया था, अब इस भाग में शिक्षक-प्रशिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट किया गया है, जो विद्यार्थियों में तर्कसंगत सोच को प्रभावी रूप से बढ़ा सकते हैं। वे ऐसा उन्हें मीडिया की खबरों के और उसके द्वारा प्रसारित की जाने वाली सूचना के गहन विश्लेषण में सक्षम बनाकर कर सकते हैं। विद्यार्थियों को विशेष रूप से रूढ़िबद्ध प्रदर्शनों की पहचान करने और उन प्रतिगामी प्रवृत्तियों के प्रति संवेदनशील बनाने में सक्षम बनाना चाहिए, जो लड़कियों और महिलाओं की प्रगति और वृद्धि को बाधित करते हैं। इसी प्रकार बदलती प्रवृत्तियों पर भी उनका ध्यानाकर्षण करना चाहिए।

4.11 मीडिया शिक्षा के उद्देश्य

- लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों पर शिक्षक-प्रशिक्षक की क्षमता का विकास करना।
- लड़कियों की शिक्षा और सशक्तीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मीडिया की क्षमता को पहचानने में सक्षम बनाना।
- मीडिया में प्रदर्शित महिलाओं के मुद्दों के स्वरूप का विश्लेषण करना।
- मीडिया-छवियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जेंडर मुद्दों के प्रति शिक्षक-प्रशिक्षक को संवेदनशील बनाना।
- मीडिया शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना।

4.12 संकल्पना (क्रियाकलाप 8 देखें)

- लड़कियों का लिंगानुपात अधिकांश राज्यों में निरंतर कम हो रहा है। 1991 की जनगणना में राष्ट्रीय स्तर पर यह आँकड़ा 945 का था जो 2001 में घटकर 933 रह गया था और 2011 में यह 943 था।
- लड़कियों और महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यहार परिवार के सदस्यों तथा अजनबियों दोनों के द्वारा बढ़ रहा है। बाल-शोषण के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के अनुसार यद्यपि कौटुम्बिक व्यभिचार के अधिकांश मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं तथापि 10 बलात्कार पीड़ितों में से छह अवयस्क होती हैं।
- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पता चला है कि 60 प्रतिशत तक कामकाजी महिलाओं ने, जिनमें पुलिस और न्यायपालिका की महिलाएँ भी सम्मिलित हैं, यौन उत्पीड़न और जेंडर में भेदभाव का सामना किया है। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में 55 प्रतिशत तक लड़कियों के साथ यौन दुर्व्यहार होता है या उन्हें नियोक्ता, प्रबंधक या सत्तासंपन्न किसी व्यक्ति की अवांछित दिलचस्पी को झेलना पड़ता है।
- साक्षरता तथा रोज़गार के अवसरों में वृद्धि के बावजूद, सिर्फ़ 22 प्रतिशत महिलाएँ रोज़गार में हैं। कार्यबल में महज 6 प्रतिशत महिलाओं के पास औपचारिक क्षेत्र में नियमित रोजगार है और उनमें से लगभग 90 प्रतिशत महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि कार्यों में संलग्न हैं। दोनों ही स्थितियों में महिला कार्मिक निचले स्तर पर अधिक हैं जो कम वेतन, रोज़गार असुरक्षा और यौन दुर्व्यहार की आशंका के साथ काम करती हैं।

क्रियाकलाप 8

प्रतिभागियों को कहें कि वे संकल्पना (4.12) में दिए गए बिंदुओं को पढ़ें और उसका विश्लेषण करें।

© NCERT not to be republished

परिचर्चा के लिए प्रश्न

- दिए गए आँकड़ों और तथ्यों के संबंध में आपके क्या विचार हैं? जो कुछ रिपोर्ट में बताया गया है उससे क्या आप सहमत या असहमत हैं?
- पृष्ठ 56 पर दिए गए आँकड़े क्या इंगित करते हैं?
- महिला सशक्तीकरण किस दिशा की ओर अग्रसर है?
- रिपोर्ट में बताए गए प्रमुख सरोकार के मुद्दों का उल्लेख कीजिए।
- क्या रिपोर्ट समाज में व्याप्त जेंडर भेदभाव को इंगित करती हैं?

क्रियाकलाप 9

विद्यालय परिवेश और बालिका विद्यार्थियों पर प्रतिभागियों का ध्यानाकर्षण कीजिए। उनसे बालिका, ट्रांसज़ेंडर और बालक विद्यार्थियों के प्रति अभिभावकों के दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए कहिए।

- क्या यह स्थिति दिमाग में किसी प्रकार का भय या आशंका पैदा करती है?
- हमारे परिवारों में लड़कियों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा और रक्षा के संदर्भ में उनके क्या विचार हैं?

क्रियाकलाप 10

अब प्रतिभागियों से यह पूछिए कि क्या इस प्रकार का भय अथवा आशंका कन्या भ्रूण हत्या अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में माता-पिता द्वारा लड़कियों को विद्यालय न भेजने का कारण हो सकता है।

- पीड़ितों पर इसका कैसा (मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक) प्रभाव होता होगा?
- ऐसा क्यों हो रहा है? (संकेत— सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित कीजिए)
- क्या शिक्षा और सशक्तीकरण के बीच कोई संबंध है?
- पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवाओं में पाए जाने वाले भेदभाव के संबंध में प्रतिभागियों के क्या विचार हैं?

क्रियाकलाप 11

एक शिक्षक और शिक्षक-प्रशिक्षक होने के नाते सुरक्षा और बचाव सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्या ऐसे मुद्दों पर शिक्षकों या परिवार के सदस्यों या विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने से सहायता मिलेगी? ऐसा किस प्रकार होगा?

रूपन देओल बजाज के मामले पर चर्चा कीजिए जैसा कि नीचे समाचार पत्र उद्धरण में रेखांकित किया गया है—

- क्या आप सोचते हैं कि इतने लंबे समय तक न्याय पाने के लिए लड़कर उन्होंने कोई मिसाल कायम की है?
- क्या आपको उनके साथ समानुभूति है?
- प्रतिभागियों से पूछिए कि क्या उन्होंने अथवा उनके जानकारों में से किसी ने कभी भेदभाव अथवा यौन शोषण का अनुभव किया है।

'It took me more than 17 years to get justice'

FIRST PERSON

RUPAN DEOL BAJAJ
Information Commissioner (Punjab)

HOW I wish the 'Guidelines against sexual harassment' issued by the Supreme Court in the Visakha judgment had been available in 1988 instead of 1998! How much less convoluted my path for justice would have been. For then, the onus of quick executive action would have been squarely on the employer (the Chief Secretary). Because I was Secretary to the Government when the then DGP misbehaved with me, the employer in my case was the Governor. Let not all those smug officials and social worthies, who in such cases state "let the law takes its own course", imagine that they are being very just and even-handed in their approach, for they are actually condemning the victim to a lifetime of judicial struggle at her own financial, social, psychological, mental and physical cost. A lifetime goes by when one has to fight single-handedly against a system and societal mindset on gender-based issues, deeply ingrained in the minds of not only the Executive but also the Judiciary, who all suffer from age-old attitudes adopted by society towards women.

In my case, the struggle lasted for over 17 years, from 1988 to 2005. The last 10 years were entirely avoidable. The trial court had convicted KPS Gill in 1996 (upon directions from the Supreme Court). The convicted DGP filed an appeal before the District & Sessions Judge, then before the High Court and then the SC. Even after being squarely rebuffed by all the courts, which upheld the conviction, he did not stop, but filed a further Review Petition before the SC, which failed. Perhaps all this would have not happened if mine had been a post-guidelines case.

I was forced to file an FIR, followed by a judicial complaint because my employer purposely did not take any action to punish the culprit. The IPC was framed in 1860, but Sections 354 and 509 that deal with outraging and insulting a woman's modesty, remained unused for these offences. Also, it was for the first time in the course of my case that the SC needed to define the term 'modesty' — in 1995!

But now, a successful precedent has been provided to the Women of India. While it has taken me 17-and-a-half years to do so, it will not take them so long to bring the culprit to book.

आत्म-मंथन

परिचर्चा— महिला प्रतिभागियों के लिए 'यदि मैं पुरुष होती' और पुरुष प्रतिभागियों के लिए 'यदि मैं महिला होता' और दोनों महिला और पुरुष के प्रतिभागी के लिए यदि 'मैं ट्रांसजेंडर होता''

- स्थिति को बेहतर बनाने में एक सकारात्मक हस्तक्षेप के रूप में मीडिया के संबंध में प्रतिभागियों के विचार क्या हैं? क्या मीडिया स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है?
- मीडिया किस प्रकार अपनी भूमिका निभा रहा है?

क्रियाकलाप 12

मीडिया महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर जनता की राय निर्मित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसमें उनपर होने वाले अत्याचारों और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए जनता को प्रोत्साहित और प्रेरित करने की शक्ति होती है। यह एक ऐसा मंच है जो उन सभी का ध्यान तत्काल आकर्षित कर सकता है जो महत्व रखते हैं—चाहे इनमें सरकार, पुलिस, न्यायपालिका आदि किसी क्षेत्र के लोग हों, यह उन्हें ठोस कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर देता है। यद्यपि, विश्लेषण करने पर मीडिया, विशेषरूप से टेलीविज़न और समाचारपत्रों में दिखने वाला वर्तमान परिदृश्य दो विचलित करने वाली प्रवृतियों की ओर इशारा करते हैं। पहला प्रतीक महिलाओं के सेक्स सिंबल के रूप में सांस्कृतिक निरूपण पर केंद्रित है और दूसरा महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विकासात्मक और सरकार के मुद्दों पर और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर घटते कवरेज और रिपोर्टिंग में कमी पर केंद्रित है।

उपर्युक्त का निम्न के संदर्भ में अध्ययन कीजिए।

- महिलाओं के सशक्तीकरण में मीडिया की भूमिका

  ऊपर वर्णित की गई दो विचलित करने वाले प्रवृत्तियाँ पर आत्मचिंतन और विश्लेषण करने के उपरांत निम्न के उत्तर दीजिए—

- आपके अनुसार मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए?
- मीडिया बालिका और महिला केंद्रित मुद्दों को कैसे दिखाता है?
- महिलाओं के मुद्दों को कैसे प्रस्तुत किया/प्रकाश में लाया जाना चाहिए?

क्रियाकलाप 13

सैटेलाइट टीवी और वैश्वीकरण से पहले के मीडिया द्वारा महिलाओं के चित्रण के परिदृश्य पर प्रतिभागियों का ध्यानाकर्षित कीजिए। परिचर्चा के लिए उपयुक्त संदर्भ निर्मित करने के लिए भारत की सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर चर्चा कीजिए।

- सभी उभरते मुद्दों पर परिचर्चा कीजिए। ऐसे चित्रणों और उनके प्रभाव की उपयुक्तता पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित कीजिए

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 14

- क्या इस प्रकार के प्रस्तुतीकरण लड़कियों के सशक्त होने की संभावनाओं को बाधित करते हैं?
- उन्हें देखने से हमारे ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
- महिलाओं को टेलीविज़न पर कैसे चित्रित किया जाना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या राय है?

Too reel to be true

Don't say a word

क्रियाकलाप 15

- कौन-सी रिपोर्ट अधिक ध्यान आकर्षित करती है? ऐसा क्यों है?
- क्या यह सामान्य लड़कियों या महिलाओं की संभावनाओं और हितों या रुचियों को नुकसान पहुँचाती है? यदि हाँ, तो किस प्रकार?

Divorced Muslim women lose out in race for jobs

Close encounter

क्रियाकलाप 16

एक महिला फ़िल्म अभिनेत्री पर केंद्रित करते हुए एक वि-मोहक (de-glamorized) रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए और फिर निम्नलिखित प्रश्न पूछिए

- रिपोर्ट के जरिए क्या संदेश दिया गया है?
- क्या इस प्रकार का स्तब्ध कर देने वाला सनसनीखेज प्रस्तुतीकरण पीड़ितों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति अथवा समानुभूति निर्मित करता है?
- क्या ऐसी रिपोर्ट पाठकों को स्थितियाँ बेहतर बनाने के लिए बाध्य करती हैं?
- इस प्रकार के अपराध लड़कियों की शिक्षा से किस प्रकार संबंधित हैं?

Raped 12-yr-old gives birth to boy

Father knew of crime but didn't report to Faridabad police

नाबालिग ने किया दो से बलात्कार

क्रियाकलाप 17

कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित समाचार पत्र की दो कतरने प्रस्तुत कीजिए। एक में हरियाणा की बात की गई है जहाँ कन्या के प्रति भेदभाव स्पष्ट है और दूसरे में पंजाब के एक गाँव की चर्चा है जहाँ लड़कियों का अनुपात अधिक है। रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातों या बिंदुओं पर और हमारे विचारों और मानस पर प्रत्येक के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित प्रश्न पूछिए।

चर्चा के लिए प्रश्न

- हरियाणा की रिपोर्ट क्या परिलक्षित करती है?
- क्या रिपोर्ट हमारे मानस में कोई सकारात्मक संकेत भेजती है कि तात्कालिक रूप से ऐसे कदम उठाए जाए जिससे लड़कियों के अनुपात में और अधिक कमी न आए।
- क्या पंजाब कि रिपोर्ट घटते लिंगानुपात के वर्तमान निराशाजनक परिदृश्य में किसी प्रकार की उम्मीद जगाती है?
- क्या आप सोचते हैं कि देश में ऐसे और अधिक गाँव होने चाहिए जहाँ लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है? क्या मीडिया को इन पर अधिक प्रकाश डालना चाहिए और ऐसा किस तरीके से होना चाहिए?

Haryana parents give girl child a bad name

More girls, Punjab village sets new sex trend

संदर्भ तथा प्रतिभागियों के समूह के अनुसार अनेक अन्य क्रियाकलाप विकसित किए जा सकते हैं?

इस प्रकार मीडिया संसाधनों का उपयोग करके शिक्षक-प्रशिक्षक शिक्षार्थियों में संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा कर सकते हैं। मीडिया विश्लेषण शिक्षार्थियों को परिवार समाज और संस्थागत स्तर पर लड़कियों और महिलाओं की स्थिति की गहनता से पड़ताल करके समाज में व्याप्त जेंडर भेदभाव का पता लगाने में सक्षम बनाएगा।

4.13 संदर्भ

- खन्ना, सीमा. 2002. वुमेन इन द सिटी, *हिंदुस्तान टाइम्स* में प्रकाशित लेख, 29 अक्तूबर, संपादकीय पृष्ठ.
- ———. 2003. सेक्स, लाइस एंड मीडिया, द *पायनियर* में प्रकाशित लेख, 23 अप्रैल, संपादकीय पृष्ठ.
- भसीन, के. 2000. अंडरस्टैंडिंग जेंडर. काली फॉर वुमेन, नयी दिल्ली, भारत.
- मित्र. निशी. 2000. जेंडर *कांस्ट्रक्शन इन मीडिया फाउंडेशन कोर्स इन वुमेन्स एम्पॉरमेंट एंड डवलपमेंट* सांगरी कुमकुम (संपा) 1, इग्नू, भारत.
- http://www.asianage.com/arts/salute-or-serenade-question-530
- http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2008-06-22/india/27754449_1_kashmiri-women-sara-rjs
- http://colors.in.com/in/
- http://www . deccanherald . com/content/70653/changing-face-women-tv.html
- http://www.indianexpress.com/news/coming-soon-a-film-made-by-allwomen-crew/590868/

फोटो

- www.axeeffect.com
- www.animaatjes.de
- www.bharatividyapeeth.edu
- http://en.wikipedia.org/wiki/Barkha_ Dutt
- http://www.liveindia.com/priyanka/14july08.html
- http://marketingstrategems.blogspot.in/2010/05/vanish-trust-pink-forget-stains.html
- http://www.ndtv.com/photos/news/jeene-ki-aasha-facts-about-women-and-children-10459
- www.setindia.com
- www.startv.in
- www.vogue.com

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 5

जेंडर और हिंसा

मॉड्यूल की रूपरेखा

5.1 परिदृश्य
5.2 भूमिका
5.3 उद्देश्य
5.4 नीतिगत पहल
5.5 लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने संबंधी कानून
5.6 महिलाओं के प्रति अपराधों को संबोधित करने हेतु शैक्षिक कार्यनीतियाँ विकसित करना
5.7 संदर्भ

© NCERT not to be republished

5.1 परिदृश्य

आज के समय में उपभोक्तावाद की वृद्धि और बाज़ार अर्थव्यवस्था के विस्तार ने महिलाओं और लड़कियों का वस्तुकरण कर दिया है। विज्ञापन एजेंसियाँ और दैनिक धारावाहिकों में महिलाओं और लड़कियों का चित्रण अपने उत्पादों को बेचने और युवा मानसों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों, आभूषण और वस्त्रों से संबंधित उत्पादों पर महिलाओं की निरंतरता और परिवर्तन की भूमिका, उनके शारीरिक बनावट के आधार पर श्रृंगार पर केंद्रित प्रवृति ने इन सभी उत्पादों की माँग अत्यधिक बढ़ा दी है। यद्यपि इन सबसे महिलाओं के विरुद्ध अनेक प्रकार से हिंसा भी बढ़ी है। लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या, हत्या, यौन शोषण और अनेक अन्य प्रकार के अपराध सभी जातियों, वर्णों और स्थानों में दिखाई देते हैं। ऐसे अपराध किसी भी स्थान पर घटित हो सकते हैं जैसे कि परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल अथवा समुदाय। भारत जैसे विकासशील समाज लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा हेतु इस समस्या से जूझ रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न अपराधों और उनके साथ होने वाली हिंसा को प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया दोनों में दैनिक आधार पर व्यापक कवरेज दिया जाता है। यद्यपि यह दुखद है कि सिर्फ़ जो अपराध रिपोर्ट किए जाते हैं बस वही जनता की नज़र में आते हैं। अन्य प्रकार की हिंसा विशेषरूप से भावनात्मक हिंसा रिपोर्ट नहीं की जाती है। इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए क्रियाविधि, कानून और कानून लागू करने वाली संस्थाएँ जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ और परिवार न्यायालयों में अपनाई जाती है। लेकिन कई बार अनेक कारणों से, जैसे— व्यक्तिगत अवरोधों, सामाजिक तिरस्कार के भय, व्यवस्था तंत्र के विलंब आदि के कारण पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल पाता है। सरकार और सभ्य समाज द्वारा इसके लिए अनेक प्रकार से पहल की गई हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएँ ग्रामीण और शहरी दोनों ही परिवेशों में जारी हैं। इनके घटित होने की प्रबलता समय-समय पर बदलती रहती है, लेकिन यह समाज में जारी रहती हैं। इस

मॉड्यूल में पाठकों को इस मुद्दे को मानवीय परिप्रेक्ष्य से समझने के लिए संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया है जिससे जेंडर सौहार्द एक प्राप्य लक्ष्य बन जाए।

5.2 भूमिका

वर्तमान शताब्दी की पहचान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विस्फोट के रूप में की जाती है। इस डिजिटल युग में सर्च इंजनों में उपलब्ध सूचना की अधिकता ने सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए उस जानकारी को उपलब्ध करा दिया है जिसकी उन्हें तलाश है। गूगल अर्थ ने विश्व मानचित्र पर सुदूरतम बस्तियों या स्थानों का पता लगाना संभव बना दिया है। यह वास्तव में वह युग है जिसने विश्वभर में व्यक्तियों और समाजों के बीच संबद्धता को निकट ला दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तकनीकी-ज्ञान की क्रांति ने विषयों के बीच की सीमाओं को कम किया है और अनुप्रयोग आधारित विषयों के विकास को सुगम बनाया है। वास्तव में वर्तमान शताब्दी बहु-विषयों अथवा अंतर-विषयों का युग है।

इन परिवर्तनों ने प्रिंट जगत को और पाठ्य सामग्रियों को भी चुनौती दी है। पाठ्य सामग्रियाँ, विशेषकर विकसित देशों में धीरे-धीरे डिजिटल होती जा रही हैं। वास्तव में इसका प्रभाव एशियाई उपमहाद्वीप में भी महसूस किया जा रहा है। इन प्रमुख परिवर्तनों के आरंभ से ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के साथ ही आम जनता को भी परेशान कर रहा है, वह यह है कि क्या इन परिवर्तनों ने करने के लिए सीखने, जानने के लिए सीखने, सीखने के लिए सीखने और एक साथ जीने के लिए सीखने के प्रश्न पर विचार किया है? साथ ही इस वैश्विक और तकनीकी युग में जेंडर आधारित भावनात्मक यौन शारीरिक अपराधों में वृद्धि हुई है जिन्होंने भिन्न रूप ले लिए हैं। इन परिघटनाओं के साथ ही पर्यावरणीय निम्नीकरण, भूमंडलीय तापन, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद और मारक रोगों जैसे एच.आई.वी. और एड्स के प्रसार में भी वृद्धि हुई है। इन प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं ने समाज के सभी वर्गों को बहुत गहरे स्तर पर प्रभावित किया है और साथ ही गुणवत्तापरक शिक्षा के मुद्दों को केंद्र में ला दिया है।

शिक्षा में गुणवत्ता के सरोकार सभी शिक्षा प्रबंधों और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परिचर्चा के प्रमुख विषय रहे हैं। नीति निर्माताओं, क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं और शिक्षा पद्धतियों का प्रयास नीति सिद्धांतों और व्यवहार के बीच सभी प्रकार के विरोधाभासों को दूर करना है, जिससे समकालीन शिक्षा की चुनौतियों पर विचार किया जा सके। इस मॉड्यूल में मानवता विशेष रूप से महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली घरेलू हिंसा की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत में सरकार और नागरिक समाज द्वारा किए गए प्रयासों के विस्तृत विश्लेषण का और इस परिघटना के प्रसंग में समकालीन शिक्षा की भूमिका को जानने का प्रयास है।

5.3 उद्देश्य

- महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसा को समझना
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समझने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी अर्जित करना।

5.4 नीतिगत पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 एक महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इसमें सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन बनाने का प्रयास है। इस नीति ने लड़कियों और महिलाओं के सशक्तीकरण में एक प्रमुख हस्तक्षेपकर्ता की भूमिका निभाई है। इसमें सभी प्रकार की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक असंगतियों को दूर करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है। इसमें इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है नई पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ ही निर्णायकों एवं प्रशासकों का प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण किया जाए ताकि सभी प्रकार के भेदभावों तथा रूढ़ियों का उन्मूलन कर नए मूल्यों का विकास किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विशेषरूप से महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में परिलक्षित दृष्टिकोण को क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम (प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन 1992) में और विस्तार से स्पष्ट किया गया है। महिला सशक्तीकरण संबंधी विचारणीय लक्ष्यों में सम्मिलित हैं— महिलाओं के आत्म सम्मान और आत्म विश्वास को बढ़ाना, समाज, राजतंत्र और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को महत्व देकर महिलाओं की सकारात्मक छवि निर्मित करना, आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, निर्णय लेने की क्षमता और सामूहिक प्रक्रियाओं के द्वारा काम करने को बढ़ावा देना, महिलाओं को शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य (विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य) के क्षेत्रों में जानकारी के साथ के साथ विकल्प चुनने में 'सक्षम बनाना', विकासात्मक प्रक्रियाओं में

© NCERT not to be republished

समान भागीदारी सुनिश्चित करना, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए जानकारी, ज्ञान और कौशल प्रदान करना और विधिक साक्षरता तथा समाज में उनके अधिकारों और हकों से संबंधित जानकारी तक पहुँच को बढ़ाना जिससे सभी क्षेत्रों में वे बराबरी से भागीदारी कर सकें।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (The National Policy on the Empowerment of Women NPEW, 2001) भी इसी दिशा में एक कदम है। इस नीति में पुनः यह दोहराया गया है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा के लिए समान पहुँच को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें जेंडर संवेदी पाठ्यचर्या के विकास को महत्व दिया गया है जो आगे चलकर लड़कियों और महिलाओं को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त करेगी। यह महसूस किया गया था कि शिक्षा में यह हस्तक्षेप निष्पक्षता और समानता के लक्ष्यों को पूरा करने और शिक्षा में गुणवत्तापरक मुद्दों पर ध्यान देने में सहायक होगा।

- किसी भी बच्चे को ऐसे किसी भी प्रकार की फ़ीस शुल्क अथवा खर्चा देने की आवश्यकता नहीं है जो उसे प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने और उसे पूरा करने से रोक सकता है।
- छः वर्ष से अधिक आयु का बच्चा या बच्ची जिसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं करवाया गया है अथवा प्रवेश होने पर भी वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाया या पाई है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा।
- यह सुनिश्चित कर लें कि किसी भी वर्ग (वंचित समूह, आर्थिक पिछड़े आदि) के बच्चों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव न किया जाए और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने और पूर्ण करने से न रोका जाए।
- यह सुनिश्चित कर लें कि निम्न कार्यसूची में बताए गए मानकों और नियमों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए।
- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का प्रावधान किया जाए।

क्रियाकलाप 1

1. विद्यार्थियों के साथ वर्तमान नीति और व्यवहार पर एक परिचर्चा आयोजित कीजिए।
   ....
   ....
2. नीति और उसके क्रियान्वयन से संबंधित संस्थाओं की भूमिका पर एक बहस का आयोजन कीजिए।
   ....
   ....
3. विकसित और विकासशील देशों में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा और वर्तमान नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण कक्षा में या कक्षा से बाहर आयोजित किया जा सकता है।
   ....
   ....
4. विद्यार्थियों से कहिए कि वे उन विभिन्न स्थानों, जैसे— परिवार, विद्यालय और समुदाय में उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली हिंसा के प्रकारों की सूची बनाएँ।
   ....
   ....

भारत सरकार ने 6–14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया है। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। इस अधिनियम के कुछ प्रमुख मापदंड निम्न हैं—

- छः से चौदह वर्ष तक के आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक पड़ोस के किसी भी विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी हिंसा को पाठ्यचर्या के माध्यम से संबोधित किया है। छात्रों को शिक्षकों और अन्य विद्यालय कर्मियों (जैसे— प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और परामर्शदाता) इत्यादि द्वारा लायी गयी इस नई स्कूली संस्कृति व पाठ्यक्रम में आये परिवर्तनों के माध्यम से संवेदनशील बनाया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में प्रारंभिक शिक्षा, मानवीय मूल्यों पर सामग्री, जैसे सभी व्यक्तियों के शिए सम्मान, सहानुभूति,

© NCERT not to be republished

सहिष्णुता, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा, वैश्विक नागरिकता, समावेशन और समता शमिल होंगे। इसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, लिंग आधारित पहचान इत्यादि के बारे में अधिक विस्तृत ज्ञान शमिल होगा, जो विविधता के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता विकसित करेगा। स्कूल के पाठ्यक्रम में किसी भी पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को हटा दिया जाएगा, और ऐसी सामग्री को अधिकता में शामिल किया जाएगा जो सभी समुदायों के लिए प्रासंगिक और संबंधित है।

वास्तव में क्या स्तर है; यह जानने के लिए क्रियाकलाप 2 में दिए गए मुद्दों की पड़ताल करें और उन पर चर्चा करें।

अधिनियम (1976), महिला अभद्र प्रदर्शन रोकथाम अधिनियम (1986), चिकित्सीय गर्भावस्था समापन अधिनियम (1971), प्रसवपूर्व निदान तकनीक नियमन और रोकथाम अधिनियम (1994) तथा अनेक अन्य। समय के साथ कुछ कानून संशोधित किए गए अथवा उनमें कुछ अन्य खंड जोड दिए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय समाज के सामाजिक और आर्थिक परिवेश में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार नए कानून लागू किए गए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2013 यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य या व्यवहार से संबंधित है जिसमें शामिल है — प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिला के रोज़गार में अधिक मान व महत्व देने का वायदा करना,

क्रियाकलाप 2

1. पास पड़ोस के विद्यालयों में बच्चों के नामांकन नहीं होने के कारणों का खेल-खेल की विधि से पता लगाने के लिए क्रियाकलाप आयोजित कीजिए।

   ....

   ....
2. आप आधारभूत ढाँचे की उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता की एक सूची तैयार कीजिए।

   ....

   ....
3. आप विद्यालयों में प्रशिक्षण आवश्यकताओं और संसाधनों की पहचान के लिए शिक्षकों के बीच एक क्रियाकलाप आयोजित कर सकते हैं।

   ....

   ....
4. इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए रक्षा उपायों की जाँच और समीक्षा कीजिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बच्चे अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षा के प्रारंभिक चक्र को पूरा कर सके।

   ....

   ....

5.5 लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने संबंधी कानून

स्वतंत्रता के बाद से लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के लिए रोकथाम संबंधी कानून लागू किए गए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं— विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिंदू विवाह अधिनियम (1955), हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम (1956), परिवार न्यायालय अधिनियम (1954), अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम (1986), दहेज निषेध अधिनियम (1961) (1984 और 1986 में संशोधित), समान वेतन

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिला के रोज़गार में अहितकारी या हानिकारक व्यवहार करना व धमकी देना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिला के वर्तमान व भविष्य के रोज़गार (नियुक्त) के बारे में धमकी देना, महिला के कार्य में व्यवधान डालना या महिला के लिए भयावह, द्वेषपूर्ण आक्रामक वातावरण बनाना।

यद्यपि, विद्यमान कानून लड़कियों और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा की घटनाओं को नहीं रोक पाए हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में नियमित रूप से महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की घटनाओं के समाचार आते रहते हैं। इन अपराधों के

© NCERT not to be republished

होने के कई कारण बताए गए हैं। इनमें से कुछ दस्तावेजित किए गए कारण, जैसे— कानूनों के विषय में जागरूकता की कमी, गरीबी, परिवार और समाज द्वारा कलंकित होने का डर, आत्मविश्वास की कमी, अपराधी द्वारा पीड़ित होने का मनोवैज्ञानिक भय और मर्यादा की मिथ्या धारणाएँ आदि हैं। ऐसे मामले जहाँ घटना की रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है, वहाँ अकसर न्याय मिलने में देरी से पीड़िता का कानून व्यवस्था के क्रियान्वयन की संस्थाओं से भरोसा उठ जाता है। इस प्रकार कानून लागू करना अपने आप में सामाजिक न्याय के मुद्दों को तब तक संबोधित नहीं करता है जब तक कि उनके साथ उनके क्रियान्वयन के लिए प्रभावी तंत्र न हो।

भारत अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के हस्तक्षारकर्ताओं में से एक है, जो जेंडर न्याय, सौहार्द और शांति को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्यरत हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध समझौते इस प्रकार हैं— कन्वेन्शन ऑन द ऐलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फॉर्मस ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अगेन्स्ट विमेन (CEDAW) और कन्वेन्शन ऑफ़ राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड (CRC) जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हिंसा, क्षति अथवा दुर्व्यवहार, अनदेखी अथवा उपेक्षा के व्यवहार, दुर्व्यवहार अथवा शोषण से संबंधित है। इसके अनुच्छेद 19 में यौन शोषण भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 34 में बच्चों के सभी प्रकार के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार से सुरक्षा की माँग की गई है।

यह एक ज्ञात तथ्य है कि कानूनों और उनके क्रियान्वयन के बीच अंतर पाए जाते हैं। यद्यपि, जैसा कि पहले बताया गया है कि इस संदर्भ में सभ्य समाज के प्रयासों को कम नहीं आँका जा सकता है। अनेक गैर-सरकारी संगठन और समाज की पहलों में विभिन्न प्रकार के अपराधों से प्रभावित पीड़ितों को न्याय दिलवाने में जनहित याचिकाओं का सहारा लिया जाता है। इस संदर्भ में 1989 में स्थापित 'महिला समाख्या' संपत्ति अधिकारों, वैवाहिक विवाद, परिवार, कार्यस्थल और समाज में लड़कियों और महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली शारीरिक और मानसिक हिंसा से संबंधित मामलों में ग्रामीण महिलाओं को त्वरित और निःशुल्क सहायता प्रदान करने की दिशा में एक स्वागत योग्य पहल है। नारी अदालत वह संरचना है, जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायिक मुद्दों पर विचार करती है। उन सभी राज्यों में जहाँ यह कार्यक्रम क्रियान्वित हो रहे हैं वहाँ सफलता की ऐसी अनेक कहानियाँ हैं, जहाँ नारी अदालत ने महिलाओं को उनके परिवार और समाज से संबंधित अनेक मुद्दों पर न्याय प्राप्त करने में सहायता की है। असम में नारी अदालतों ने पारिवारिक विवादों, दहेज उत्पीड़न, दूसरी शादी, बलात्कार, घरेलू हिंसा, बच्चे को रखने का अधिकार, बाल विवाह, डायन घोषित करके मारना और मदिरापान से मुक्ति में प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्ष 2006–2007 में असम में कुल नारी अदालतों की संख्या 10 थी जो दारांग, घुकरी, मोरीगाँव, ग्वालपाड़ा, सोनितपुर और नागौन ज़िलों में स्थित थीं।

उपर्युक्त संदर्भ को और बेहतर समझने के लिए और परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए क्रियाकलाप 3 (पृष्ठ 67 देखें) में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिनको किया जा सकता है।

यद्यपि, नीतिगत पहलों और विद्यमान कानूनों ने समकालीन भारत में लड़कियों और महिलाओं के समग्र विकास के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करने का प्रयास किया है। लेकिन शिक्षा के साथ-साथ हिंसा से संबंधित सूचक इस पर प्रकाश डालते हैं कि समाजीकरण और रूढ़िवादी प्रथाओं, धारणात्मक मान्यताओं और बढ़ते उपभोक्तावाद ने महिलाओं की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों की सभी स्तरों पर भागीदारी में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी 50 प्रतिशत से कम है। (चयनित शैक्षिक सांख्यिकी (2005–06) की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर दर्शाती है कि पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच अंतर है। पुरुषों के लिए यह 75.85 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 54.16 प्रतिशत थी।

महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों की घटनाएँ भी इंगित करती हैं कि साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि समाज में महिलाओं की स्थिति से सदैव सकारात्मक रूप से नहीं जुड़ी होती है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो वार्षिक रूप से होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराधों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वर्ष 2007 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की कुल 1,85,312 घटनाएँ दर्ज की गई थीं (आईपीसी तथा अन्य कानूनों के तहत) जबकि वर्ष 2006 में 7,16,765 घटनाएँ दर्ज की गई थीं। अतः वर्ष 2007 में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विभिन्न प्रकार के अपराध जिनमें वृद्धि दर्ज की गई थी वे हैं— अपहरण और भगाकर ले जाना, दहेज मृत्यु, यातना देना, छेड़छाड़ और बलात्कार।

35 महानगरों में जिनमें 2001 जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, वहाँ महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुल 24,709 मामले दर्ज किए गए थे। इन 35 शहरों में से दिल्ली में 4,331 मामले और हैदराबाद में 1,931 मामले

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 3

1. एक विधिक साक्षरता कार्यशाला का आयोजन कीजिए जिससे विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता-पिता को बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए लागू किए गए कानूनों से परिचित करवाया जा सके।
....
....
2. फिल्मों के कुछ हिस्से दिखाकर विद्यार्थियों के बीच भारतीय समाज में बढ़ती हिंसा पर परिचर्चा कीजिए।
....
....
3. शारीरिक और भावनात्मक हिंसा की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे विधि विशेषज्ञ या गैर-सरकारी संगठन के विशेषज्ञों द्वारा एक वार्ता का आयोजन कीजिए।
....
....
4. अपराधों पर कार्य कर रही संस्थाओं के क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था कीजिए।
....
....
5. विद्यालय के बुलेटिन बोर्ड और अन्य स्थानों पर आप शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रमुख मापदंडों का प्रदर्शन कर सकते हैं।
....
....

दर्ज किए गए थे। विजयवाड़ा और विशाखापटनम में अपराध दर काफी अधिक क्रमश: 96.2 और 56.7 थी जबकि इसकी तुलना में बड़े शहरों में राष्ट्रीय औसत दर 16.3 थी। दिल्ली की एक रिपोर्ट 14 मार्च, 2011 के एक अंग्रेज़ी समाचार पत्र द *टाइम्स ऑफ़ इंडिया* में आई थी जिसे सारणी में दिखाया गया है।

अपराध	2008	2009	2010
हत्या	554	552	565
बलात्कार	466	469	507
हत्या का प्रयास	389	369	311
डकैती	541	515	599
कुल आईपीसी	49.350	50,251	51,292
आईपीसी अपराध या प्रति लाख जनसंख्या	286	283	281

(स्रोत— द टाइम्स ऑफ़ इंडिया, मार्च 14, 2011)

महिलाओं के प्रति हिंसा के कुकृत्यों में जबरन नसबंदी, गर्भपात, गर्भनिरोधों का उपयोग और प्रसवपूर्व लिंग चयन भी सम्मिलित हैं। साथ ही भूमंडलीकरण और इंटरनेट के जरिए नए प्रकार की हिंसा का अस्तित्व में आना और उनका स्थायीकरण हुआ है। व्यापक दर्शक अपील और उन तक पहुँच होने के कारण ये अकसर महिलाओं को अश्लील अवस्था में दिखाकर उनके चित्रों का गलत उपयोग करते हैं। इस प्रकार का चित्रण मोबाइल फ़ोनों के जरिए भी किया जाता है (गुरुमूर्ति, मेनन, 2009)।

इसके अतिरिक्त प्रिंट तथा ऑडियो-विजुअल (दृश्य-श्रव्य) मीडिया भी दैनिक आधार पर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की घटनाओं का चित्रण करते हैं, जो समाज के सभी भागों, जैसे— जाति, वर्ग और क्षेत्र में व्याप्त हैं। इन्होंने घरेलू हिंसा, मर्यादा के लिए हत्या, डायन घोषित करके मारना, दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार तथा अनेक अन्य अपराधों ने निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 4

1. आप अपने इलाके में हुए अपराधों का एक डाटाबेस तैयार करके पता लगाइए कि उनका निवारण कैसे किया गया?

   ....

   ....

2. अपराधों की रोकथाम के लिए विभिन्न तरीकों पर अपने विद्यालय में एक रोलप्ले का आयोजन कीजिए।

   ....

   ....

3. आप विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे या अनुभव किए गए किसी प्रकार के भेदभाव पर एक कहानी तैयार कराएँ और बताएँ कि वे कैसे इसे संबोधित करेंगे।

   ....

   ....

4. आप उन्हें दुनियाभर में होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा और उसे दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रयासों पर वेबसाइट्स दिखा सकते हैं।

   ....

   ....

5. समाचार पत्र में दी गई कतरनों पर एक परिचर्चा आरंभ कीजिए और विद्यार्थियों से पूछिए कि क्या उन्हें उन संस्थाओं के विषय में कोई जानकारी है, जो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के पुनर्वास में सहायता करती है।

   ....

   ....

लड़कियों और महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली असुरक्षा और अति संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला है।

यद्यपि महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक हिंसा अनेक सरकारी दस्तावेज़ में और निजी संस्थाओं में दर्ज की गई है। लेकिन महिला परिवार, विद्यालय और कार्यस्थलों में जिस भावनात्मक हिंसा का सामना करती हैं, वह कहीं दर्ज नहीं है। शारीरिक और भावनात्मक हिंसा दोनों से आत्म-सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी और महिलाओं के समग्र व्यक्तित्व विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये महिला सशक्तिकरण में अकसर प्रमुख बाधा बन जाते हैं।

अनेक अध्ययन और— हैवर्ड, फिनीरुथ (2000) ने भारत तथा कुछ दक्षिण एशियाई देशों में लड़कियों और महिलाओं द्वारा कोख से लेकर शिखर तक झेली जाने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के केस अध्ययनों का विस्तृत विवरण दिया है।

DELHI AT WORK

Always on duty for rape victims

IT'S 10 pm. Ruchi Chaudhary has been home for only two hours. Having helped her mother-in-law serve dinner, she is just about ready to call it a day when the phone rings.

The next forty minutes are spent talking to a rape victim's mother who is worried about an upcoming court hearing. She tells Ruchi about the threats, and the offer of money, from the alleged rapist's relatives. Ruchi offers to be present at the hearing.

"How can you tell a person in need that you are off duty," asks Ruchi, a programme officer with Pratidhi, an NGO that looks after victims of crime.

Bringing work home takes on an entirely new dimension when you factor in the emotional demands of the job: the first rape victim Ruchi counselled was a five-year-old girl.

"The girl, who has been raped by her neighbour, was playing very normally with a group of kids. Her pain emerged only when I spoke to her and we developed a very special relationship. It became very difficult for me to withdraw from that case," recalls Ruchi.

The case ended in a conviction and was a moral victory for Ruchi.

"I have cried nights recalling the stories of some of the girls I have met. Listening to them is enough to make you lose faith in men. In fact, now when I talk to groups of school or college girls, I make it a point to tell them not to trust anyone — not even your own father.

This work has really made me suspicious of any kind of physical contact that I see around me. If a child is sitting on a man's lap, is it an innocent contact or is the child being abused is the first thought that comes to my mind," she says.

महिलाओं के पूरे जीवनचक्र में जेंडर हिंसा का प्रतिबिंबन

प्रसवपूर्व— लिंग चयनित गर्भपात, गर्भावस्था के काल में मारपीट, जबरन गर्भावस्था, गर्भावस्था के काल में स्वास्थ्य की अनदेखी।

शिशु अवस्था— कन्या शिशु हत्या, भावनात्मक और शारीरिक दुर्व्यवहार, भोजन और चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में भेदभाव।

बचपन— कुपोषण, बाल विवाह, बाल दुर्व्यवहार, भोजन चिकित्सा देखरेख और शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव, जाति, वर्ग और आस्था के कारण जारी भावनात्मक हिंसा।

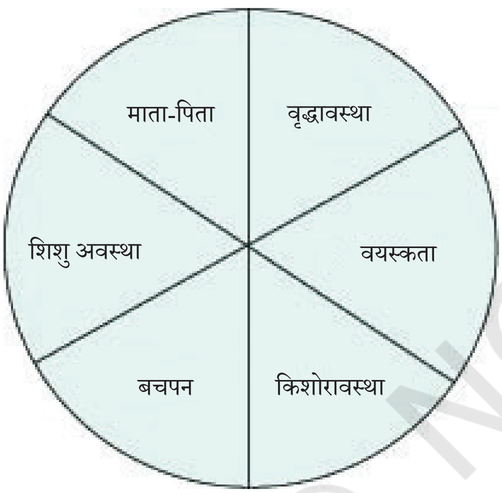

किशोरावस्था— बलात्कार, समाज, विद्यालय और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, जाति, वर्ग और आस्था के कारण जारी भावनात्मक हिंसा और साइबर अपराध।

वयस्कता— निकटतम पुरुष सहभागियों द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न, वैवाहिक बलात्कार, दहेज उत्पीड़न और हत्या, पत्नी हत्या, मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न, परिवार और कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न, बलात्कार, विकलांग महिलाओं का उत्पीड़न और साइबर अपराध।

वृद्धावस्था— विधवाओं का उत्पीड़न, भावनात्मक दुर्व्यवहार और शारीरिक अस्तित्व मिटाना, वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार (पुरुषों की अपेक्षा महिलाएँ अधिक प्रभावित होती हैं।)

यद्यपि महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को संबोधित करने के लिए विभिन्न संस्थाएँ और तंत्र उपलब्ध हैं, लेकिन इस सामाजिक जोखिम को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए एक अर्थपूर्ण और ठोस अभिगम अपनाने की आवश्यकता है। एक बहु-शाखी कार्यनीति जिसमें शिक्षा समेत सामाजिक परिवर्तन के सभी कर्मकों को सार्वजनिक और निजी स्थानों दोनों में जेंडर न्याय, सौहार्द और शांति लाने के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, हिंसा उन व्यक्तियों के खिलाफ भी है जो रूढ़िवादी लैंगिक मानदंडों और अभिव्यक्तियों को चुनौती देते हैं। अत: ऐसे लोग ट्रांसजेंडर हैं और जिनकी दृश्यमान लैंगिक

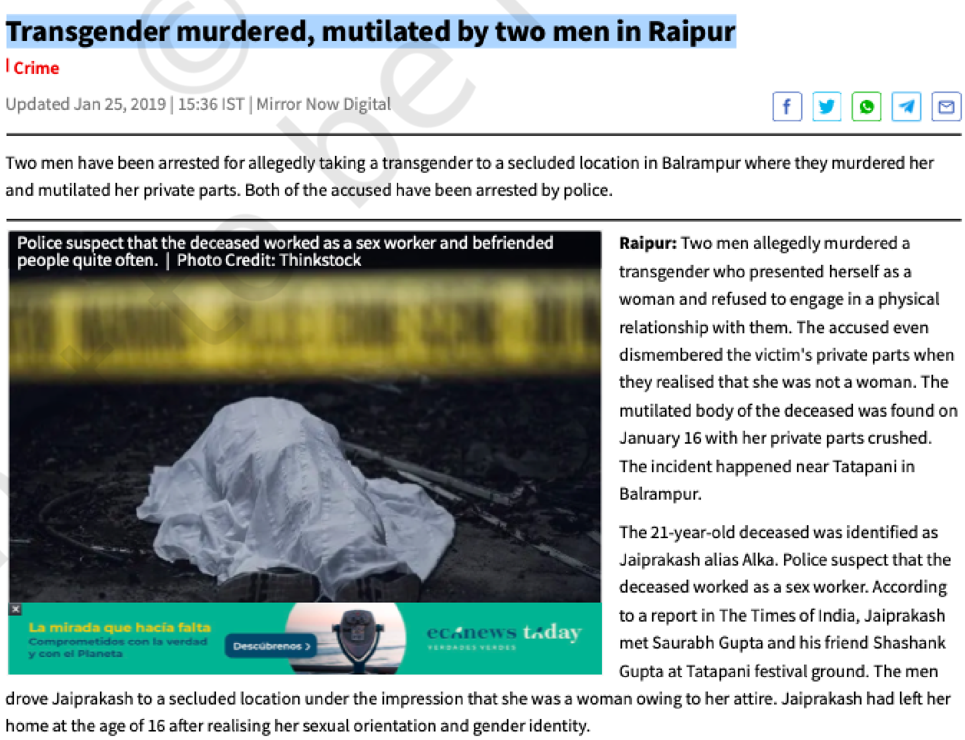

Transgender murdered, mutilated by two men in Raipur

Crime

Updated Jan 25, 2019 | 15:36 IST | Mirror Now Digital

Two men have been arrested for allegedly taking a transgender to a secluded location in Balrampur where they murdered her and mutilated her private parts. Both of the accused have been arrested by police.

Police suspect that the deceased worked as a sex worker and befriended people quite often. | Photo Credit: Thinkstock

Raipur: Two men allegedly murdered a transgender who presented herself as a woman and refused to engage in a physical relationship with them. The accused even dismembered the victim's private parts when they realised that she was not a woman. The mutilated body of the deceased was found on January 16 with her private parts crushed. The incident happened near Tatapani in Balrampur.

The 21-year-old deceased was identified as Jaiprakash alias Alka. Police suspect that the deceased worked as a sex worker. According to a report in The Times of India, Jaiprakash met Saurabh Gupta and his friend Shashank Gupta at Tatapani festival ground. The men drove Jaiprakash to a secluded location under the impression that she was a woman owing to her attire. Jaiprakash had left her home at the age of 16 after realising her sexual orientation and gender identity.

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 5

स्कूल छात्रावास में ट्रांसजेंडर महिला के नीचे दिए गए अनुभव कों पढ़ें। अनुभव कथा पढ़ने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों पर चिंतन करें 1. आपको क्यों लगता है कि व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया गया था 2. नवाचार के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है?

"...मैं एक उत्तम विद्यार्थी थी। जब मैं छठीं कक्षा में थी, तो मुझे नाटक करने का मौका मिला और साड़ी पहनने को मिली। उस समय, मैंने पार्वती की भूमिका को चुना। मैं लड़कों के छात्रावास में रहती थी और छात्रावास में सभी को पता था कि मेरा स्त्रियोचित व्यवहार है। मेरा एक और दोस्त था जो मेरे जैसा था; वह आठवीं कक्षा में था और मैं छठीं कक्षा में थी। हम दोनों ने सिर्फ़ साड़ी पहनने के लिए नाटक में भाग लिया। फिर हम दोनों को पता चला कि हमारे पास एक ही भावना है। मैं बहुत खुश थी और मैंने सोचा कि इस दुनिया में हर कोई अलग है और हम दो एक जैसे हैं। ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी ज़मीन मिल गई हो। उस दिन साड़ी-ब्लाउज पहनकर, स्तनों के स्थान पर प्याज डालकर आनंद लिया, हम लड़कों के छात्रावास में वापस आ गए। उसी रात हमने छात्रावास में यौन शोषण का सामना किया मेरे दोस्त को भी छात्रावास में रहने वाले अन्य लड़कों द्वारा यौन शोषण का सामना करना पड़ा। स्कूल में सह-शिक्षा थी, लेकिन छात्रावास में केवल लड़कों को ही अनुमति थी। वे नौवीं और दसवीं कक्षा के सीनियर लड़के थे जिन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया। मैं अपनी रक्षा के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा सकी। छात्रावास वार्डन भी रात 9 बजे नशे में धुत होकर आया। उस वार्डन ने भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। वह 50 साल का वार्डन था जबकि हम छठीं और आठवीं कक्षा के थे, इसलिए हमें इस बारे में अपनी आवाज़ उठाने के लिए कहाँ जाना है इसकी जानकारी नहीं थी। उसने जबरदस्ती मेरे साथ मारपीट की और कुछ अन्य लड़कों को बुलाकर हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किया। उसने वरिष्ठ विद्यार्थियों से कहा कि वे हमारे साथ संभोग करें। मैं अपने परिवार को इसके बारे में नहीं बता सकता थी, मैं इसके बारे में कैसे बोल सकता थी..क्या वे समझ सकते थे?

क्रियाकलाप 6

1. आप विद्यार्थियों से अपराधों की रिपोर्ट की कतरने एकत्रित करके उनका विश्लेषण करने के लिए कह सकते हैं।
   ....
   ....
2. मानवता के विरुद्ध बढ़ते अपराधों के कारणों पर विद्यार्थियों के विचारों को प्रकाश में लाने के लिए एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए।
   ....
   ....
3. विरोध प्रबंधन और सामाजिक तनावों से संबंधित मुद्दों पर बच्चों के साथ परिचर्चा करने के लिए परामर्शदाताओं या दात्रियों को आमंत्रित किया जा सकता है।
   ....
   ....

© NCERT not to be republished

पहचान न तो पुरुष है और न ही महिला उन्हें अकसर हिंसा का सामना करना पड़ता हैं।। 20 नवंबर को प्रतिवर्ष ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन की स्मृति के रुप में मनाया जाता है।

5.6 महिलाओं के प्रति अपराधों को संबोधित करने हेतु शैक्षिक कार्यनीतियाँ विकसित करना

भूमंडलीकरण के इस युग में सभी स्तरों पर शिक्षा की विषय-वस्तु और प्रक्रिया में शांति निर्माता की कार्यनीतियों को शामिल किया जा सकता है। ऐसा करने से बच्चे आरंभिक वर्षों से ही महिलाओं के योगदान को महत्व देने, देखभाल और साझेदारी, लड़कों और लड़कियों के बीच समानता, सहनशीलता तथा श्रम के महत्व को आत्मसात कर सकें। द्वंद्व प्रबंधन और सामाजिक तनाव को प्रमुखता से सभी विषयों, पाठ्यचर्या और क्रियाकलापों में बताया जाना चाहिए, जिससे आम सहमति और परस्पर बातचीत के कौशल लड़कों और लड़कियों दोनों के व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग बन जाए।

क्रियाकलाप 7

1. लड़कों और लड़कियों के लिए सामाजीकरण की प्रक्रियाओं पर आलोचनात्मक चिंतन के लिए जेंडर संवेदनशीलता कार्यक्रमों का आयोजन कीजिए।
....
....
2. आत्मरक्षा के क्रियाकलापों, जैसे— कराटे का आयोजन किया जा सकता है।
....
....
3. हिंसा की विरोध संबंधी कार्यनीतियों के प्रसार के लिए नुक्कड़ नाटकों और नाटकों का आयोजन किया जा सकता है।
....
....
4. जेंडर संवेदनशीलता, द्वंद्व प्रबंधन और सामाजिक तनावों की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कीजिए।
....
....
....
5. जेंडर संवेदनशीलता, द्वंद्व प्रबंधन और सामाजिक तनावों की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कीजिए।
....
....
....
6. भिन्न प्रकार की हिंसा से पीड़ितों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके पुनर्वास हेतु निदानी उपचारात्मक तथा सुधारात्मक उपायों के लिए विद्यालयों में माता-पिता, समुदाय के सदस्यों, शिक्षकों, प्रशासकों और गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों की समिति का गठन करना।
....
....
....

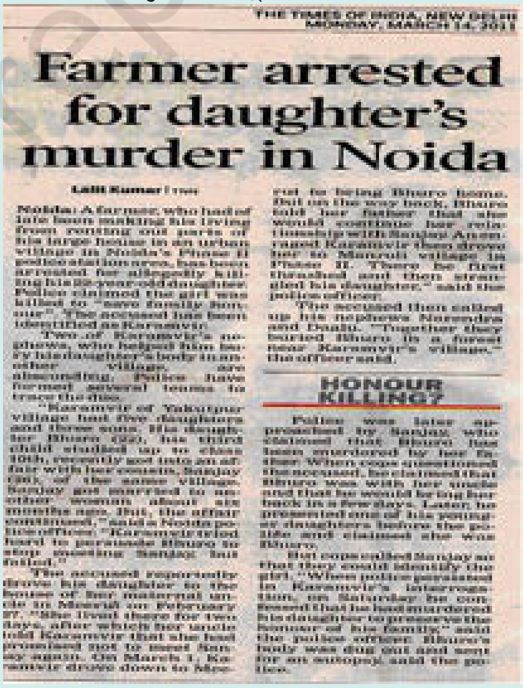
THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, MARCH 14, 2011

Farmer arrested for daughter's murder in Noida

HONOUR KILLING?

© NCERT not to be republished

माता-पिता-शिक्षक संघ, माता-शिक्षक संघ, सहपाठी संघ तथा अन्य इस प्रकार की संस्थाओं को बच्चों द्वारा विद्यालयों, परिवार और समाज में सामना किए जाने वाले द्वंद्वों का समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। आत्मविश्वास निर्मित करने के उपायों को सशक्त करके विभिन्न स्थानों पर सभी आयुवर्ग के बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली भावनात्मक और शारीरिक हिंसा को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस प्रकार यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों के पास अपने बड़े होने के काल में सामना किए जाने वाले तनाव और द्वंद्व की चर्चा करने के लिए एक स्थान है।

सेवापूर्व एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे वे समस्या सुलझाने वाले परामर्शदाओं और मानसिक स्वास्थ्यकर्मियों की तरह बच्चों द्वारा अनेक कारणों से झेले जाने वाले सभी प्रकार के भावनात्मक और शारीरिक द्वंदों का समाधान कर सके। विधिक साक्षरता सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिन्न भाग होनी चाहिए।

ऐसे संदेशों को बढ़ावा देने के लिए जो लड़के और लड़कियों के बीच सौहार्द पैदा करने के लिए उपयोग किए जा सकें, विभिन्न माध्यमों, जैसे— लोकगीतों, फिल्मों, वीडियो, थिएटर, गीत, ड्रामा तथा अनेक अन्य तरीकों का नवाचारी रूप से शैक्षिक अभिगमों में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने की दिशा में कार्य करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को लड़कापन और लड़कीपन पर शोध अध्ययनों का भी उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से भारत के विविध समाजों की भिन्न परिवार व्यवस्थाओं में भूमंडलीकरण और समाजीकरण के आच्छादित प्रभाव के तहत किशोर बच्चों के विकास करने, पहचान बनाने और उन द्वंद्वों की जटिलताओं को समझा जा सके जिनका सामना बच्चे अपने अंत: बाह्य व्यक्तित्व में करते हैं।

5.7 संदर्भ

- एड मेम्वर, फर्स्ट ज्वाइंट रिव्यू मिशन ऑफ़ महिला समाख्या, 24 नवंबर, 2008 से 4 दिसंबर, 2008 तक.
- गुरुमूर्ति, अनीता और निवेदिता मेनन. 2009.'वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाया सायबर स्पेस. *इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, वॉल्यूम. XLIV अंक. 40.
- नेशनल क्राइम रिपोर्टस ब्यूरो रिपोर्ट. (2007).
- *प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन* 1992. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली
- फोर्थ वर्ल्ड कॉफ्रेंस आन वुमेन, बीजिंग 1995. कंट्री रिपोर्ट, भारत सरकार, महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय.
- फ़ार्मर अरेस्टेड फ़ॉर डॉटर्स मर्डर इन नोएडा (2011). *टाइम्स ऑफ इंडिया*, मार्च 14, 2011, नयी दिल्ली.
- *महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति*. 2001. महिला और बाल विकास विभाग. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*. 1986. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली
- सलेक्टेड एजूकेशन स्टैटिस्टिक्स (2005–2006). सांख्यिकीय विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.
- हेवार्ड, रुथ फिनी 2000. *ब्रेकिंग द अर्थनवेयर जार*. लेसन फ्रॉम साउथ एशिया टू एंड वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स. यूनीसेफ, नयी दिल्ली
- https://www.timesnownews.com/mirror-now/crime/article/transgender-murdered-mutilated-by-two-men-who-mistook-him-for-a-woman-while-on-a-date/352714

© NCERT not to be republished

मॉड्यूल 6

जेंडर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मॉड्यूल की रूपरेखा

6.1 परिदृश्य
6.2 भूमिका
6.3 उद्देश्य
6.4 विवरण
6.5 समस्या का मूल कारण
6.6 कार्यप्रणाली
6.7 शिक्षक प्रशिक्षक का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जेंडर समानता के प्रोत्साहन में योगदान
6.8 शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सिफ़ारिशें
6.9 संदर्भ

© NCERT not to be republished

6.1 परिदृश्य

विज्ञान लैटिन शब्द साइंटिया (माने विशुद्ध ज्ञान) का अर्थ ज्ञान अर्जित करने के ऐसे तंत्र से है जिसमें प्राकृतिक परिघटनाओं के वर्णन और व्याख्या के लिए प्रेक्षण और परीक्षण का उपयोग किया जाता है। प्रौद्योगिकी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्नोलॉजिया से लिया गया है। इसमें टेक्नी का अर्थ कला, कौशल और शिल्प है और लॉजिया का अभिप्राय किसी विषय का या किसी विषय के ज्ञान की शाखा का अध्ययन, किसी समस्या के समाधान अथवा किसी कार्य के लिए साधनों, तकनीकों, शिल्पों, तंत्रों अथवा विधियों का ज्ञान और उपयोग करना है। प्रौद्योगिकियों को उपयोगिता, प्रयोज्यता और सुरक्षा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। मूलरूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध उन विभिन्न तकनीकों और विधियों से है जिनका उद्देश्य मानव कल्याण को बढ़ाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही भारतीय संस्कृति के अभिन्न भाग रहे हैं। भारत में दर्शनशास्त्र, वैज्ञानिक खोजों और विकास का इतिहास वैदिक काल से रहा है। भारत ने ही विश्व को गणित में शून्य, रसायनशास्त्र में आसवन और इत्र बनाने तथा स्वास्थ्य देखरेख में योग और आयुर्वेद की संकल्पना दी थी।

वास्तव में वर्ष 2003 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रणालियों के विकास उत्पादन में भारत को पंद्रहवाँ स्थान मिला था, लेकिन बाद में हमने विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सूची में दस शीर्ष स्थानों में जगह बना ली थी। वर्ष 2010 में विश्व के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानचित्र में भारत ने नौवाँ स्थान प्राप्त कर लिया था। भारत सरकार ने 2010–20 को इस उम्मीद में नवाचारों के दशक के रूप में घोषित किया कि वैज्ञानिक अनुसंधानों और

नवाचारों के प्रयोग से देश में संपत्ति और रोज़गार बढ़ेंगे। वर्तमान में भारत को एक प्रमुख वैश्विक विज्ञान शक्ति बनाने के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा राष्ट्रीय विकास के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख साधन हो सकती है। इसमें लड़कियों समेत समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। यह मॉड्यूल सेवारत शिक्षकों पर केंद्रित है जिनकी भूमिका और कार्य का विद्यालय जाने वाली आयु के विद्यार्थियों और इस प्रकार समाज के भविष्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है।

इस मॉड्यूल में विज्ञान और गणित की कक्षाओं में और सामान्य रूप से विद्यालय में लड़कियों की राह की उन व्यक्तिगत और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करके जेंडर मुद्दों को संबोधित किया जाएगा जो उन्हें विज्ञान विषयों का चयन करके उनमें बेहतर प्रदर्शन करने और अंत में विज्ञान संबंधी करिअर का चयन करने से रोकता है।

जेंडर विषमता स्पष्ट रूप से शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देती है जो समावेशी वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इसे जानते हुए इस मॉड्यूल का उद्देश्य हमारे शिक्षा क्षेत्र विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में पाई जाने वाली जेंडर विषमता के कारकों को संबोधित करना है। यह पूर्वानुमान किया गया है कि भले ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आर्थिक वृद्धि आती है लेकिन महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की अधिकतम भागीदारी के द्वारा इन क्षेत्रों में अधिकतम वृद्धि संभव है।

6.2 भूमिका

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जेंडर समानता और सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जेंडर सिर्फ़ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि आम जन का भी मुद्दा है। स्त्रीत्व, पुरुषत्व से पृथक नहीं है। किसी राष्ट्र की क्षमताओं में उसकी जनता के सभी वर्गों के कौशल और ज्ञान सम्मिलित होते हैं। कोई भी समाज अपनी वास्तविक क्षमता तब तक नहीं पहुँच सकता है जब उसकी आधी जनसंख्या को रचनात्मक व्यवसायों और कार्यकलापों से अलग रखा जाए, ठीक वैसे ही जैसे कोई रथ एक ही पहिए पर नहीं चल सकता है। ऐसी स्थिति में कोई राष्ट्र विकास नहीं कर सकता है किसी समाज अथवा राष्ट्र के वैज्ञानिक योगदान उसके विकास के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। अतः वर्तमान मॉड्यूल की रचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जेंडर समानता और सशक्तिकरण के विषय में संवेदनशीलता और जागरूकता को बढ़ाने के लिए की गई है। इसमें उन विभिन्न तरीकों को वर्णित करने का प्रयास किया गया है जिनसे विशेषरूप से शिक्षक-प्रशिक्षक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जेंडर समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

यह सुस्थापित है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ज्ञान प्राप्ति, सोच की पुनर्रचना, व्यवहारगत परिवर्तन और क्षमता का विकास कर सकते हैं जिससे महिला सशक्तिकरण सुगम हो सके। महिलाएँ जानकारी के साथ निर्णय लेने वाली और परिवर्तन करने वाली हो सकती हैं।

6.3 उद्देश्य

- महिलाओं के बीच उस सहायता के विषय में जागरूकता प्रदान करना, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी उन्हें प्रदान कर सकती है।
- विज्ञान में सफल करिअर के लिए शहरी और ग्रामीण लड़कियों दोनों को एक मंच प्रदान करना।
- महिलाओं के लिए विज्ञान में संस्थागत परिवेश को बेहतर बनाना जिससे उन्हें पुरुषों के समकक्ष माना जाए।
- महिलाओं को विज्ञान में राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रोत्साहित करना।
- प्रयोगशाला कार्य को अधिक रुचिकर बनाकर और जीवन कौशल क्रियाकलापों को लाकर विद्यालयों और महाविद्यालयों में अधिगम और शिक्षण के स्तर को बढ़ाना।

6.4 विवरण

महिलाओं की संसाधनपूर्ण और समर्पित वैज्ञानिक प्रतिभा की प्रचुरता आपको भारत के भविष्य के विषय में आशावादी बनाती है। ऐसी आसाधरण प्रतिभा भारत को न सिर्फ़ वैज्ञानिक रूप से उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी में ला सकती है, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में इसकी छवि को बेहतर बना सकती है, जो महिलाओं की प्रगति की पैरवी करता है।

देश में विज्ञान के वर्तमान स्तर को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों में सम्मिलित हैं—

(क) समर्पित युवा का विज्ञान शिक्षा में कम नामांकन।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक स्तर पर भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान की घटती प्रवृति।

© NCERT not to be republished

(ग) राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान में निवेश की मात्रा।

(घ) उत्कृष्ट संस्थानों की वृद्धि में कमी।

(ङ) वैज्ञानिक और उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में कार्य करने की स्वतंत्रता की कमी।

वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशनों में पिछले पच्चीस वर्षों में ऊपर बताए गए 'ग' और 'घ' कारकों में स्पष्ट रूप से सुधार दिखाई देता है। अनुसंधान प्रकाशनों की कुल संख्या 1980 में 14,983 से बढ़कर 2005 में 19,448 हो गई है। यद्यपि, विश्व प्रकाशनों के व्यापक फलक में प्रतिशत के संदर्भ में भारत का योगदान 1980 में 2.9 प्रतिशत से घटकर 2005 में 1.9 प्रतिशत हो गया है।

यह देखा गया है कि विद्यमान प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बावजूद भारत में महिलाओं की शिक्षा में प्रगति हुई है और इसका प्रभाव भारत में शिक्षा की समग्र प्रगति में अभिव्यक्त होता है। एक शिक्षित माँ सदैव अपने बच्चों की शैक्षिक उन्नति के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है, लेकिन सामान्य शिक्षा के क्षेत्र के परे भी विज्ञान में भारतीय महिलाओं की उपलब्धि महत्वपूर्ण है। एक स्पष्ट वास्तविकता यह है कि घरेलू और रोज़गार के मोर्चे पर महिलाओं का योगदान सदैव अनदेखा कर दिया जाता है। यह मुख्य तथ्य है कि महिलाएँ गृहणी के रूप में और घर के बाहर काम करके तथा पुरुषवाद से लड़कर दोहरा अथवा तीन गुना बोझ उठाती है, जो कि अक्सर अनदेखा और अमान्य रह जाता है। विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में और प्रौद्योगिकी विशेष रूप से शारीरिक या भौतिक विज्ञानों और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में महिलाएँ कम दिखाई देती हैं। जो महिलाएँ विज्ञान की पढ़ाई करती भी हैं। वे कम चुनौतीपूर्ण माने जाने वाले शिक्षण रोज़गारों में आ जाती हैं।

वर्तमान सांख्यिकीय आँकड़े इंगित करते हैं कि भारत में बड़ी संख्या में महिलाएँ वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान में संलग्न हैं। वे अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करती हैं। अब महिलाएँ उच्चतर शिक्षा में सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों में से लगभग 40 प्रतिशत भाग बनाती हैं। शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों में वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लगभग एक तिहाई पदों पर आसीन हैं। चिकित्सा और सूचना प्रौद्योगिकी में भी वे बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। इतने अच्छे सांख्यिकीय आँकड़ों के बावजूद, यह भली-भाँति ज्ञात है कि अभी भी बहुत अधिक क्षमता का दोहन बाकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा में लड़कियों और महिलाओं की कम भागीदारी के लिए अनेक कारक ज़िम्मेदार हैं। ऐसा समझा जाता है कि लड़कियाँ विज्ञान आधारित कार्यकलापों में भागीदारी की अनिच्छुक हैं। ऐसा प्राथमिक रूप से प्रेरणा की कमी के कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे उनका कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अन्य कारकों में प्रासंगिक नीतियों की कमी, अपर्याप्त पाठ्यचर्या विषय-वस्तु और प्रस्तुतीकरण, पक्षपातपूर्ण शिक्षण सामग्रियाँ और नकारात्मक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और व्यवहार सम्मिलित हैं। इसलिए यह उपयुक्त है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जेंडर समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर श्रेष्ठ प्रयासों और अनुभवों से सीखे गए पाठों से प्रेरित कार्यनीतियों पर भरोसा करना चाहिए।

महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति (2001) के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों को सशक्त करने की प्रतिबद्धता है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। इनमें लड़कियों को उच्चतर शिक्षा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी लेने के लिए प्रेरित करने के उपाय सम्मिलित हैं। इसके साथ ही इसमें यह सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है कि वैज्ञानिक और तकनीकी निवेशों वाली विकास परियोजनाओं में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी हो। उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जागरूकता विकसित करने के प्रयास भी किए जाएँगे। विशेष कौशल, जैसे— संप्रेषण और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विशेष कौशल वाले क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। महिलाओं की आवश्यकताओं के लिए अनुकूल उनके थकाऊ और उबाऊ कामों के लिए उपयुक्त तकनीकों को विकसित करने के प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए की गई प्रमुख पहलों को संक्षेप में नीचे बताया गया है—

- सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने में समान पहुँच।
- महिलाओं की स्वास्थ्य देखरेख, सभी स्तरों पर गुणवत्ता परक शिक्षा, रोज़गार के क्षेत्र और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोज़गार, वेतन, व्यवसायगत सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि तक समान पहुँच।

© NCERT not to be republished

- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिए विधिक प्रणालियों को सशक्त करना।
- पुरुषों और महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता को प्रोत्साहित करके समाज का दृष्टिकोण और सामाजिक प्रथाओं को परिवर्तित करना।
- कारखानों में रात की पाली में काम करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाना।
- विकास की प्रक्रिया में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महिला अनुकूल व्यक्तिगत नीतियाँ बनाना।
- महिलाओं के लिए सहायक सेवाओं का प्रावधान, जैसे— बाल देखरेख सुविधाएँ, जिनमें कार्यस्थलों और शिक्षा संस्थानों में दिन में देखरेख की सुविधाएँ, वृद्धों और विकलांगों के लिए घर आदि सम्मिलित हैं।

इन उपायों को विस्तृत करने और बेहतर बनाने की आवश्यकता है जिससे एक सक्षम परिवेश निर्मित हो सके। इसके साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में उनका निम्नतम योगदान सुनिश्चित हो सके। लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए अनेक उपक्रम किए गए हैं। इनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में जेंडर मुख्यधारा को बढ़ावा देना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्लस्टरों में छात्रवृत्ति, पुरस्कार जैसे प्रोत्साहन देना, छात्राओं के लिए विशेष इन्टर्नशिप प्रदान करना, अध्ययन के संस्थानों में रोज़गार मार्गदर्शन को सशक्त करना मेन्टर बनाने के कार्यक्रमों को स्थापित करना, पाठ्यचर्या पुनर्रचना और शिक्षकों तथा माता-पिता की भूमिका सम्मिलित है। इन उपक्रमों के बावजूद भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा विज्ञान आधारित कार्यकलापों में उनकी भागीदारी को बढ़ाने और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए दीर्घकालिक प्रयासों की आवश्यकता अभी भी है।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जेंडर विषमता सभी स्तरों पर पाई जाती है। यह विषमता महिलाओं के विकास को प्रभावित करती है। यह आंशिक रूप में उनकी जैविक भूमिकाओं और दायित्वों के कारण हैं, लेकिन अधिकतर पारंपरिक दृष्टिकोण के कारण ही है जिसमें महिलाओं को बच्चे पालने और गृहिणी की भूमिका में और पुरुष को आजीविका कमाने वाले के रूप में देखा जाता है। अब यह समझा जाने लगा है कि अनुसंधान और विकास में महिलाओं की रचनात्मक प्रतिभा, अभिव्यक्ति और सक्रिय भागीदारी बाधित करके हम समाज को उसकी बौद्धिक पूंजी से वंचित कर रहे हैं। अतः वैज्ञानिक अनुसंधान को अधिक जेंडर अनुकूल बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

6.5 समस्या का मूल कारण

यद्यपि लड़कियाँ बोर्ड परीक्षाओं में निरंतर लड़कों से आगे रहती हैं, लेकिन उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन, विशेष रूप से विज्ञान के क्षेत्र में बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों के अनुरूप नहीं होता है। 1957 के बाद से भारत में विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में निरंतर वृद्धि हुई है। शिक्षा के सभी चरणों में लड़कियों की भागीदारी भी वर्षों से निरंतर बढ़ रही है। फिर भी, महिलाओं और पुरुषों के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के बीच बहुत अधिक अंतर पाया गया है। आइए, इसे समझाने के लिए हम कुछ समस्याओं और मुद्दों का विश्लेषण करते हैं।

क्षयन (Attrition)

अपेक्षाकृत अधिक लड़कियाँ स्नातक के बाद पढ़ाई जारी रखती हैं, लेकिन पीएच.डी. स्तर पर कुछ संनिघर्षण पाया जाता है। यह दिलचस्प परिणाम भारत को अन्य विकसित देशों से अलग करते हैं (मैसाच्युसैट्स यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी, अमेरिका में हुए सर्वेक्षण में लड़कियों के अधोस्नातक से स्नातक और डॉक्टरेट करने के बाद संकाय पदों तक सतत क्षयन पाया गया है)। इससे यह अनुमान लगाया गया कि भारत में यदि अंतर को विद्यालय स्तर पर ही भर दिया जाए (विद्यालय छोड़ने को रोककर) तो उच्चतर शिक्षा समेत विज्ञान में भी महिलाओं की उपस्थिति बढ़ सकती है।

लड़कों और लड़कियों के नामांकन में जेंडर अंतर क्षेत्रीय रूप से भिन्न होता है। शहरी महिलाओं की अपनी ग्रामीण सहभागियों की तुलना में उच्चतर शिक्षा तक पहुँच की अधिक संभावना होती है। अतः भले ही उनकी क्षमताएँ एक जैसी हों, लेकिन समय से प्रेरणा और देखभाल से स्थिति में बहुत अंतर आ जाता है। यह दिखाने के लिए बहुत से प्रमाण हैं कि माता-पिता या शिक्षकों की मनोवृत्ति शैक्षिक निर्णयों को प्रभावित करती है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आई.एन.एस.ए.) की 2004 की रिपोर्ट में पाया गया कि गोवा, केरल, पंजाब, और पाण्डिचेरी जैसे राज्यों के महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत से

© NCERT not to be republished

अधिक महिलाओं का नामांकन हुआ (2000–2001), लेकिन अरूणाचल प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में 35 प्रतिशत से भी कम महिलाओं के नामांकन हुए। अन्य राज्यों में नामांकन इन दोनों चरम स्थितियों के बीच का है।

सिर्फ़ प्रेरणा और देखभाल ही नहीं, बल्कि सुविधाओं की कमी और घर के आस-पास के क्षेत्र में महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों का नहीं होना भी ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के कम नामांकन का कारण है। अन्य कमियों में महिला छात्रावासों तथा आवागमन की सुविधाओं का अभाव सम्मिलित है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषयों में जेंडर रूढ़िबद्धता

पश्चिमी देशों के प्रचलनों के समान ही अन्य समस्या उन विषयों से संबंधित है जिनमें महिलाएँ नामांकन करवाती हैं। महिलाओं का अधिकतम प्रतिनिधित्व शिक्षा में है। शिक्षा क्षेत्र को काफ़ी हद तक महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह महिलाओं की माता और पत्नी की अन्य ज़िम्मेदारियाँ के अनुकूल है। इसके बाद कला तथा चिकित्सा क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में उनके नामांकन में वृद्धि दिखाई दी है। यद्यपि चिकित्सा महिलाओं का पसंदीदा क्षेत्र है, लेकिन यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में पुरुष पहुँच की वृद्धि दर अधिक और अपेक्षाकृत त्वरित है। चिकित्सा में महिलाएँ रेडियोलोजी, पैथोलोजी (रोग विज्ञान) और एनेस्थीसिओलोजी (निश्चेतन विज्ञान) में न्यूरोसर्जरी (तंत्रिका शल्यक्रिया) की तुलना में अधिक जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्त्रीरोग या बालरोग तथा रोगविज्ञान में महिला चिकित्सकों की भरमार है। कुछ अधिक आकर्षक पुरुष वर्चस्व वाली विशेषज्ञताओं, जैसे— हड्डी रोग, हृदय रोग, मनोचिकित्सा आदि में भी चली जाती हैं।

1980 के दशक के आरंभिक वर्षों तक इंजीनियरिंग में महिलाओं की भागीदारी लगभग नगण्य थी। आई.एन.एस.ए. की रिपोर्ट में 2002 के परिणामों का उदाहरण है कि भारत में भौतिकी में 32 प्रतिशत नामांकन है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान (NISTADS) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में ऐसा प्रतीत होता है कि 61,050 महिलाएँ अनुसंधान और विकास (R&D) संस्थानों में नियुक्त हैं, जो देश में कुल नियुक्त मानवबल का 15.6 प्रतिशत है (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, 2008)। वैश्विक रूप से महिलाएँ अपेक्षाकृत कठिन माने जाने वाले गणित विषय की अपेक्षा प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्रों में अधिक जाती हैं। यह धारणा इतना गहरे तक पैठ बना चुकी है कि एक बार बार्बी डॉल से भी यह कहलवाया गया था कि गणित की कक्षा कठिन थी। यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार जेंडर रूढ़िबद्धताएँ बचपन से ही दृढ़ीकृत की जाती हैं, जब लड़की खेल ही रही होती है। आज वास्तव में गुलाबी पोशाक में लैपटॉप लिए बार्बी मौजूद है और उम्मीद की जाती है कि वह समानता और सशक्तीकरण करने वाली प्रौद्योगिकी का अवचेतन संदेश ले आएगी।

शिक्षा के बाद का परिदृश्य

आज भी महिलाओं के शिक्षित एवं रोजगारपरक होने के बाद भी समाज में एक विरोधाभासी परिस्थिति देखने को मिलती है। वे अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ही रोज़गार का चुनाव करें। इसका अर्थ है कि आर्थिक सशक्तीकरण आवश्यक रूप से जीवन के अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्रता में व्यक्त नहीं होता है। और जब उन्हें रोज़गार मिल जाता है तो भी अधिकांश महिला वैज्ञानिक पुरुष वर्चस्व वाले कार्यस्थल पर संघर्ष करती हैं, जो उन्हें अकसर हाशिए पर ला देता है।

अग्रगामियों के संघर्ष

विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक अग्रगामी महिलाओं ने अपनी सफलता की यात्रा में जेंडर भेदभाव का सामना किया था। मैरी क्यूरी को क्राकोव यूनिवर्सिटी (Kraków University) में महज इसलिए स्थान नहीं मिला था, क्योंकि वह एक महिला थीं। 1911 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ़ साइंसेज ने महिलाओं के प्रति अपने पूर्वाग्रह को त्यागने से इंकार कर दिया था और मैरी क्यूरी का दो मत से प्रवेश नकारा गया था। मैरी क्यूरी की एक शोध छात्रा मार्गेराइट पियरे लगभग आधी सहस्त्राब्दी के बाद एकेडमी की पहली निर्वाचित महिला सदस्य बनी थीं।

कमला सोहोनी (1912–1998) विज्ञान विषय में पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने खाद्य वस्तुओं के तीन प्रमुख समूहों का विस्तृत जैवरासायनिक अध्ययन किया था। इन्हें ग्रामीण निर्धनों द्वारा खाया जाता है और उनके पोषक मूल्य को प्रमाणित किया था। 1933 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद कमला सोहोनी में स्नातकोत्तर शिक्षा का आवेदन भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC) ने रद्द कर दिया, जबकि उन्होंने उस वर्ष विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। इसका कारण यह था कि सोहोनी एक महिला थीं।

© NCERT not to be republished

काफ़ी हिचकिचाहट के बाद उन्हें प्रवेश मिला था। कमला ने अपनी लगन से जैवरसायन (Biochemistry) में नियमित अनुसंधान कार्य किया। यह उनके लिए ऐतिहासिक जीत थी। उनके संघर्षों ने अन्य भावी महिला वैज्ञानिकों के लिए जीवन काफ़ी आसान बना दिया।

अन्ना मणि (1918–2001), एक प्रसिद्ध भारतीय मौसम विज्ञानी थीं। वह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की पूर्व उपमहानिदेशक थीं। इन्होंने ने मौसम विज्ञानी यंत्रविज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और विकिरण, ओज़ोन तथा पवन ऊर्जा मापनों के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान कार्य किया। अन्ना मणि की सफल कहानी से कुछ महिलाएँ अथवा पुरुष भी प्रेरणा ले सकते हैं। वह अपने लिए उपलब्ध निर्धारित सांस्कृतिक और भौतिक स्थानों से आगे बढ़ी जबकि मद्रास विश्वविद्यालय ने उन्हें औपचारिक पीएच.डी. डिग्री देने से इनकार कर दिया था।

ही प्राथमिक लक्ष्य माना जाता है। यद्यपि महिलाओं का रोज़गार निरंतर समाज में स्वीकार्य होता जा रहा है, लेकिन फिर भी उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे घरेलू, दायित्वों विशेष रूप से बच्चों के देखभाल का दायित्व संभालें। यह महिलाओं के रोज़गार को उनकी नौकरी या व्यवसाय की प्रकृति के और उनके करियर के किस चरण में दुविधा की स्थिति आई है, इसके आधार पर भिन्न-भिन्न तरीके से प्रभावित करता है।

सब नहीं लेकिन कुछ महिला वैज्ञानिक बच्चों के पालन-पोषण के लिए अपने पेशे से अवकाश ले लेती हैं। जो ऐसे अवकाश लेती हैं उन्हें आयु संबंधित, पुनर्प्रवेश की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसलिए वे पुनः वापसी का प्रयास करती हैं। विरोधाभासी रूप से पुनः एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक धारणा होती है कि कंधे पर अतिरिक्त बोझ डाल

अभ्यास कार्य

1. विद्यार्थियों के साथ अपने क्षेत्र अथवा राज्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र अथवा राज्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सफल किन्हीं दो महिलाओं की कहानी पर चर्चा कीजिए। उनसे कहिए कि वो भी ऐसी सफल महिलाओं की कहानी सुनाएँ, जिनके बारे में उन्हें पता हो।
2. विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं द्वारा किस प्रकार के भेदभाव अनुभव किए जाते हैं।

सामाजिक बाधाएँ

महिलाओं की शिक्षा जारी रहने में विशेष रूप से विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनेक सामाजिक और संस्थागत बाधाएँ भी होती हैं। भारत में जेंडर भेदभाव वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है। सभी नौकरियों में महिलाएँ नौकरी के प्रबंधन और घरेलू दायित्वों की दोहरी भूमिका को निभाती दिखाई देती हैं, जिसे सामान्यतः ‘दोहरा बोझ’ कहा जाता है। विज्ञान में दोहरे बोझ के साथ विभिन्न अन्य समस्याएँ भी जुड़ जाती हैं, जो वैज्ञानिक कार्य की विशिष्ट समस्याएँ होती हैं। वास्तव में भारत का प्रचलित सामाजिक-सांस्कृतिक तंत्र महिलाओं के लिए अकादमिक और वैज्ञानिक रोज़गारों में तिहरा बोझ बन जाता है।

सामाजिक भूमिका और प्रचलित मनोवृति

एक महिला को आज भी प्राथमिक रूप से एक गृहिणी के रूप में देखा जाता है। महिलाओं के लिए रोज़गार नहीं, बल्कि विवाह को

दिया जाता है। माता-पिता के दायित्व कम-से-कम भारत में बच्चे के बड़े हो जाने पर भी समाप्त नहीं हो जाते हैं। बड़े बच्चे, विशेषरूप से लड़कियों को बहुत छोटे बच्चों की भाँति ही एक गंभीर ज़िम्मेदारी माना जाता है। अतः नौकरीपेशा महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली दोहरी ज़िम्मेदारी बहुत अधिक है। कुछ समस्याएँ गंभीर होती हैं। कुछ दूसरी नौकरियों के विभिन्न चरणों में अति गंभीर बन जाती हैं। विज्ञान अधिक और अनिश्चितकालीन कार्य घंटों की माँग करता है और यह अकसर महिलाओं को इसे पेशे के रूप में अपनाने से हतोत्साहित करता है। अनुसंधान के लिए समर्पण और अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो महिलाओं को कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि उन पर अन्य दायित्वों का भी बोझ होता है।

ऐसी महिला वैज्ञानिक, जिनके बच्चे भी होते हैं, अकसर लंबी अवधि तक फील्डवर्क करने की इच्छुक नहीं होती हैं। उन्हें फ़ील्ड स्थितियों में रहना कठिन प्रतीत हो सकता है, विशेषरूप से यदि उन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएँ न हो। उनके लिए दौरे पर

© NCERT not to be republished

जाना कठिन हो सकता है और वे सिर्फ़ सीमित अवधि के दौरों पर ही जा पाती हैं। अकसर वे विशेष प्रशिक्षणों के लिए सम्मेलनों अथवा कार्यशालाओं में सम्मिलित होने में असमर्थ होती हैं। अनेक महिलाएँ स्वयं भी यात्रा करने में सहज नहीं होती हैं और इसलिए वे वरिष्ठ प्रशासनिक या प्रबंधन पदों पर नहीं पहुँच पाती हैं, जो यात्रा की माँग करते हैं। एक भारतीय सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि एक पुरुष वैज्ञानिक अपने समकक्ष महिला की तुलना में चार गुना अधिक यात्रा करता है।

अधिकांश महिलाएँ अपने पुरुष सहकर्मियों के साथ आसानी से मेलजोल नहीं कर पाती हैं ऐसा कुछ हद तक जेंडर समाजीकरण और जेंडर प्रतिबंधों के कारण होता है। महिला वैज्ञानिकों की पुरुष सहकर्मियों के साथ व्यक्तिगत बातचीत तथाकथित नैतिकता के पितृसत्तात्मक सांस्कृतिक अवरोधों के कारण अत्यधिक सीमित होती है। इसलिए महिला वैज्ञानिक परस्पर मिलकर पदों के लिए व्यक्तिगत मित्रता अथवा नेटवर्क या जॉकी स्थापित करने में असमर्थ होती हैं। इस कारण अकसर उनकी अनदेखी कर दी जाती है। संभवतः ई-नेटवर्किंग का विकास कुछ हद तक इसकी भरपाई कर सकता है। पुनः वरिष्ठ महिला वैज्ञानिक ये मानती हैं कि उन्होंने स्वयं अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं इसी कारण अपने पेशे में अग्रणी रहने की इच्छुक नहीं है। इसके विपरीत युवा वैज्ञानिक दिलचस्प रूप से अधिक महत्वाकांक्षी हैं और उनकी निश्चित पेशेगत योजनाएँ हैं।

संस्थागत अवरोध

संस्थागत अवरोधों में वित्तीय सहायता की कमी, पुरुष अनुकूल पाठ्यचर्या और संस्थान में आवासों की कमी सम्मिलित हैं। जेंडर असंवेदनशीलता महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को और बढ़ा देती है। भारत में वैज्ञानिक संस्थान अनिवार्य रूप से पुरुष लोकाचारों का वहन करते हैं और जेंडर के संदर्भ में ऊर्ध्व और पदानुक्रमी विभेदन दर्शाते हैं। महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कनिष्ठ पदों तक सीमित रहती है।

महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रति असमान व्यवहार और भेदभाव भी व्यवहारगत तथा परस्पर व्यक्तिगत संबंधों में पाया जाता है। नेचर (2010) ने उन प्रचलित अशिष्टताओं को रिपोर्ट किया था, जो सूक्ष्म लैंगिकतावाद को प्रदर्शित करती हैं। वैज्ञानिक बैठकों में महिला वैज्ञानिकों को बोलने के लिए माइक्रोफ़ोन नहीं दिया जाता है और जब वे बोलती हैं तो उन्हें वाचाल (मुखर) पुरुष सहकर्मियों की अपेक्षा जल्दी चुप करवा दिया जाता है।

साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की प्रशासन और प्रबंधन की तुलना में विशुद्ध अनुसंधान में संलग्न रहने की प्रवृति होती है। इसका अर्थ वास्तव में यह है कि महिलाओं की संस्थान के निर्णय लेने की प्रक्रिया में कम भागीदारी होती है। अनेक मामलों में 'विशुद्ध अनुसंधान' ज़्यादातर अधिक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक होने की अपेक्षा सिर्फ़ संकलन, संग्रहण और पुनरीक्षण होता है। यद्यपि इसका अर्थ पुस्तकें अथवा शोध पत्र लिखने में अधिक अंतर से नहीं है, लेकिन इससे पुरुषों और महिलाओं द्वारा दर्ज किए जाने वाले पेटेन्ट और खोज की संख्या में काफ़ी अंतर आ जाता है।

महिला वैज्ञानिकों के लिए रोज़गार के अवसर

सदियों से वैज्ञानिकों के करियर को आकार देने में जेंडर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिकांश अनुसंधान और विकास संस्थानों से प्राप्त आँकड़े दर्शाते हैं कि पुरुष या महिला कर्मचारी चयन प्रक्रिया में जेंडर विषमता चली आ रही थी और महिलाओं को नियुक्तियों में हाशिए पर रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आई.एन.एस.ए.) की 2004 की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) और उसके बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) महिलाओं के सबसे अच्छे नियोक्ता हैं। डी.बी.टी. में लगभग 32 प्रतिशत और आई.सी.एम.आर में 27 प्रतिशत महिला वैज्ञानिक हैं।

अधिकांश मामलों में संस्थानों ने अपनी सलाहकार समितियों में 15 प्रतिशत से कम महिलाओं को सम्मिलित किया है। इन्टर प्रेस सर्विस न्यूज़ एजेंन्सी रिपोर्ट बताती है कि भले ही अनेक महिलाएँ अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में शीर्ष पदों पर पहुँच गई हैं, लेकिन महिला वैज्ञानिकों का समग्र प्रतिशत अभी भी काफ़ी कम है। आँकड़े दर्शाते हैं कि यह 0–21 प्रतिशत के बीच है।

अनुत्तरित महत्वपूर्ण मुद्दे

पश्चिमी देशों में विज्ञान में जेंडर संबंधित प्रश्न व्यापक रूप से उठाए जाते रहे हैं। इनमें विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी को लेकर स्वयं विज्ञान की जेंडर प्रकृति के दार्शनिक विश्लेषण तक

© NCERT not to be republished

पर चर्चाओं तक विस्तारित हैं। भारत में, विज्ञान से संबंधित महिलाओं के स्थान (ओहदे) पर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। भारत में जेंडर और विज्ञान पर अभी भी सिर्फ़ कुछ रिपोर्ट और अध्ययन उपलब्ध हैं। विशेषरूप से महिला वैज्ञानिकों पर अनुभवजन्य अनुसंधान कम हैं और विशेषतौर पर उनकी अनुसंधान उत्पादकता पर काम नहीं हुआ है। विकासशील देशों में विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी के बारे में प्राप्त थोड़ी-बहुत जानकारी उनकी शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच पर अधिक केंद्रित है। वैज्ञानिक उत्पादन में महिला अनुसंधानकर्ताओं के योगदान के विषय में बहुत कम ज्ञात है।

अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जेंडर भारत में वैज्ञानिक पेशों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संभवतः भारतीय विज्ञान की संरचना और प्रक्रियाओं में प्रमुख मनोवृत्तीय और संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में, यद्यपि भारत सरकार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) महिलाओं की शिक्षा के महत्व पर अत्यधिक ध्यान दे रही है। महिलाओं को उच्चस्तर के कौशल प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ और पुरस्कार स्थापित किए गए हैं।

नेचर (2010) की एक रिपोर्ट में इस पर प्रकाश डाला गया है कि जिन देशों में वैज्ञानिकों के वेतन तेज़ी से बढ़ रहे है (उदाहरण के लिए, ब्राजील, चीन और भारत) वहाँ रोज़गार संतुष्टि भी बढ़ रही है। ऐसे राष्ट्र प्रतिभा पलायन को भी रोक रहे हैं और वैज्ञानिक पत्रिकाओं में इनके प्रकाशन भी बढ़ रहे हैं। अधिक महत्वपूर्ण रूप से इन देशों ने पिछले दो दशकों में अत्यधिक आर्थिक प्रगति की है और विज्ञान, वेतन और संधारणीय विकास में परस्पर संबंध को प्रदर्शित कर रहे हैं। जेंडर के संकलित आँकड़े पुष्टि करते हैं कि महिला अनुसंधानकर्ता अपने पुरुष सहकर्मियों की अपेक्षा काफ़ी कम कमाती हैं। ये अंतर विशेषरूप से प्रमुख औद्योगिक देशों, जैसे— जापान और जर्मनी के लिए गंभीर चेतावनी है। यह देखना अभी बाकी है कि क्या चीन और भारत में अनुसंधानकर्ताओं के लिए बढ़ते वेतन स्तरों से यही जेंडर अंतर पैदा होगा अथवा नहीं। उम्मीद की जाती है कि आगे की 'एशियाई सहस्राब्दी' में अधिक संतुलित स्थितियाँ सामने आएँगी।

6.6 कार्यप्रणाली

सक्रिय और परस्पर बातचीत की विधियां भागीदारी से सीखने में शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों में गहरी समझ प्राप्त करने और उन्हें आत्मसात करने में सक्षम बनाएँगे, जिससे उनके दृष्टिकोण, मनोवृत्ति और व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन आएगा। यह महत्वपूर्ण है कि कम उम्र में ही जब उनके मानस में रूढ़िबद्ध दृष्टिकोण और व्यवहार के प्रतिमान निश्चित नहीं हुए हों तभी उन्हें सम्मिलित किया जाए, तब ये रूपांतरित युवा भारतीय फिर उभरते नए भारत के नागरिक और निर्माता बन जाएँगे।

मूलभूत शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करती है। शिक्षा हमारे जीवन और जीविका के अवसरों के लिए अनेक द्वार खोलती है जिससे नौकरियों के लिए कौशल प्राप्त करने और जीवन के अपेक्षाकृत व्यापक आयामों को पाने और भागीदारी करने के लिए सशक्त बन सकें। साक्षरता से परे, शिक्षा की गुणवत्ता ही है, जो महिलाओं को जीवन के अनेक मामलों में भागीदारी करने और जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जेंडर अनुकूल शिक्षण को निम्न के लिए प्रयास करना चाहिए—

- शिक्षण के उन तत्वों की पहचान करके उनकी प्राथमिकता तय करना जिन्हें संबोधित किया जाए।
- विद्यमान जेंडर भेदभाव की पहचान करना।
- भेदभावों को दूर करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना।

6.7 शिक्षक प्रशिक्षक का विज्ञान और प्रोद्योगिकी में जेंडर समानता के प्रोत्साहन में योगदान

जेंडर भेदभाव बचपन में ही बच्चे के विद्यालय में प्रवेश से पहले ही आरंभ हो जाते हैं। शिक्षक प्रशिक्षक शिक्षकों के जीवन और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि उन पर उनके क्षमता विकास और उनके करियर को आकार देने की ज़िम्मेदारी होती है। शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षक दोनों विद्यालय स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जेंडर भेदभाव को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे अपेक्षाकृत बिना भेदभाव वाले समाज के निर्माण में सहायता मिलेगी। शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा विज्ञान शिक्षण को दिलचस्प बनाने, युवा मानसों को आकर्षित करने

© NCERT not to be republished

और उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करने के लिए निम्नलिखित चरणों को अपनाना चाहिए जिससे उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को करियर के रूप में अपनाने में सहायता मिलेगी।

उदाहरण और चित्र

पुरुष वैज्ञानिकों की अपेक्षा महिला वैज्ञानिकों के उदाहरणों का उपयोग करें। जब शब्द वैज्ञानिक का उच्चारण किया जाता है, तो पुरुष वैज्ञानिक, जैसे— न्यूटन अथवा आइन्स्टीन का चित्र हमारे मानस में आता है न कि महिला वैज्ञानिकों जैसे मैरी क्यूरी का। महिला वैज्ञानिकों के उदाहरण युवा लड़कियों के मानस को प्रेरित कर सकते हैं। हमारी प्रयोगशालाओं में पुरुष वैज्ञानिकों के चित्र अधिक प्रभावी होते हैं। महिला वैज्ञानिकों के चित्र, विशेष रूप से भारतीय महिला वैज्ञानिकों, जैसे— कल्पना चावला के चित्रों को अवचेतन और सांकेतिक रूप से प्रभावित करने के लिए लगाया जा सकता है।

चित्र और रंगीन आरेख

चित्रों और रंगीन आरेखों का वैज्ञानिक परिघटनाओं और परीक्षणों को समझने के लिए उपयोग और कुछ जीवन कौशल क्रियाकलापों आदि को सम्मिलित करने से युवा मन को आकर्षित किया जा सकता है। विज्ञान किस प्रकार उनके दैनिक कार्यकलापों से संबंधित है, इसकी जानकारी देने से उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण या प्रकृति विकसित होती है।

विज्ञान संबंधी क्रियाकलाप

कुछ वैज्ञानिक क्रियाकलापों को विद्यार्थियों की विज्ञान में रुचि विकसित करने के लिए सम्मिलित किया जा सकता है। वैज्ञानिक क्रियाकलापों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं—

- सामान्य अणुओं के कागज़ अथवा पोलीस्टीरीन के मॉडल बनाना।
- प्रायोगशाला की मछली की टंकी की देखभाल करना।
- भौगोलिक कालक्रम के प्रमुख कालों को दर्शाते हुए एक लंबा पोस्टर बनाना।
- एक नियत प्रतिरोधक के लिए ओम के नियम को प्रदर्शित करना।
- एक पेरीस्कोप बनाना।
- समूहों में इस पर चर्चा करना कि एचआईवी (HIV) और एड्स (AIDS) के प्रभाव में कैसे कमी की जाए।
- भारी वजन उठाने के लिए एक पुली सिस्टम को बनाकर उसका उपयोग करना।
- सूक्ष्मदर्शी (माइक्रोस्कोप) में कोशिका कैसी दिखाई देती है उसका चित्र बनाना।
- इस पर चर्चा करना कि भूमंडलीय तापन (Global Warming) दक्षिण अफ्रीका की जलवायु को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है।
- बालू और नमक के मिश्रण में से नमक को अलग करना।
- एक बड़ा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बनाना।

विज्ञान विषयों का संदर्भ निर्धारण

विज्ञान के संदर्भ निर्धारण का अर्थ है 'विज्ञान को उसके उपयोगों को बताते हुए पढ़ाना'। कुछ संदर्भगत सुझाव निम्न हैं—

- सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र क्यों सुविधाजनक लगते हैं, इस संदर्भ का प्रयोग ताप के संवहन की संकल्पना को विभिन्न वस्त्रों के तापरोधी गुणों के उदाहरण देकर बताया जा सकता है।
- जल के संदर्भ का प्रयोग उसकी प्रावस्था के अनुसार विभिन्न संकल्पनाओं को समझाने के लिए करें। इनमें विलेयता, ऊर्जा, अवस्था परिवर्तन, प्रदूषण, घनत्व, दाब आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।
- प्रावस्था परिवर्तन कण सिद्धांत और गुप्त ऊष्मा के अध्ययन के लिए रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के संदर्भ का उपयोग करें।
- फ़सल उगाने के संदर्भ का उपयोग विभिन्न जैविक संकल्पनाओं, जैसे— प्रकाश संश्लेषण, पादप वृद्धि, मृदा संरचना और प्रकार, सजीव तंत्रों में ऊर्जा के प्रवाह, खाद्य शृंखलाओं, पर्यावरण संरक्षण आदि को समझने के लिए आरंभिक बिंदु के रूप में करें।

महिला वैज्ञानिकों की जीवनियाँ

विद्यार्थियों से महिला वैज्ञानिकों की जीवनियाँ पढ़ने, विद्यार्थी से वैज्ञानिक बनने की उनकी यात्रा और इस राह में उनके समक्ष आई बाधाओं और इस पद को प्राप्त करने के लिए उन्होंने किस प्रकार बाधाओं को पार किया, ऐसी परियोजनाओं पर कार्य करने को कहना चाहिए। इस प्रकार के कार्य निर्धारण उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।

- विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में विषय-वस्तु तथा चित्रात्मक प्रदर्शन में जेंडर भेदभाव दिखाई देता है जिसे कक्षा में

© NCERT not to be republished

संबोधित किया जाना चाहिए। एक छात्र की बजाए छात्रा को परीक्षण करते हुए दिखाएँ।

- लड़कियों में उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नेतृत्व के गुणों को विकसित करना चाहिए। उनसे विज्ञान के विषयों पर बात करने को कहिए। उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपने जीवन के वैज्ञानिक अनुभवों अथवा नवाचारी विचारों को साझा करें।
- विज्ञान प्रदर्शनियाँ वार्षिक रूप से लगाई जानी चाहिए। लड़कियों को उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों को नवाचारी विचार प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए। उनके विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- माता-पिता और बच्चों दोनों के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने चाहिए जिससे उन्हें विज्ञान के महत्व को समझने में सहायता मिलेगी। माता-पिता को अपनी लड़कियों को आगे अध्ययन में विज्ञान वर्ग लेने की अनुमति देने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षक का जाना विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। विद्यालय शिक्षकों को महाविद्यालय के शिक्षकों के साथ समन्वय में कार्य जिनका फिर विश्वविद्यालयों और अनुसंधान जिनका फिर विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के साथ समन्वयन होना चाहिए। इससे उन्हें अपने देश और विदेश में अनुसंधान और विकास के वर्तमान स्तर और प्रवृत्तियों को जानने में सहायता मिलेगी।
- अनुसंधान परिणामों का प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को ऐसे प्रकाशनों की जानकारी दी जानी चाहिए और उन्हें इनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे वे जान जाएँगे कि अनुसंधान के किसी क्षेत्र विशेष में क्या किया जा चुका है, उसकी सीमाएँ क्या है और क्या किया जाना चाहिए।
- महिला वैज्ञानिकों की पहचान की जानी चाहिए और उनका रोल मॉडल की तरह प्रचार करना चाहिए। उन्हें विद्यालयों में कार्यक्रमों में अतिथि वक्ताओं के रूप में निमंत्रित किया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि विज्ञान किस प्रकार जीविका अर्जन में सहायता करता है।
- महिलाओं और विकास के संदर्भ में उपयुक्त प्रोद्यौगिकी का चयन और उनकी भूमिका स्थानीय क्षमता विकास के लिए अनिवार्य बन गई है जिससे चिह्नित समस्याओं को सुलझाने के लिए समाधान निकालकर जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। उनके कौशल को बेहतर बनाने, प्रबंधकीय क्षमताएँ प्रदान करने और प्रयासों या उत्पादों के पीछे के सिद्धांतों को समझाने को महत्व दिया जाना चाहिए। इससे महिलाएँ नई उभरती प्रौद्योगिकीयों को अधिक आसानी से समझेंगी जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ें और उनके दैनिक कार्यों की मेहनत मशक्कत में कमी आए। चूँकि ग्रामीण महिलाओं में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की विशेष समझ होती है वे ग्रामीण भारत के पुनर्पोषण और उसे पुनः हरा-भरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- महिलाओं के कार्य को आसान बनाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग की तत्काल आवश्यकता है। उन्हें समान भागीदारों की तरह सम्मिलित करना चाहिए, उनके

क्रियाकलाप 1

दो महिलाओं का साक्षात्कार करना

(i) विद्यार्थियों को दो महिलाओं का साक्षात्कार करने का कार्य दीजिए—
- एक महिला जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाना चाहती थी और ऐसा करने में सफल रही।
- एक महिला जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई।

(ii) एक खुली चर्चा का संचालन कीजिए और उसमें विद्यार्थियों से साक्षात्कार पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहिए।

(iii) प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिक्रिया को देखिए। इसके संभावित कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार पहली महिला विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने में सफल रही, जबकि दूसरी ऐसा नहीं कर पाई थी।

© NCERT not to be republished

ज्ञान, अनुभव और कौशल को मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि तभी वे संधारणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रणाली आधारित अभिगम को पूर्ण नेटवर्किंग के साथ अपनाना चाहिए जिसमें ग्रामीण महिलाओं को उद्यानिक उपजों के प्रसंस्करण और परिरक्षण में सह या प्रौद्योगिकीविदों के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर मूल्य वर्धन और आय सृजन के तरीकों का पता लगाया जाना चाहिए।

- विद्यार्थियों को विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों तथा योजनाओं के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए।
- प्रत्येक शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान को मित्रवत पारिवारिक परिवेश प्रदान करना चाहिए, जिससे लड़कियों के लिए अच्छी गुणवत्ता का प्रदर्शन करना सुगम होगा।

एक कारण उस स्वैच्छिक सामाजिक समर्थन की कमी हो सकता है, जिसकी महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने के लिए आवश्यकता है, जो अकसर काफ़ी समय की माँग करता है।

इस अभ्यास से आपको जेंडर पृथक्कृत श्रम के विभाजन और संगठनों के पदानुक्रम में जेंडर भेदभाव के साथ-साथ उस प्रकार के कार्यकलापों के बारे में जानने में सहायता मिलेगी

क्रियाकलाप 2

संगठनों में मानव संसाधन

(i) अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से पूछिए कि क्या उन्हें विज्ञान या प्रौद्योगिकी आधारित किसी संगठन अथवा कंपनी अथवा प्रयोगशाला का पता है (यह विद्यालय, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय का विज्ञान विभाग, अथवा विज्ञान परिषद् हो सकती है)। उनसे उस संगठन अथवा विभाग विशेष के मानव संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहिए।

(ii) फिर उनसे निम्नलिखित प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहिए— इस संगठन में कार्मिकों की कौन-सी श्रेणियाँ है? प्रत्येक श्रेणी में किस जेंडर का प्रभुत्व है?

(iii) शिक्षकों को प्रत्येक प्रतिक्रिया को पढ़ना चाहिए और फिर प्रतिक्रिया में उल्लेख किए गए कुछ अथवा सभी संगठनों पर दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए एक मुक्त परिचर्चा का आयोजित कीजिए।

(iv) परिचर्चा के द्वारा, शिक्षक को इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए—
ट्रांसजेंडर समुदाय, महिलाएँ और पुरुष प्राथमिक रूप से कहाँ स्थित हैं? कार्य की विभिन्न श्रेणियों और स्तरों के बीच क्या अंतर हैं और कौन-से कार्य महिलाएँ व्यापक रूप से करती हैं और कौन-से कार्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किए जाते हैं? कौन से कार्य ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा किए जाते हैं? क्या विभिन्न प्रकार के संगठनों के बीच समानताएँ हैं?

क्रियाकलाप 3

विज्ञान के विषयों के संदर्भ निर्धारण के लिए व्यावहारिक अभिगम—

(i) पाठ्यक्रम से एक विषय का चयन कीजिए।

(ii) एक संकल्पना मानचित्र विकसित कीजिए जिसमें मुख्य दिलचस्प संदर्भ के इर्दगिर्द अर्थात् विद्यार्थी के दैनिक अनुभव के भाग के रूप में यह दिखाया जाए कि विषय को कैसे पढ़ाया जा सकता है।

(iii) कार्य की रूपरेखा योजना में एक संकल्पना प्रतिचित्र बनाइए जिसमें अधिक विस्तार से यह बताया गया हो कि आप मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांतों को पढ़ाने में संदर्भ का उपयोग किस प्रकार करेंगे।

(iv) चयनित विचारों का प्रदर्शन पूरी कक्षा के समक्ष कीजिए और इस पर परिचर्चा करिए।

(v) यह संकल्पना प्रतिचित्र मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए भी कार्य की एक रूपरेखा विकसित करने में सहायक होगा।

© NCERT not to be republished

क्रियाकलाप 4

प्रसिद्ध वैज्ञानिक

(i) कक्षा में विद्यार्थियों से कहिए कि उन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नामों की सूची बनाएँ जिन्हें वे जानते हैं।

(ii) उनके द्वारा नाम बताए जाने के बाद एक संयुक्त सूची बनाइए। सभी प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की पहचान कीजिए। इनमें से कितनी महिलाएँ हैं?

(iii) यदि इनमें से एक भी महिला नहीं है, तो उनसे पूछिए कि क्या वे किसी प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिक के विषय में जानते हैं? देखिए कि फिर कितनी महिलाओं के नाम आते हैं?

(iv) विद्यार्थियों के साथ इन सूचियो पर चर्चा कीजिए और यह स्थिति क्यों है इसका कारण पता करने का प्रयास कीजिए।

क्रियाकलाप 5

महिलाएँ और विज्ञान

(i) कक्षा में, विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछिए— विज्ञान क्या है? क्या घरेलू विज्ञान एक विज्ञान है? क्या जिस प्रकार के घरेलू कार्य महिलाएँ पारंपरिक रूप से करती आई हैं, वह विज्ञान है? समूह से इस पर चर्चा करने के लिए कहिए।

(ii) विद्यार्थियों से इन दोनों मुद्दों पर पड़ताल करने के लिए कहिए कि किसे विज्ञान माना जाता है और क्या कारण हैं कि महिला वैज्ञानिक दिखाई नहीं देती हैं।

(iii) कक्षा के निष्कर्षों को एक फ़्लिप चार्ट पर सारांश में अंकित कीजिए।

जिनमें ट्रांसजेंडर समुदाय, पुरुष और महिलाएँ सम्मिलित हैं।

विषय का संदर्भ निर्धारण उसे बहुत दिलचस्प और आसानी से समझने योग्य बना देता है।

संभव है कि बहुत कम महिलाओं का उल्लेख किया जाए, क्योंकि जिन महिला वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक ज्ञान में काफ़ी योगदान दिया है, उनके बारे में भी जानकारी नहीं है।

6.8 शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सिफ़ारिशें

(i) शिक्षकों को स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को यह सिखाना चाहिए कि शैक्षिक क्षमताएँ विस्तारणीय और अधिक बेहतर हो सकती हैं जिससे लड़कियों को अपनी क्षमताओं पर भरोसा हो सके। जो विद्यार्थी अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को जन्म से नियत और अपरिवर्तनीय के रूप में देखते हैं, उनके कठिनाई अथवा गतिरोध का सामना करने पर आत्मविश्वास और प्रदर्शन में कमी अनुभव करने की अधिक संभावना होती है। जिन विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान में अपनी क्षमताओं के विषय में अधिक भरोसा होता है उनके हाई स्कूल में गणित और विज्ञान पाठ्यक्रमों का चयन करने की अधिक संभावना होती है। इसके साथ ही उनके आगे गणित और विज्ञान से संबंधित महाविद्यालय से डिग्री लेने और उसे करियर के रूप में अपनाने की अधिक संभावना होती है।

(ii) शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के संदर्भ में निर्देशात्मक और सूचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करनी चाहिए। निर्देशात्मक, सूचनात्मक प्रतिक्रिया सीखने की कार्यनीतियाँ प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित होती हैं। (उदाहरण के लिए, बच्चों द्वारा किन्हीं विशेष कार्यनीतियों को उपयोग में लाना अथवा समस्या सुलझाने में विशिष्ट त्रुटियों को करना) ऐसी प्रतिक्रिया विद्यार्थियों की अपनी क्षमताओं पर भरोसे को बढ़ाती है और विशिष्ट रूप से दृढ़ता को बेहतर करती है तथा कार्य में प्रदर्शन को बेहतर बनाती है।

(iii) शिक्षकों को लड़कियों को उन महिला प्रेरणास्रोत के बारे में बताना चाहिए जिन्होंने विज्ञान और गणित में उपलब्धि प्राप्त की हैं जिससे महिलाओं की गणित और विज्ञान में उनकी क्षमताओं के संबंध में सकारात्मक धारणा को बढ़ावा मिले। प्रारंभिक विद्यालय में भी, लड़कियाँ

© NCERT not to be republished

इन रूढ़ियों को जानती हैं कि पुरुष गणित और विज्ञान में महिलाओं से बेहतर होते हैं। लड़कियों को महिला प्रेरणास्रोत (जैसे— जीवनियों, अतिथि वक्ताओं अथवा पहले पढ़ चुकी महिला विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण से) के साथ ही पुरुष प्रेरणा स्रोत के विषय में बताना चाहिए जिससे इन रूढ़िबद्धताओं को अमान्य किया जा सके।

(iv) शिक्षक लड़कियों के गणित और विज्ञान में दीर्घकालिक रुचि को गणित और विज्ञान के क्रियाकलापों का चयन करके और गणित तथा विज्ञान क्रियाकलापों को इस प्रकार करियर से जोड़कर, जो विद्यमान जेंडर रूढ़िबद्धताओं को दृढ़ न करे और ऐसे क्रियाकलापों का चयन करके प्रोत्साहित कर सकते हैं, जो गणित और विज्ञान की विषय-वस्तु के बारे में आरंभिक उत्सुकता को जगाए। शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों की संसाधनों तक पहुँच प्रदान कर सकते हैं, जो कक्षा समाप्त हो जाने पर भी विषय में रुचि व्यक्त करते रहते हैं।

(v) शिक्षकों को विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने चाहिए, जिससे वे स्थानिक कौशल प्रशिक्षण में भागीदारी कर सकें। स्थानिक कौशल प्रशिक्षण गणित और विज्ञान में प्रदर्शन से संबंधित है।

यह क्रियाकलाप शिक्षक-प्रशिक्षक को यह जानने में सहायता करेगा कि क्या लड़कियाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित हुई हैं? यदि ऐसा नहीं है तो शिक्षक प्रशिक्षक लड़कियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए अपने द्वारा अपनाए गए उपायों को साझा कर सकते हैं और उनके क्रियान्वयन को अपनाने का प्रयास करना चाहिए यदि वे वहाँ के विद्यार्थियों के बीच नए और सफल पाए गए हों।

कार्य निर्धारण 1

अपने राज्य में राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा विद्यार्थियों विशेष रूप से छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का पता लगाइए। इनके संबंध में अपने विद्यार्थियों को बताइए।

आत्म चिंतन

प्रगति की जाँच के लिए कक्षा में मूल्यांकन किया जा सकता है।

(i) अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से कहिए कि वह निम्नलिखित प्रश्नों पर अपनी प्रतिक्रिया दें—
- कक्षा में विज्ञान शिक्षण के विषय में वे क्या महसूस करते हैं? उन्हें यह रुचिकर लगता है अथवा नहीं?
- क्या वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को करियर के रूप में चयन करेंगे?

(ii) उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षक अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या वे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और उनके मानस को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को करियर के रूप में अपनाने के लिए तैयार करने में सफल रहे हैं?

क्रियाकलाप 6

शिक्षक-प्रशिक्षक किसी भी नजदीकी विद्यालय में जाकर निम्न बातों का पता लगा सकते हैं—

(i) क्या शिक्षक लड़कियों को विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? कौन-से विशिष्ट अभिगमों का उपयोग किया गया हैं? विशिष्ट उदाहरण दीजिए।

(ii) शिक्षक लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किन क्रियाकलापों का आयोजन करते हैं?

(iii) लड़कियाँ और लड़के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों और उनके प्रायोगिक कार्य में बराबरी से भागीदारी करें, यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक किस तकनीकों का प्रयोग करते हैं?

(iv) इन विषयों में विद्यार्थियों के भय, संकोच तथा आत्मविश्वास की कमी को दूर करने में सहायता के लिए शिक्षक किन तकनीकों का प्रयोग करते हैं?

© NCERT not to be republished

कार्य निर्धारण 2

किसी विज्ञान केंद्र अथवा विज्ञान संग्रहालय अथवा सी.एस.आई.आर. या राज्य परिषद् की प्रयोगशाला के एक दिन के भ्रमण का आयोजन कीजिए। विद्यार्थियों से कहिए कि वे एक रिपोर्ट दें कि उन्होंने भ्रमण से क्या सीखा?

6.9 संदर्भ

- अग्रवाल, पी. 2006. हायर एजूकेशन इन इंडिया— द नीड फॉर चेंज. इंडियन कांउसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशन, नयी दिल्ली. URL: www.icrier.org/publication/working_ papers_180.html.
- झा, 2009. हायर एजूकेशन इन इंडिया रीस्ट्रक्चरिंग फ़ॉर इनक्रीज़्ड इनोवेशन. विश्व बैंक के लिए तैयार दस्तावेज़.
- ड्रॉफ्ट रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन हायर एजूकेशन फ़ॉर द XI प्लान 2007. योजना आयोग, भारत सरकार.
- पवन, अग्रवाल. 2009. *इंडियन हायर एजूकेशन— एनविजनिंग द फ़्यूचर*. सेज पब्लिकेशन्स इण्डिया प्रा.लि. नयी दिल्ली
- वार्षिक रिपोर्ट. 2006-07. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.
- सिलेक्टेड एजूकेशनल स्टैटिस्टिक्स. 2004–2005 (सितंबर 2004 के अनुसार). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.
- यूजीसी— चेयरमैन्स नेहरू मेमोरियल लेक्चर. यूनिवर्सिटी ऑफ़ मुंबई, नवंबर 24, 2006 (वेबसाइट पर उपलब्ध).
- यूजीसी वार्षिक रिपोर्ट, 2004-05.

© NCERT not to be republished

जहाँ तक स्त्रियों के अधिकारों का सवाल है, मैं इस मामले में कोई समझौता नहीं करने वाला। मेरे विचार में स्त्रियों पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, जो पुरुषों पर न लगाया गया हो। मैं बेटे और बेटियों के साथ बिलकुल एक जैसा व्यवहार करना चाहूँगा।

— महात्मा गाँधी
यंग इंडिया, 1929

© NCERT not to be republished

खंड 1 : जेंडर और समाज संबंधी परिप्रेक्ष्य

मॉड्यूल

सेक्स और जेंडर
जेंडर समानता और सशक्तीकरण के सूचक
जेंडर बजटिंग
जेंडर, मीडिया और शिक्षा
जेंडर और हिंसा
जेंडर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी

खंड 2 : जेंडर और विद्यालयी प्रक्रिया

मॉड्यूल

पाठ्यपुस्तकें, शैक्षिक पद्धति और जेंडर सरोकार
भाषा और जेंडर
पाठ्येतर सामग्री और जेंडर संवेदनशीलता
जेंडर अनुकूल कक्षाओं का निर्माण
किशोर लड़कियों का मानसिक स्वास्थ्य — संकल्पना, सरोकार और रणनीतियाँ
शिक्षक — एक परामर्शदाता
विद्यालयों में जीवन कौशल शिक्षा
लड़कियों में नेतृत्व के गुणों का विकास
लड़कियों और महिलाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना
महिलाएँ अपरंपरागत भूमिकाओं में — रोल मॉडल्स की ताकत

खंड 3 : जेंडर और महिला सशक्तीकरण

मॉड्यूल

भारत में महिला आंदोलन — एक अवलोकन
शिक्षा में समानता से निष्पक्षता की ओर — दक्षिण एशिया के कुछ उदाहरण
अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा — मुस्लिम लड़कियों के संदर्भ में
महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण — क्षमताएँ एवं संभावनाएँ
स्वयंसेवी समूहों द्वारा महिलाओं को रोज़गार तथा सशक्तीकरण
लड़कियों एवं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा — न्यायिक संरचना
स्वावलंबी होना — लड़कियों के सशक्तीकरण हेतु व्यावसायिक शिक्षा

© NCERT
not to be republished

13224

विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-91444-34-1